राजस्थान विधान सभा

८ वीं बैठक, बुधवार, १६ मार्च, सन् १९५५ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर में ४ बज कर १५ मिनिट (मध्यान्होत्तर) पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तम लाल जोशी, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ६५

राजस्थान के निर्माण के पश्चात डाकुओं द्वारा मारे गए पुलिस कर्मचारी

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे;

१. राजस्थान के निर्माण के बाद किस किस वर्ष में कितने पुलिस कर्मचारी डाकुओं का मुकाबला करते हुए मारे गये ?

२. उक्त कर्मचारी किस किस ओहदे पर थे और उनमें से किन किन के परिवार को क्या क्या सहायता सरकार द्वारा प्रदान की गई ?

३. ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनके परिवार के व्यक्तियों को सहायता देने के मसले सरकार विचाराधीन हैं ?

४. उक्त मसले कब से विचाराधीन हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—(१) राजस्थान के निर्माण के बाद जितने पुलिस कर्मचारी डाकुओं का मुकाबला करते हुए मारे गये उसका विवरण इस प्रकार है;

सन् १९४९ में २ कर्मचारी मारे गये।
सन् १९५० में १ ,,
सन् १९५१ में ५ ,,
सन् १९५२ में १८ ,,
सन् १९५३ में ७ ,,
सन् १९५४ में ३ ,,
सन् १९५५ में ३ ,,

कुल ३९

Page No.2

[श्री रामकिशोर व्यास]

(२) इस प्रश्न का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(३) जिन कर्मचारियों के परिवार के व्यक्तियों को सहायता देने के मसले सरकार के विचारा-धीन है उनकी संख्या ६ है। इस सम्बन्धी विवरण भी सदन की मेज पर रखा गया है ।

(४) ये मसले कुछ महीनों से विचाराधीन हैं ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री खेतसिंह—अधिक से अधिक कितना और कम से कम कितना अमाउन्ट मृत व्यक्तियों परिवार वालों को दिया गया ?

रामकिशोर व्यास—यह सब सूचना स्टेटमेन्ट में दी गई है ।

श्री चांदमल मेहता—जो भी स्टेटमेन्ट सदन की मेज पर रखना होता है उसकी एक कॉपी पहले ही प्रश्नकर्ता को मिल जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में बार बार निवेदन करने पर भी मन्त्री महोदय कोई ध्यान नहीं देते हैं। क्या आयन्दा इस प्रकार का प्रबन्ध कराया जायगा जिससे कि बारबार निवेदन नहीं करना पड़े ।

श्री रामकिशोर व्यास—आप चाहें तो पढ़ कर सुना दूँ ।

श्री अध्यक्ष—But if it is long it must have been given earlier.

श्री चांदमल मेहता—जो मामले सरकार के पास पेन्डिंग हैं उनका अधिकतम समय है, जिस समय के लिये वे पेन्डिंग हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—सन् ४६ का १
,, ५० का १
,, ५१ का १
,, ५२ के २
,, ५३ के ३
,, ५४ के २

श्री चांदमल मेहता—ये इतने वर्षों से पेन्डिंग किस कारण से हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—अकाउन्टेन्ट जनरल से कई केसज़ में कोरेसपोन्डेन्स हो रही है और पूछ-ताछ में काफी समय लग गया है ।

श्री चांदमल मेहता—ऐसे कितने केसेज हैं जिनमें ए. जी. के यहां से कोरेस्पोन्डेन्स नहीं हो रही है, बल्कि विभाग की शिथिलता की वजह से पड़े हुए हैं ?

Page No.3

श्री रामकिशोर व्यास—गवर्नमेन्ट की सेंक्शन के लिये सिर्फ २ केसेज हैं, बाकी सभी केसेज में ए. जी. से कोरेस्पौन्डेन्स हो रही है ।

श्री चांदमल मेहता—जो २ केसेज़ गवर्नमेंन्ट की सेंक्शन के लिये हैं वे कब से पड़े हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—उनकी डेट पूछना चाहते हैं तो उसके लिये समय चाहिये ।

श्री चांदमल मेहता—ए. जी. के पास जो केसेज़ पेन्डिंग हैं उनको जल्दी फेसल करने के बारे में क्या सरकार कुछ कदम उठा रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास—तमाम पेन्शन केसेज़ के लिये बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है और यह कोशिश की जा रही है कि पेन्शन केसेज़ जल्दी से जल्दी तय हों ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि मरने वाले कर्मचारियों के परिवार में से किसको क्या मदद दी जाये, इस संबंध में रूल्स नहीं बने हुए है ?

श्री रामकिशोर व्यास—जो पेन्शन के हकदार होते हैं उनके परिवार को मदद दी जाती है ।

श्री चांदमल मेहता—मैं पेन्शन की बात नहीं पूछता, सहायता की बात पूछता हूँ । क्या यह सही है कि सहायता देने के लिये कोई नियम नहीं हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—पेन्शन और ग्रेच्युटी के नियम बने हुए हैं, उसके अलावा बेनेवोलेन्ट फंड में से और दिया जाता है।

श्री चांदमल मेहता—जो अलग सहायता दी जाती है उसके संबंध में जानना चाहता हूँ कि उसके लिये कोई नियम बने हुए हैं या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—अलग नियमों के बारे में मैं नही कह सकता ।

श्री वेदपाल त्यागी—यदि कोई मरने वाला पेन्शन का हकदार नहीं हुआ है तो उसके परिवार वालों को कोई सहायता दी जाती है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—उनको बेनेवोलेन्ट फंड में से सहायता दी जाती है ।

श्री कंवरलाल जेलिया—मिश्रित धनराशि के अलावा ऐसे परिवारों को जमीन की सुविधा भी दी जाती है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—उनको जमीन की सुविधा नहीं दी जाती ।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या ऐसे परिवारों को जमीन की सुविधा देने की बात सरकार विचाराधीन रखेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास—अभी तो नहीं।

श्री वेदपाल त्यागी—बेनेवोलेन्ट फंड की अमाउन्ट किस आधार पर दी जाती है ?

श्री रामकिशोर व्यास—सर्विसेज़ और dependents की संख्या आदि के आधार पर दी जाती है।

श्री कंवरलाल जेलिया—डाकुओं का मुकाबला करने के लिये कर्मचारियों को सरकार ने क्या प्रोत्साहन दिया है, जिससे प्रोत्साहित होकर अधिक से अधिक लोग मुकाबला करने लगें ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह सप्लीमेन्टरी प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री चांदमल मेहता—पेन्शन के अलावा अधिक से अधिक रकम सहायता के रूप में कितनी दी गई ?

श्री रामकिशोर व्यास—अधिक से अधिक १५०० रूपये दिये गये।

श्री चांदमल मेहता—और कम से कम कितनी रकम दी गई ?

श्री रामकिशोर व्यास—कम से कम ८०० रूपये।

श्री चांदमल मेहता—ये जो १५०० और ८०० रू० दिये गये वे गजेटेड ऑफिसरों को दिये गये या कांस्टेबल्स को दिये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसके लिये अलग सवाल पूछें।

प्रश्न संख्या ६६

राजस्थान में डी० एम० एच० ओ० के हैड क्वार्टर्स तथा एम्बुलेंस गाड़ियां

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे !

१. राजस्थान में डी. एम. एच. ओ. के हैड क्वार्टर्स कहां कहां हैं ?
२. उक्त हैड क्वार्टरों में एम्बुलेंस गाड़ियें कहां कहां पर है ?
३. किशनगढ़ में एम्बुलेंस कार नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मन्त्री)—

(१) राजस्थान में डी० एम० एच० ओ० के हैड क्वार्टर निम्नलिखित स्थानों पर हैं।

१. डी. एम. एच. ओ., जयपुर, हैड क्वार्टर, किशनगढ़
२. डी. एम. एच. ओ., सवाई माधोपुर, हैड क्वार्टर करौली
३. डी. एम. एच. ओ., झुंझुनू व सीकर, हैड क्वार्टर सीकर

[श्री कुम्भाराम आर्य]

४. डी. एम. एच. ओ., पाली
५. डी. एम. एच. ओ., नागौर
६. डी. एम. एच. ओ., जालौर
७. डी. एम. एच. ओ., बाड़मेर
८. डी. एम. एच. ओ., बांसवाड़ा
९. डी. एम. एच. ओ., भीलवाड़ा
१०. डी. एम. एच. ओ., चित्तौड़गढ़, हैड क्वार्टर प्रतापगढ़
११. डी. एम. एच. ओ., झालावाड़
१२. डी. एम. एच. ओ., गंगानगर और
१३. डी. एम. एच. ओ., चुरू, हैड क्वार्टर रतननढ़।

(२) बांसवाड़ा के डी. एम. एच. ओ. के पास एक एम्बुलेंस गाड़ी है।
(३) अर्थाभाव।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार, जहां एम्बुलेंस गाडियां नहीं हैं, वहां एम्बुलेंस गाडियाँ देने के बारे में योजना रखती है?

श्री कुम्भाराम आर्य—नहीं।

श्री चांदमल मेहता—बांसवाड़ा में ऐसी क्या विशेषता है जो वहां एम्बुलेंस दे रखी है?

श्री कुम्भाराम आर्य—पहले से ही है।

श्री चांदमल मेहता—तो ये एम्बुलेंस गाड़ियां आवश्यकता के आधार पर दी जाती हैं या पहले से हैं इस आधार पर दी जाती हैं?

श्री कुम्भाराम आर्य—यह उस वक्त के राजाओं की व्यवस्था है।

श्री धूलजी भाई भावसार—बांसवाड़ा में एम्बुलेंस कार नहीं है, क्या यह मन्त्री महोदय के ध्यान में है?

श्री कुंभाराम आर्य—है।

श्री धूलजी भाई भावसार—बिल्कुल खराब हालत में पड़ी हुई है, कुछ भी काम नहीं आती है।

श्री कुंभाराम आर्य—नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता ! है तो सही !

श्री चांदमल मेहता—डी० एम० एच० ओ० के हैड क्वार्टर के अलावा ऐसे कितने स्थान हैं जहां कि एम्बुलेंस गाड़ियां हैं?

Page No.6

श्री कुंभाराम आर्य—निम्नलिखित स्थानों पर एम्बुलेंस गाड़ियां हैं :

१ सुपरिन्टेन्डेन्ट सवाई मान सिंह अस्पताल के पास २ गाड़ियां हैं।

२ ए० डी० एच० एस०, जयपुर के पास १ गाड़ी है।

६ लेजोरेंटो एण्ड आइसोलेशन अस्पताल, जयपुर के पास एक गाड़ी है जो कि प्रिन्सिपल एण्ड कन्ट्रोलर ऑफ अस्पताल के आधीन है।

४ एलेक्जेन्डर अस्तपाल, अलवर में एक गाड़ी है।

५ जनाना अस्पताल अलवर में एक गाड़ी है।

६ महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर में २ गाडियां हैं!

७ उम्मेद अस्पताल, जोधपुर में २ गाड़ियां हैं।

८ पी० एम० एच० ओ० बीकानेर के पास ३ गाडियां हैं।

६ पी० एम० एच० ओ० उदयपुर के पास १ गाड़ी है।

१० पी० एम० एच० ओ० कोटा से पास एक गाड़ी है।

११ सी० एम० ओ० सिरोही के पास एक गाड़ी है।

१२ जनरल अस्पताल बूंदी में जो कि पी० एम० एच० ओ० कोटा के आधीन है, एक गाड़ी है।

श्री वेदपाल त्यागी—ये गाड़ियां भी क्या, रियासतों के वक्त से जो थीं वही हैं या राजस्थान के निर्माण के बाद संख्या निर्धारित की गई है?

श्री कुम्भाराम आर्य—पहले से ही हैं?

श्री वेदपाल त्यागी—चलती हुई गाड़ियां कितनी हैं?

(विराम)

श्री कंवरलाल जेलिया—ये जो गाड़ियां दी हुई हैं वे सिर्फ प्रदर्शन के काम में आती हैं या सचमुच कोई काम में आती हैं?

श्री कुम्भाराम आर्य—बीमारों को ढोने के काम में आती हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया—मैं माननीय मन्त्री महोदय की सूचना के लिए निवेदन कर दूँ कि कोटा में सिर्फ प्रदर्शन के काम में आतीं हैं।

श्री कुम्भाराम आर्य—आप कभी बीमार पड़े नहीं हैं इसलिए आपको मालूम नहीं है।

श्री कंवरलाल जेलिया—जनता की सुविधा के लिए ये गाड़ियां रखी हुई हैं, वे पर्याप्त काम में नहीं लाई जातीं। यों ही पड़ी हुई हैं जनता द्वारा मांग की जाने पर भी काम में नहीं लाई जातीं।

श्री कुम्भाराम आर्य—माननीय सदस्य बीमार पड़ कर मांग करें, मांग पूरी नहीं हुई तो एक्शन लेंगे।

श्री कंवरलाल जेलिया—मैं अपने लिए नहीं जनता की सुविधा के लिए सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री कुम्भाराम आर्य—जनता से आप बाहिर नहीं।

एक सदस्य—क्या मन्त्रियों को भी इन गाड़ियों की आवश्यकता हो सकती है?

श्री कुम्भाराम आर्य—हां, मन्त्री भी बीमार पड़ जाते हैं तो एम्बुलेन्स गाड़ियों में जाते हैं।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या कहीं इन मोटर गाड़ियों की जगह तांगे भी हैं?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर प्लीज! श्री जगतसिंह।

प्रश्न संख्या ६७

जिला चित्तौड़गढ़ की तहसीलों के कतिपय गांवों में सरकारी औषधालयों का अभाव।

श्री जगतसिंह झाला—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(अ) क्या यह सच है कि जिला चित्तौड़गढ़ में बड़ी सादड़ी तहसील के बोहड़े ग्राम में, डूंगला तहसील के चिकारड़े ग्राम में तथा राशमी तहसील के पहुनें ग्राम में कोई सरकारी दवाखाना नहीं है?

(आ) क्या सरकार आगामी वर्ष यहां पर एक एक आयुर्वेदिक औषधालय कायम करने का विचार रखती है?

श्री कुंभाराम आर्य— (अ) जी हां।

(आ) मांग आने पर सन् १९५५-५६ में नये औषधालय खोलते समय अन्य स्थानों के लिये आये हुए प्रार्थना-पत्रों के साथ इन स्थानों के विषय में भी विचार किया जायगा।

श्री जगतसिंह झाला—गत वर्ष भी इसके लिये आश्वासन दिया गया था पर कुछ नहीं किया गया।

श्री कुंभाराम आर्य—विचार किया गया था।

श्री जगतसिंह झाला—विचार का नतीजा क्या हुआ?

श्री कुम्भाराम आर्य—औषधालय नहीं खुल सके।

श्री जगतसिंह झाला—इसका मतलब यह हुआ कि इन स्थानों पर औषधालय नहीं खोले जायेंगे?

श्री कुम्भाराम आर्य—इनसे जरूरी स्थान आ जांय तो ऐसा हो सकता है।

श्री जगतसिंह झाला—क्या सरकार आश्वासन देने के बाद, औषधालय खोलने के स्थान चुनने के लिये दिल्ली की तरह एक समिति कायम करेगी?

श्री कुम्भाराम आर्य—समिति से नहीं पैसे से काम होता है।

श्री जगतसिंह झाला—तो क्या जो आश्वासन दिया गया वह बगैर पैसे के ही दिया गया था?

श्री कुम्भाराम आर्य—कोई आश्वासन ऐसा दिया ही नहीं गया कि खोले जायंगे।

श्री जगतसिंह झाला—सरकार औसधालय खोलना जरूरी किस आधार पर मानती है?

श्री कुम्भाराम आर्य—यह उन इलाकों की हालत और वहां के लोगों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है।

श्री जगतसिंह झाला—क्या हम यहां पर निवेदन करते हैं उस पर गौर नहीं किया जाता?

श्री कुम्भाराम आर्य—निवेदन को तो जांच में रखा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६८

सन् ५४-५५ के आरम्भ में पुराने किशनगढ़ राज्य में तालाब तथा सिंचाई की भूमि

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

१. ५४–५५ के आरम्भ में पुराने किशनगढ़ राज्य में कितने सिंचाई के तालाब और सिंचाई की भूमि थी?

Page No.9

[श्री चांदमल मेहता]

२. कितने कितने तालाब व कितनी कितनी भूमि किस किस एस. डी. ओ. के मातहत रखी गई है ?

३. इस वर्ष पुराने किशनगढ़ स्टेट में जागीरी पुनर्ग्रहण की वजह से कितने नये तालाब और कितनी नई भूमि राजस्थान सरकार के कब्जे में आई ?

४. किशनगढ़ में इरिगेशन के एस. डी. ओ. का हैड क्वार्टर नहीं रखने के क्या कारण हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि मन्त्री)—

(१) ५४-५५ के आरम्भ से पुराने किशनगढ़ राज्य में १०६ तालाब और ४८००० कच्ची बीघा सिंचाई की भूमि है ?

(२) ७२ तालाब और २०००० बीघा कच्ची भूमि एस० डी० ओ० पश्चिम के और ३४ तालाब तथा २२००० बीघा कच्ची भूमि एस० डी० ओ० टोंक के अधिकार में है।

(३) इसकी सूचना प्राप्त की जा रही है, प्राप्त होने पर प्रस्तुत की जावेगी।

(४) देख-रेख (सुपरविजन) व कार्य की सहूलियत के लिहाज से एस० डी० ओ० का हैड क्वार्टर जयपुर रखा गया है। किशनगढ़ के आस पास इतना काम नहीं है कि किशनगढ़ में हैड क्वार्टर रखा जाय।

श्री चांदमल मेहता—किस स्थान पर एस० डी० ओ० का हैड क्वार्टर होता है, इसके लिये क्या काइटेरिया रखा है।

श्री रामनिवास मिर्धा—एक काइटेरिया तो मैंने अभी बताया कि देख रेख की व कार्य की सहूलियत जहां रखने से हो और दूसरा यह देखा जाता है कि वहां कितना काम है, कितने नये काम चल रहे हैं और कितने काम रिपेअर के हो रहे हैं।

श्री चांदमल मेहता—रिपेअर के और नये काम तो तब्दील होते रहते हैं, तो क्या उनके तब्दील होने के साथ साथ एस० डी० ओ० के हैड क्वार्टर भी तब्दील होते हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा—काम की मात्रा में इतना हेर फेर हो कि एस० डी० ओ० के हैड क्वार्टर को तब्दील करने की जरूरत हो तो ऐसा किया जा सकता है।

श्री चांदमल मेहता—किस किस में कितना कितना काम चल रहा है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—यह बिल्कुल जुदा प्रश्न है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि टोंक एस. डी. ओ. के नीचे आये हुए किशनगढ़ के हिस्सों से टोंक काफी दूर रहता है, इसलिये जनता को शिकायत रहती है।

श्री रामनिवास मिर्धा—दूर पड़ता है पर टोंक के अन्दर इतना काम होता है कि वहां एस. डी. ओ. का हैड क्वार्टर रखना जरूरी है।

श्री चांदमल मेहता—एक किशनगढ़ में ही नहीं रखने का क्या कारण है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—मैंने बताया कि किशनगढ़ के पास तालाब छोटे और बहुत फैले हुए हैं, इसलिए किशनगढ़ हैड क्वार्टर नहीं हो सकता।

श्री चांदमल मेहता—इतने कम एरिया में जितने कि किशनगढ़ में तालाब हैं उतने दूसरी जगह नहीं हैं।

श्री रामनिवास मिर्धा—यह हो सकता है, परन्तु जो काम वहां चल रहा है नया या पुराना रिपेअर का, वह एस. डी. ओ. के हैडक्वार्टर रखने के लिये पर्याप्त नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि रिपेअर के अलावा इरीगेशन, सिंचाई की रकम वसूल करना आदि काम हैं उनको देखा जाय तो किशनगढ़ में एस. डी. ओ. का हैडक्वार्टर रखना आवश्यक है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इस दृष्टि से भी हैडक्वार्टर किशनगढ़ में होना आवश्यक नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—फिर कौनसी दृष्टि से आवश्यक हैं ;

श्री रामनिवास मिर्धा—वसूली, देख-रेख वगैरह जयपुर और टोंक हैड क्वार्टर. रखने से अच्छी तरह से हो सकती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि पिछले साल सरवाड़ तहसील में पैसे लगे हैं, वे बिना देख रेख के ७५००० रूपये यों ही बर्बाद हो गये ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इस तरह की शिकायत हमारे पास नहीं आई है।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में है कि इस तरह की शिकायत इस विधान सभा में की गई थी और जांच के लिये आश्वासन दिया गया था ?

श्री रामनिवास मिर्धा—कोई खास शिकायत करें तो जांच की जा सकती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार को यह मालूम है कि किशनगढ़ में इरिगेशन के एस. डी. ओ. का हैड क्वार्टर नहीं होने के कारण काश्तकारों को बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री जवानसिंह ?

प्रश्न संख्या ६६.

जवाई बाँध से सिंचाई के लिए दिया गया जल

Page No.11

श्री जवानसिंह—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जवाई बांध से इस वर्ष कितने एकड़ जमीन की सिंचाई के लिये पानी दिया गया ?

(ख) उपरोक्त सिंचाई की दर क्या है ?

(ग) उपरोक्त बांध से शिवगंज तहसील में पानी न देने का क्या कारण है ?

(घ) क्या बांध में शिवगंज तहसील की जमीन को पानी देने के लिये मोरी मौजूद है ?

श्री रामनिवास मिर्धा (सिंचाई मंत्री)—(क) जवाई बांध से इस साल २८००० बीघा अथवा ११,२०० एकड़ जमीन में सिंचाई की गई।

(ख) उपरोक्त सिंचाई की दर ५ रु. प्रति बीघा अथवा १२.८.आना प्रति एकड़ है ।

(ग) इस बाबत जांच की जा रही है ।

(घ) इस बांध में शिवगंज तहसील की जमीन की सिंचाई करने के लिये छोटी मोरी मौजूद है ।

श्री जवानसिंह—आपने बताया कि जांच की जा रही है; जांच शुरू से हो रही या बाद में शुरू की गई ?

श्री रामनिवास मिर्धा—शुरू में कोई इरादा नहीं था । कोई आउटलेट नहीं था, लेकिन बाद में ऐसा किया गया कि ज्यादा कितनी दूर नहर ले जानी पड़ेगी ।

श्री जवानसिंह—क्या शुरू में इसकी आवश्यकता नहीं थी ?

श्री रामनिवास मिर्धा—पहले काम जोधपुर रियासत में शुरू हुआ था इसलिये उस समय इसे आवश्यक नहीं समझा गया ।

श्री जवानसिंह—क्या इस वक्त वहां गेहूँ की फसल के लिये पानी दिया गया है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—मेरे खयाल से यह बिलकुल जुदा प्रश्न है ।

श्री जवानसिंह—यह जो सिंचाई की गई वह केवल ४'५ पाण से ही की गई है या ज्यादा ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जहां ज्यादा पाण की जरूरत है वहां ज्यादा पाण भी दिये जाते हैं ।

श्री जवानसिंह—सिर्फ ४ पाण देने से गेहूँ आदि अच्छे नहीं होते ।

श्री रामनिवास मिर्धा—जहां ४ पाण से काम नहीं चलता है वहां ५ और ६ पाण भी दे सकते हैं ।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ५ रु० की जो दर बतलाई गई है वह अधिक है और इसकी जांच करके इस दर को कम करेंगे ?

श्री रामनिवास मिर्धा—यह दर जो मुकर्रर की गई है वह एड हॉक बेसिस पर क... और यह रिवाइज़ भी हो सकती है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह रेट तय किसने की है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—यह रेट राजस्थान सरकार ने मुकर्रर की है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि यह दर कमिश्नर जोधपुर ने तय कर दी थी और वह अभी तक राजस्थान सरकार के विचाराधीन है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—१९५२-५३ के लिये अभी तक कोई तय नहीं किया गया है । कहीं से ५ रु० लिये गये हैं और कहीं के बारे में अभी तक निश्चित नहीं हुआ है ।

श्री शम्भूसिंह—क्या सरकार यह बतलाएगी कि यह जो दर मुकर्रर की गई है वह प्रति बीघा फी पाण है या फी फसल है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—फी बीघा per year.

श्री शम्भूसिंह—किस क्रोप के लिये है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—मैंने कहा कि यह एडहॉक बेसिस पर है ।

श्री जवानसिंह—ग. के उत्तर में सरकार ने बतालाया कि जांच की जा रही है । सरकार कब तक विचार कर लेगी कि शिवगंज तहसील तक पानी दिया जावे ?

श्री रामनिवास मिर्धा—शीघ्र ही ।

श्री जवानसिंह—तीन साल तो बीत गये अभी तक कुछ नहीं किया गया है तो अब 'शीघ्र' से क्या समझा जावे ?

श्री रामनिवास मिर्धा—अब 'शीघ्र' का मतलब 'अतिशीघ्र' ।

अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ७०

सन् १९५४ में डाकुओं की गिरफ्तारी

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

१. राजस्थान में सन् ५४-५५ के वर्ष में कितने डाकुओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया ?

२. उक्त व्यतियों में आत्मसर्पण करने वाले कितने व्यक्ति हैं ?

३. उक्त वर्ष में कितने डाकू पुलिस अधिकारियों द्वारा मारे गये ?

श्री रामकिशोर व्यास— १. राजस्थान में सन् १६५४ में ३४७ तथा जनवरी, १६५५ में २३ डाकुओं को गिरफ्तार किया गया।

२, इन ३४७ डाकुओं में से ५३ ने आत्म–समर्पण किया ?

३. सन् १६५४ में १३ तथा जनवरी, १६५५ में ३ डाकू पुलिस द्वारा मारे गये।

श्री चांदमल मेहता—ऐसे कितने डाकू हैं जिन्होंने आत्म-समर्पण किया और उनके खिलाफ मुकद्दमें नहीं चलाये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह अलग प्रश्न है।

श्री चांदमल मेहता—क्या आत्म-समर्पण करने वालों पर मुकद्दमें चलाए जावेंगे या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—जिन पर चलाना जरूरी होगा चलेगा।

श्री रामदयाल—क्या अभी तक उनमें से किसी को सजा दी गई है !

श्री रामकिशोर व्यास—इसका आप अलग से प्रश्न पूछिये।

श्री रामदयाल—क्या कोई जेल में है ?

श्री रामकिशोर व्यास—जिनके खिलाफ मुकदमें हैं वे जेल में होंगे !

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इसमें कोई कांग्रेस का सदस्य भी इन्वोल्वड किया गया है !

श्री अध्यक्ष—केक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७१

भाखरा नागल बाँध से इस वर्ष राजस्थान प्रदेश में सिंचाई के लिए दिया गया जल

श्री जवानसिंह—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क. भाखरा नांगल बांध से राजस्थान की कितनी भूमि में इस वर्ष सिंचाई की गई !

ख. उपरोक्त बांध से ज्यादा से ज्यादा कितनी भूमि की सिंचाई की जा सकेगी ?

ग. क्या शुरू में इस बांध से सींची जाने वाली भूमि का रकबा ज्यादा था और अब बांध के बंध जाने पर कम कर दिया गया है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—क. ३४००० एकड़ ।

ख. ५,७०,००० एकड़ ।

ग. नहीं ।

श्री जवान सिंह—इस वक्त जो सिंचाई भाखरा नांगल से हो रही है वह आपने बताई और आपने कहा कि ५ लाख ७० हजार एकड़ भूमि की सिंचाई ज्यादा से ज्यादा की जा सकेगी । यह सिंचाई कौन से साल तक पूरी हो जावेगी ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इस वर्ष ३४ हजार एकड़ हुई । इस वर्ष व्यवस्था ऐसी की जावेगी कि १ लाख एकड़ में सिंचाई हो और इस हिसाब से ५ लाख ७० हजार एकड़ में सन् ५६ तक सिंचाई हो जावेगी ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ७२

किशनगढ़ में नया पॉवर हाउस लगाने की शासकीय योजना

श्री चांदमल मेहता-क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

१. क्या यह सही है कि किशनगढ़ में नये पॉवर हाउस लगाने की सरकार की योजना है ?

२. यदि हां, तो इसके लिये कुल कितना रुपया स्वीकृत किया गया और इस वर्ष कितना रुपया खर्च करने की तजवीज थी ?

३. उक्त तजवीज के अन्तर्गत इस वर्ष कितना रुपया खर्च किया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—१. हां ।

२. प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कुल ३ लाख रुपये स्वीकृत किये गए हैं । इस वर्ष २, ३२, १००, रुपये खर्च करने की योजना थी ।

३. दिसम्बर, १९५४ के अन्त तक रु. १३७६७ खर्च हुवे थे ।

श्री चांदमल मेहता—दो लाख और कुछ हजार रुपयों में से सिर्फ १३७६७ रुपये ही खर्च करने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रशाद गुप्ता—विद्युत् यन्त्रों को खरीदने के लिये (Central Government) द्वारा टेन्डर कॉल किये गये हैं और उनकी जांच की जा रही है । आशा है शीघ्र ही विद्युत् यन्त्र आ जावेंगे ।

Page No.15

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि पिछले बजट सेशन में सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि ५४–५५ में वहां नया पॉवर हाउस खड़ा हो जावेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आश्वासन दिया या नहीं, मुझे मालूम नहीं।

श्री चांदमल मेहता—पॉवर हाउस की कब तक सरकार से उम्मीद की जावे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(अश्रव्य)

श्री चांदमल मेहता—वहां से सैंक्शन होकर नहीं आया, तो क्या यह काम रुका रहेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जरूर।

श्री चांदमल मेहता—मौजूदा पॉवर हाउस में काफी घाटा है, क्या सरकार नुकसान बर्दाश्त करना पसंद करेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—लिखा पढ़ी हो रही है, सब कुछ कोशिश कर रहे हैं लेकिन मजबूरी है।

श्री चांदमल मेहता—इस मजबूरी का भी कोई इलाज़ सरकार के पास है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७३

सन् १९५४-५५ में पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत राजस्थान के विभिन्न पॉवर हाउसेज़ पर लगने वाली रकम

श्री चांदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) राजस्थान में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ५४–५५ के वर्ष में किस २ पॉवर हाउस पर कितना कितना रूपया खर्च करने की योजना थी ?

(२) उक्त योजना के अन्तर्गत किस किस पॉवर हाउस पर कितना कितना रूपया खर्च किया जा चुका है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—प्रत्येक पॉवर हाउस के लिये १९५४–५५ वर्ष में जो धन स्वीकृत किया गया और दिसम्बर, १९५४ तक जो धन खर्च किया जा चुका है वह इस प्रकार है :

क्रम सं०	पॉवर हाउस का नाम	एलोटमेंट १९५४-५५.	दिसम्बर ५४ तक खर्च किया गया।
		रु०	रु०
१.	जयपुर	३४,४०,६००	२६,२९२.
२.	बीकानेर	५,६९,६००	३८,६८०.

३.	किशनगढ़	२,३२,१००	१३,७६७
४.	झालावाड़	१,८३,५००	२,८६३
५.	टोंक और निवाई	४,८४,४००	२,५७८

इस तरह से बहुत सी रकमें हैं।

(सुनाई नहीं देने की आवाज)

श्री चांदमल मेहता—कितने कितने रुपये खर्च हो चुके हैं इसके सम्बन्ध में जवाब नहीं मिला है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने बताया था आपको कि:—

जयपुर में	२६,२६२)
बीकानेर में	३८,६८०)
किशनगढ़ में	१३,७६७)
झालावाड़	२,८६३)
टोंक और निवाई	२,५७८)

इस तरह से यह रकम खर्च हुई हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि स्वीकृत रकम का बहुत कम हिस्सा इस वर्ष खर्च हुआ हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह बिलकुल सच है, जिसकी वजह मैंने अभी आपको बतायी थी कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट से योजना स्वीकृत नहीं हुई थी। इस वजह से इतना ही खर्च कर सके।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सरकार की शिथिलता रही है, शीघ्रातिशीघ्र काम करने में? (घंटी)

अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री श्रीदास गोयल—जो पॉवर हाउस के लिए आपने बताया वह किस सिद्धान्त पर मबनी है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वे पहले से ही मौजूद हैं।

रावत श्री शंभूसिंह—भीलवाड़ा में क्यों नहीं हुआ?

श्री अध्यक्ष—अभी बताया था।

श्री जवानसिंह—किशनगढ़ में सारी दुनियां से टेंडर कॉल किये गये, तो ऐसी उसमें क्या विशेषता है ? (हंसी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री श्रीदास गोयल—एक और क्वेश्चन । (घंटी)

प्रश्न संख्या ७४

प्रिवेन्टिव डिटेन्शन अधिनियम के अन्तर्गत दो वर्षों में नजरबन्द किये गये व्यक्ति

श्री जवानसिंह—क्या गृह मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गत दो वर्षों में राजस्थान में कितने नजर बन्द व्यक्ति Preventive Detention Act के तहत नजरबन्द रहे ?

(ख) क्या इनमें से किसी का भी मामला एडवाइजरी बोर्ड को भेजा गया ?

(ग) अगर हां, तो उसका नतीजा क्या रहा ?

श्री रामकिशोर व्यास (श्री गृह मन्त्री)—(क) पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के अधीन कोई व्यक्ति गत दो वर्षों में राजस्थान में नज़र बन्द नहीं रहा। हां, प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट १९५० के अधीन २९ व्यक्ति अवश्य नजरबन्द रहे।

(ख) इनमें से १५ व्यक्तियों के मामले एडवाइज़री बोर्ड को भेजे गये।

(ग) १५ मामलों में से केवल दो को छोड़कर बाकी सब मामलों में डिटेन्शन ऑर्डर स्वीकृत किये गये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कितने केसेज़ ऐसे थे जो हाईकोर्ट से छोड़े गये ?

श्री रामकिशोर व्यास—दो के अलावा सब छोड़े गए।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन ।

प्रश्न संख्या ७५

बड़ी सादड़ी तालाब के जीर्णोद्धार के हेतु शासकीय सहायता

श्री जगतसिंह झाला—क्या सिंचाई मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.18

(क) क्या यह सच है कि बड़ी सादड़ी नगर के तालाब की मरम्मत कार्य के लिये सरकार ने सहायता का वायदा किया था ?

(ख) क्या जितना कार्य वहां की जनता द्वारा होने को था वह होकर भी अभी तक सरकारी सहायता की रकम नहीं मिल पायी है ?

(ग) क्या यह सहायता केन्द्र द्वारा मिलने वाली रकम में से दी जाने को थी ?

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र ही यह रकम दिलवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री रामनिवास मिर्धा (सिंचाई मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं यह निवेदन कर दूं कि यह प्रश्न असल में स्वायत्त शासन विभाग से पूछा जाना चाहिए था क्योंकि बड़ी सादड़ी तालाब के जीर्णोद्धार सम्बन्धीं कार्य सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नहीं है । अतः उस विभाग से जानकारी प्राप्त की गई है । अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बता दूं ।

(विराम)

श्री कुम्भाराम आर्य (श्री स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) जी हां । ३७१५) रु० तालाब की मरम्मत के हेतु सरकार ने १९५३–५४ में स्वीकृत भी कर दिये थे ।

(ख) जी नहीं । सरकारी सहायता में से १२३८) रु० मिल चुके है ।

(ग) जी हां ।

(घ) बाकी रकम शीघ्र दिलवाने के आदेश दिये जा चुके हैं और आशा है कि शीघ्र ही मिल जायगी ।

श्री जगतसिंह झाला—कब दिलाये गये ? आदेश कौन सी तारीख को दिया गया ?

श्री **कुम्भाराम आर्य**—३१. १. ५५ ।

श्री **अध्यक्ष**—नेक्स्ट क्वेश्चन ।

प्रश्न संख्या ७६

बिजली घरों के स्टॉक्स का हिसाब

श्री जवानसिंह—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) क्या बिजली घरों के स्टॉक्स का हिसाब रखा जाता है ?

(ब) क्या जयपुर में उपरोक्त स्टॉक्स का फिजीकल वेरीफिकेशन हुआ है ? अगर हां, तो कब कब ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—(निर्माण मन्त्री) : (अ) हां।

(ब) कार्य अभी जारी है।

श्री जवानसिंह—यह स्टॉक्स का हिसाब कब से रखा जाता है ?

(विराम)

यह 'हां' कब से है ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—जब से बिजली घर जारी हैं।

श्री जवानसिंह—क्या माननीय अध्यक्ष, सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया जायगा कि हाल हीं में सदन में बताया गया था कि हिसाब पूरे नहीं हो पाये हैं और स्टॉक्स का हिसाब अब रखना शुरू किया गया है; तो कौनसा सही है ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—आपने समझने में गलती की है। वेल्युएशन नहीं हुआ है, यह कहा था।

श्री वेदपाल त्यागी—Without Valuation भी हिसाब रखा जाता है। (हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या स्टॉक के सिलसिले में रेगुलर किताब वहां रखी जाती है और रोज की रोज भरी जाती है ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—आप किसके बारे में पूछ रहे हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—बिजली घरों के स्टोर एण्ड स्टॉक अकाउन्ट के बारे में।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—बिजलीघरों में स्टॉक रजिस्टर्स हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बिजलीघरों में अकाउन्ट रखे जाते हैं और रोज के रोज भरे जाते हैं क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—भरे जाते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कब से ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जब से बिजलीघर कायम हैं !

श्री हरीकृष्ण व्यास—क्या यह सही है, कि स्टॉक रजिस्टर्स नहीं भरे जाने के सिलसिले में तीन बार जांच करवायी गई हैं बिजलीघरों की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—गलती की जांच तो होती ही रहती है, और होनी चाहिए भी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—स्टॉक रजिस्टर्स नहीं रखे जाने के कारण ही इस गलती की जांच करवायी गई है क्या ?

श्री अध्यक्ष—There is a specific statement that such registers are being maintained.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am asking how is it that the Government has ordered an enquiry as to why stock registers are not being maintained ?

श्री अध्यक्ष—The question of enquiry does not arise.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Let him say, sir.

श्री अध्यक्ष—The question does not arise.

श्री वेदपाल त्यागी—But the question can be asked whether the Government has instituted an enquiry whether the registers are kept or not ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। यह एक अलग सवाल है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि पी. डब्ल्यू. डी. विभाग ने एक विशेष अधिकारी इस बारे में जांच करने के लिए आदेश देकर बिजलीघर में भेजा, जिनका डेजिग्नेशन है ओ.एस.डी.।

श्री बद्रीप्रशाद गुप्ता—वह और कोई बात होगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो स्टॉकस रजिस्टर्स रखे जाते हैं माननीय मंत्रीजी के स्टेटमेन्ट के मुताबिक, उन पर दस्तखत कौन करते हैं, कौनसा अधिकारी करता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह अलग सवाल है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मंत्रीजी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने स्टाक रजिस्टर्स में ओवर राइटिंग करने की इजाजत दे दी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह अकाउन्ट का सवाल है और फाइनेन्स से पूछें तो अच्छा होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या कोयले के सिलसिले में अभी जांच कराई जा रही है और उसमें कोयले की एन्ट्रीज़ बराबर पायी गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—That is sub-judice. It is pending with the court.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि स्टॉक रजिस्टर्स में लगातार इरेजर्स और ओवर राइटिंग ओ. एस. डी. द्वारा पाये गये हैं ?

Page No.21

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—That is sub-judice, वह कोर्ट में है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—नया वाला मामला सबजुडिस है, उसके सम्बन्ध में नहीं पूछा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इससे इसका ताल्लुक नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मंत्रीजी बतलावेंगे कि कितने साल के बाद फिजिकल वेरीफिकेशन हो रहा है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जब राजस्थान कायम हुआ उसके बाद पहले पहल।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस विभाग ने सालोसाल फिजिकल वेरीफिकेशन नहीं किया है तो इस बारे में क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है?

श्री अध्यक्ष—Mr. Jawan singh has the first right.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am prepared to concede.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कार्यवाही नहीं करने का सवाल पैदा नहीं हुआ।

श्री जवानसिंह—स्टाक का हिसाब बिजलीघर बने हैं उस वक्त से रखा जाता है, तो फिर वेल्युएशन किसका हो रहा है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यहां तो स्टॉक का सवाल है, वेल्युएशन के लिए तो मैंने पहले कहा था

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member should address the Chair.

श्री जवानसिंह—Always the question is through the Chair.

श्री अध्यक्ष—Not direct.

श्री जवानसिंह—मैं आज सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कल भी इस सदन में इस बात पर जोर दिया गया था कि स्टॉक का वेल्युएशन बिजलीघरों में किया जा रहा है और इस वक्त निवेदन किया था कि वेरीफिकेशन स्टॉक्स का हो रहा है, तो माननीय अध्यक्ष, मैं यह जानना चाहता हूं कि स्टॉक्स का हिसाब अब तक शुरु से रखा जाता है तो फिर वेल्युएशन किसका हो रहा है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह वेरिफिकेशन का सवाल है वेल्युएशन का नहीं!

(हँसी)

श्री जवानसिंह—तो मैं यह समझूं कि इस वक्त वेल्युएशन नहीं हो रहा है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—It is verification. There is a difference between Verifictaion and valuation.

श्रीहरिकृष्ण व्यास—यह फिजीकल वेरीफिकेशन किस किस बिजलीघर में हो रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जयपुर में हो रहा है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह फिजीकल वेरीफिकेशन कब से शुरू हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह करीब दो माह से शुरू हुआ है और अगले माह समाप्त हो जायगा ।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—इससे पहले भी कभी वेरीफिकेशन हुआ था या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नहीं ।

श्री वेदपाल त्यागी—इसके समाप्त होने की कब तक आशा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अप्रेल में खत्म हो जायगा ।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल— क्या पहली अप्रेल को ?

श्री बद्रीप्रशाद गुप्ता—हो सकता है पहली अप्रेल को भी हो जाय ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह जो फिज़ीकल वेरीफिकेशन हो रहा है, क्या उसके साथ साथ नये रजिस्टर भी बनाये जा रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—स्टॉक वेरीफिकेशन और रजिस्टर बनाना ये दोनों अलग अलग बातें हैं । स्टॉक रजिस्टर से वेरीफिकेशन हो रहा है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि मेरे प्रश्न का स्पष्ट स्पष्ट उत्तर दिया जाय ?

श्रीबद्रीप्रशाद गुप्ता—मेरे उत्तर स्पष्ट हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा प्रश्न सुन लीजिये कि फिजिकल वेरीफिकेशन के साथ साथ क्या नये स्टॉक रजिस्टर भी तैयार किये जा रहे हैं या नहीं ?

श्री बद्रीप्रशाद गुप्ता—नहीं किये जा रहे हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आज जो वेरीफिकेशन हो रहा है उसमें क्या स्टॉक रजिस्टर से कम्पेयर किया जा रहा है या आज तक जितना स्टाक मौजूद है उसकी इन्वेन्टरी कर नये रजिस्टर बनाये जा रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रशाद गुप्ता—सारे सामान की लिस्ट तैयार करवा कर स्टॉक का वेरीफिकेशन किया जारहा है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय मंत्री ने जो फरमाया कि लिस्ट तैयार हो रही है, वही तो मेरे प्रश्न को प्रोवोक करता है कि आज जो स्टाक मौजूद है उसकी इन्वेन्टरी बन रही है या जो पुराने रजिस्टर में मौजूद है उसके मुताबिक वेरीफिकेशन हो रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय सदस्य के कहने का यह मतलब है कि नये रीजिस्टर बन रहे हैं, ऐसा नहीं। रजिस्टर पुराने ही हैं, नये नहीं बनाये जा रहे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं तो यह प्रश्न कर रहा हूं कि जो एन्ट्रीज मौजूद हैं, माननीय मंत्री के कहने मुताबिक, उन्हीं का वेरीफिकेशन हो रहा है, तो मैं इसी पर यह अर्ज कर रहा हूं कि वास्तव में जो स्टॉक था वह है या नहीं, या जो स्टाक मौजूद है उसकी इनवेन्टरी बन कर उसका वेरीफिकेशन हो रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—फिजीकल वेरीफिकेशन तो सारे सामान की लिस्ट बन कर ही हो सकता है और वह हो रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो स्टॉक रजिस्टर्स मौजूद हैं वे राजस्थान सरकार के फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट द्वारा निर्धारित फॉर्म में रखे गये हैं या और किसी रूप में रखे गये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह अलग से सवाल है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि जो स्टेंडर्ड फॉर्म स्टाक रजिस्टर का मुकर्रर है उसमें valuatoin का भी कॉलम है ?

अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७७

जिला चित्तोड़गढ़ में पड़ने वाले डाके

श्री जगतसिंह झाला—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५४–५५ में जिला चित्तौड़गढ़ में कौन कौन से स्थान पर डाके पड़े ?

(ख) डाकों में केवल धन का अपहरण ही हुआ या कोई डाकुओं द्वारा क्या कोई हत्यायें भी हुई ? यदि हां, तो कितनी और कहां कहां पर ?

(ग) क्या यह सच है कि लगातार इन डाकों की घटनाओं के कारण इस जिले में सर्वत्र आतंक फैला रहता है ?

(घ) क्या सरकार ने भविष्य में इन घटनाओं को रोकने के लिये कोई निश्चित कदम उठाया है ? अगर हां, तो क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास--(गृह मंत्री)

(क) यह सूचना स्टेटमेन्ट में दी गई है जो कि सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(ख) यह भी स्टेटमेन्ट से ही ज्ञात होगा ।

(ग) जी नहीं । अब वहां किसी प्रकार भी आंतक नहीं हैं ।

(घ) आरनी ग्राम में डाकुओं ने एक डाका डालने का प्रयत्न किया था किन्तु पुलिस ने उनको मार भगाया । वहां की जनता को यह डर है कि कहीं वे डाकू पुनः डाका न डाल दें । इसके लिए काफी रोकथाम कर दी गई है । वहां एक पुलिस पार्टी पहले से ही तैनात है । एक मोटर गाड़ी भी वहां रख दी गई है । इनके अतिरिक्त उदयपुर के डी० आई० जी, चित्तौड़ के पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट तथा उस जिले के जिलाधीश वहां का काफी दौरा करते हैं । एक ग्राम-रक्षा-दल को वहां पर स्थापित करने के प्रयत्न हो रहें हैं । पुलिस पार्टी सदा गश्त लगाती है । इन सब बातों से वहां की जनता में अब कोई आंतक नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री जयनारायण व्यास—सूचना जो कि सरकार द्वारा सदन की मेज पर रखी गई है उसमें डाकों की संख्या कितनी है ?

श्री रामकिशोर व्यास—१२ केस हैं, उनमें से १० केस तो ५४ के है और दो ५५ के है ।

श्री जयनारायण व्यास--जो सूचना रखी गई है क्या उसमें मिल्कियत का भी हिसाब दिया है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास--उस सूची में यह भी है । माननीय अध्यक्ष, यदि आपकी आज्ञा हो तो में पढ़ कर सुना सकता हूं ।

प्रश्न संख्या ७८

राजस्थान के नर्सरी बिजली घरों में हानि-लाभ

श्री जवानसिंह—क्या निर्माण मंत्री महोदय निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) राजस्थान में कितने नर्सरी, (Nursery) बिजली घर है ?

(ब) उपरोक्त बिजली घर नुकसान में या नफे में चल रहे हैं और कितनी कितनी रकमों के हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(अ) राजस्थान में निम्नलिखित तीन नर्सरी बिजली घर हैं;

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

१. हिन्डोन,

२. डीग,

३. सागवाड़ा ।

उपरोक्त बिजलीघरों में से हिन्डोन का बिजलीघर तो लगभग रु० २२५७ सालाना के नफे में चल रहा है और डीग और सागवाड़ा नुक़सान में चल रहे हैं ?

डीग ३०,३१५

सागवाड़ा २०,५३४ रुपये नुकसान में चल रहे हैं।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या माननीय मन्त्री को यह पता है कि सगवाड़ा में महिने में बीस दिन अन्धेरा रहता है और केवल १० दिन बिजली दी जाती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है।

श्री जवानसिंह—नरसरी बिजली घर चलाने का क्या आधार है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—लोगों को बिजली देने के लिये खोले गये हैं।

श्री जवानसिंह—इन तीनों जगहों के ही छांटने का क्या आधार है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यहां के लिये आवश्यक समझा गया।

श्री जवानसिंह—यह आवश्यकता किस आधार पर मानी गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यहां के लोग बिजली लेना चाहते थे।

श्री जवानसिंह—राजस्थान में कई कस्बे और शहर ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है, क्या वहां के लोग बिजली की आवश्यकता नहीं समझते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सन् ५२ में वे ही लोग चाहते थे।

श्री जवानसिंह—और भी नरसरी पॉवर हाउसेज़ चलाने का सरकार इरादा रखती है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नहीं।

श्री जवासिंह—क्या सरकार जिन पॉवर हाउसेज़ में नुकसान हो रहा है उनको बन्द करने का सोच रही है ?

Page No.26

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नई स्कीम के अनुसार जो बड़े बड़े पॉवरहाउसेज़ हैं उनके अलावा और बन्द कर दिये जायेंगे ।

श्री जवानसिंह—नरसरी बिजली घर से क्या मतलब है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—लोगों को नर्स किया जाता है, इससे ये नरसरी कहलाते हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वहां के लोगों को नर्स किया जाता है या कुछ खास लोगों को ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आम जनता को नर्स करने के लिये ही ये बिजली घर खोले गये हैं ।

श्री किशनलाल शाह—अभी जैसा माननीय मन्त्री द्वारा उत्तर दिया गया कि आवश्यकता के आधार पर वहां बिजली घर चालू किये गये, तो क्या वहां के आम लोगों को इसकी आवश्यकता थी, किन किन को आवश्यकता थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता-यह सन् ५२ की बात है, किन किन को आवश्यकता थी, यह पता नहीं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आवश्यकता पर विचार करते समय सरकार चुनाव-क्षेत्र के बारे में भी विचार रखती है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—बिल्कुल नहीं ।

श्री जवानसिंह—इन तीनों जगहों पर नर्स किया गया, क्या इससे वहां के लोग कुछ आदी हो गये या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आदी हो गये, इसी कारण तो बहुत ज्यादा बिजली की डिमान्ड आ रही है ।

प्रश्न संख्या ७६.

बोहड़ा (त० बड़ी सादड़ी) में ग्राम तथा स्टेशन के बीच लुटेरों द्वारा राहगीरों को कष्ट

श्री जगतसिंह झाला—क्या गृह मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) क्या यह सच है कि बोहड़ा, तहसील बड़ी सादड़ी, जिला चितौड़गढ़ में बोहड़ा स्टेशन से बोहड़ा ग्राम में जाने वाले राहगीरों को लुटेरे बदमाश काफी तकलीफ देते हैं ?

(ब) क्या कुछ समय पूर्व एक सरकारी अध्यापक को इस रास्ते पर बुरी तरह मारा गया व सारा सामान लूट लिया गया ?

(स) क्या इस ग्राम के पास इस प्रकार की बार बार आतंकपूर्ण घटनाएं होने का कारण यह है कि यहां से पुलिस स्टेशन करीब १२ मील की दूरी पर है ?

(द) क्या सरकार इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये बोहड़ा बान्सी रेल्वे स्टेशन पर एक पुलिस चौकी शीघ्र ही कायम कर उसका ताल्लुक बड़ी सादड़ी पुलिस स्टेशन से कर देगी ?

श्री रामकिशोर व्यास—(अ) जी नहीं, लुटेरों द्वारा ऐसी वारदात का अभी तक केवल एक केस ही सामने आया है।

(ब) ता. २. १२. ५४ को एक स्कूल मास्टर को कुछ लुटेरों ने बान्सी तथा ग्राम बोहड़ा के बीच अर्धरात्रि के समय लूट लिया था।

(स) जी नहीं।

(द) केवल ऐसी एक ही घटना और वह भी आधी रात को होने से पुलिस चौकी की स्थापना की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री जगतसिंह झाला—इसमें कितना नुकसान हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास—१ हजार २८३ रुपया १५ आना।

प्रश्न संख्या ८०

पदमपुर-रायसिंहनगर सड़क के मार्ग में परिवर्तन

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) पदमपुर रायसिंहनगर सड़क के लिये जो रास्ता तब्दील किया गया है उसके क्या कारण हैं ?

(ख) क्या सरकार उस पत्र-व्यवहार को जो इस सड़क के सम्बन्ध में इस क्षेत्र की जनता और पी० डब्लू० डी० के कर्मचारियों के बीच हुआ है उसे सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में एक जांच कमेटी बनाकर उसकी जांच करायेगी ?

(घ) यदि हां, तो कबतक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) पदमपुर से रायसिंहनगर की सड़क का कोई रास्ता नहीं बदला गया और यह वही है जो शुरुआत में सर्वे किया गया था।

(ख) इस सम्बन्ध में चन्द दर्ख्वास्तें प्राप्त हुई हैं, उनमें दो दर्ख्वास्तें एम० एल० ए० प्रश्नकर्ता महोदय की हैं।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

(ग) आवश्यक नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ८१

गंगानगर जिले के नहरी-क्षेत्र में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत २८ फरवरी, १९५५ तक बनाई गई सड़कें

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गंगानगर जिले के नहरी क्षेत्र में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत २८ फरवरी, १९५५ तक कितनी सड़कें बनाई जा चुकी हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—१५॥ मील सड़कें नहरी इलाके में बन चुकी है :

१. गंगानगर-पदमपुर सड़क मील ६ तक।

२. गंगानगर-पदमपुर सड़क ७ मील

३. १॥ मील श्री शार्दूल टेक्सटाइल मिल गंगानगर को पहुंचने वाली सड़क।

४. गंगानगर से गंग नहर मिलाने वाली एक मील की सड़क; शेष बचे हुए २ मील में काम चालू है ?

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि अब तक वहां एक भी सड़क नहीं बनी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जांच के बाद ही तो जवाब दिया है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गंगानगर और पदमपुर के बीच को जो सड़क बनाने का कहा गया, वहां अभी तक सड़क का एक निशान भी नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—This is giving information and not seeking information.

श्री अध्यक्ष—This is contradicting the information.

कुं० श्री जसवन्त सिंह—I am not giving information.

Page No.29

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--You should seek information not supply information, You are supplying information. That is not... ... ...

श्री जसवन्तसिंह—I am afraid, my dear friend, the Hon'ble Minister is not to judge this. It is the chair who is to judge this.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—You are raising a discussion. I will give you reply. You can raise discussion on the point but you cannot contradict.

श्री अध्यक्ष—I will not allow the Hon'ble Members to discuss things amongst themselves. If a particular reply is given a particular member or one who is conversant with the constituency or with the particular spot, he has every right to challenge the validity of that statement.

(करतल-ध्वनि)

And it is for the Hon.ble Minister to convince him that the road is there or the particular fact is there. There is nothing to offend the Minister on this.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—My submission is that the Member may contradict but cannot supply information.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सड़क जमीन पर बनी है या कागजों पर ही बनी है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जमीन पर।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उत्तर देने का जिम्मा किसने ले रक्खा है ? आवाज और कहीं से आ रही है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह सवाल करने का कोई तरीका है कि सड़क जमीन पर बनी है या आसमान पर ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो यह भी जवाब देने का कोई तरीका है कि सड़क बन गई, जब कि वास्तव में वहां बनी नहीं है। एक माननीय सदस्य जो सम्बन्धित इलाके से आये हैं और वहां से परिचित हैं, वह कहते हैं कि यह सड़क वहां मौजूद नहीं है और आप कहते हैं कि मौजूद है; तो सही किसको माना जावे ? दो के कहने से और न कहने से मामला सही नहीं माना जा सकता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—It is challenging the statement.

श्री अध्यक्ष—Next.

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या यह सड़क ५.० में जो बनी थी उसका हिस्सा भी इसमें शामिल है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो सब अभी बताया है न।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—मेरा मतलब यह है कि वह ६ मील भी उसमें शामिल है क्या ?

श्री अध्यक्ष—आप देख लीजियेगा पहले उसको, सारी डिटेल उसमें बताई हैं। नेक्स्ट। श्री खेतसिंह।

प्रश्न संख्या ८२

सन् १९५४-५५ में नई सड़कों के निर्माण हेतु प्रारम्भिक सर्वे पर व्यय की गई रकम

श्रीखेतसिंह—will the Minister for P. W. D. be pleased to state :

(i) How much amount has been spent for the purposes of preliminary surveys carried out for the construction of new roads during the year 1954-55 ?

(ii) Is it a fact that, inspite of the huge sum spent on such surveys, these have no utility so far as the execution of the works is concerned ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(i) No separate amount is provided for survey work. It is carried out by the permanent staff.

(ii) The question does not arise.

श्री अध्यक्ष—Next.

प्रश्न संख्या ८३

जयपुर स्पिनिंग तथा वीविंग मिल को दी जाने वाली विद्युत् पर लगाई गई दर

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for P. W. D. be pleased to state :

(a) At what rate is electric energy supplied to the Jaipur Spinning and Weaving Mill being charged ?

(b) On what date was the decision taken to charge them at this rate ?

(c) What was the rate being charged from other consumers of power as on that date ?

(d) Why was the same rate not applied to this concern also ?

(e) Will the Government state on what grounds and by whom was this decision taken ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—

(a) Rs. -/1/6 per unit.

(b) The decision was arrived at on the 6th July, 1946.

(c) Rs. -/3/- per unit.

(d) It being a large power consumer.

(e) By the P. W. D. of the Jaipur Government.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् ४६ के बाद में क्या राजस्थान सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है ?

श्री बद्री प्रसाद—पुराने एग्रीमेन्ट पर ही कन्टीन्यू कर रहे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या राजस्थान सरकार ने जयपुर में सिर्फ इन्डस्ट्रियल कन्सर्न्स को किस रेट पर बिजली दी जावे, इस प्रश्न पर कभी विचार किया है ?

श्री बद्री प्रसाद—यह नया सवाल है। जिस इन्डिविज्युअल कन्सर्न के मामले में आप जानकारी चाहते हों वह मुझे बता दीजिये, आपको उत्तर दे दूंगा।

श्री श्रीदास गोयल—इस इन्डस्ट्रियल कन्सर्न को कितनी बिजली प्रतिदिन दी जाती है ?

श्री बद्री प्रसाद—किसको ?

श्री श्रीदास गोयल—जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स को ?

श्री मी बद्री प्रसाद—इसको एक साल में १३ लाख यूनिट बिजली दी गई है। यह बिगेस्ट कन्ज्यूमर है राजस्थान भर में।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जुलाई ५३ में राजस्थान सरकार ने ऐसी आज्ञा जारी की थी कि जयपुर में स्थित औद्योगिक कन्सर्न से दो आना यूनिट के हिसाब से बिजली का चार्ज वसूल किया जावे, क्या यह सही है ?

श्री बद्री प्रसाद—मैं समझा नहीं।

श्री अध्यक्ष—जुलाई सन् ५३ में आपने कोई ऐसी आज्ञा जारी की थी कि जयपुर में ऐसे कन्सर्न्स को दो आना यूनिट के हिसाब से बिजली दी जावेगी ?

श्री बद्री प्रसाद—यह इन्डस्ट्रियल डिपार्टमेंट से कन्सर्न रखता है, पी. डब्लू. डी. से नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह उत्तर मेरे प्रश्न का दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—This is not the concern of this department but of the Industries department.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am asking sir, whether the P. W. D. has taken any such decision in the year 1953 ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—This is a separate question.

श्री हरिकृष्ण व्यास—This is not a separate Question. It is a question which is perfectly relevant because Jaipur Spinning Mill is an industrial concern situated in Jaipur. I am asking whether the Government has taken any such decision ?

श्री अध्यक्ष—Any other supplementary.

श्री हरिकृष्ण व्यास—This is a material supplementary, sir.

श्री अध्यक्ष—But then the member can't force the Hon'ble minister to reply to a particular Question when the information is not with him.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That he can say.

श्री अध्यक्ष—I take it that he has no information for the present. Any other supplementary ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—This may be replied first.

श्री अध्यक्ष—Any other supplementary ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—"Any other supplemantmantry" के लिए तो इसका पहले उत्तर आवे, तो इसके बाद में तय करूंगा। उनको मेरे इस प्रश्न के उत्तर में 'हाँ' या 'ना' तो कहना चाहिये; वरना आगे और सप्लीमेन्टरी करना बेकार होगा।

श्री बद्रीप्रसाद—मैंने कहा कि यह अलग सवाल है। अलग से पूछेंगे तो जानकारी दी जावेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जयपुर में और भी दूसरे इन्डस्ट्रियल कन्सर्न्स हैं उनको जिस रेट पर बिजली दी जाती है उसके मुकाबले में इस कन्सर्न को कम या ज्यादा दी जाती है; दी जाती है तो कितनी ?

श्री बद्री प्रसाद—ऐसा है कि जैसे बॉल बियरिंग कम्पनी को दस पाई पर दी गई है। पॉवर हमारे यहां, जिसको भी दिया जाता है, जिस रेट पर दिया जाता हो उससे घाटा नहीं है।

Page No.33

श्री विश्वम्भर जोशी—Is it a fact that the Electrical Department has been declared as a commercial department ?

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member was not present yesterday. All these questions were replied on the floor of the House yesterday.

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी—My submission was that in the light of that it is still the concern of the P. W. D. to go into that question.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस कन्सर्न के साथ राजस्थान सरकार का ऐसा कोई समझौता है कि इसको इसी रेट पर बिजली देना अनिवार्य है ?

श्री अध्यक्ष—Which ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड।

श्री बद्रीप्रसाद—It is the order of the Government of Jaipur dated 6 th July, 1946. जिस तरह से मैंने बताया कि सन् ४६ के जुलाई में जिस रेट से देते थे उसी रेट से अब तक देते आ रहे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नेशनल बॉल बीयरिंग कम्पनी के साथ जिस रेट पर देने का समझौता है उसमें बाकी के कन्सर्न्स को किस रेट पर बिजली दी जाती है और उस रेट और इस रेट में क्या अन्तर है ?

श्री बद्रीप्रसाद—यह बड़ी इडन्स्ट्री है। इसका लोड भी बहुत ज्यादा है और यह कन्सर्न हमारा लार्जेस्ट कन्ज्यूमर है। इसके साथ ही इन्डस्ट्री को भी प्रोत्साहन देने के लिए यह रेट तय की गई है और फिर मैं यह भी साफ करदूं कि इस रेट पर देने से हमें कोई नुकसान नहीं है और हमने यह भी तय किया है कि अन्य कोई इन्डस्ट्री होगी तो उसको भी इसी तरह से concession दिया जावेगा। हम तो आशा करते हैं कि और भी बड़े बड़े कन्सर्न खोले जावें और इस रियायत से लाभ उठावें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि···

श्री अध्यक्ष—The time is over.

श्री हरिकृष्ण व्यास—देर से प्रारम्भ हुआ था साहब, इस लिए कुछ समय तो और देने की कृपा करें। तो क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जयपुर मेटल इन्डस्ट्री को किस रेट पर दी जाती है ?

श्री अध्यक्ष—Is it within the perview of this ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—He has just now made a statement that this concession is enjoyed not only by this concern but by all concerns, So I ask...

श्री अध्यक्ष—Is the informatiou readily available now ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या आप इस स्थिति में हैं कि निश्चित तौर पर यह कह सकें कि बाकी सभी औद्योगिक कन्सर्न्स को इसी रेट पर बिजली दी जाती है ?

श्री बद्रीप्रसाद—मैंने तो यह कहा कि एक कन्सर्न ऐसा है जिसको कम रेट पर दी जाती है; बाकी औरों को शायद तीन आना पर यूनिट से दी जाती है। आम तौर पर तीन आना पर यूनिट देते है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इस कन्सर्न के सिलसिले में सन् १९५२ में शाया किये हुए हुक्म का आज तक पालन नहीं किया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी कोई आज्ञा मेरे ध्यान में नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कया माननीय मन्त्रीजी जुलाई, १९५२ का पी, डब्ल्यू. डी. विभाग का शाया किया हुआ आदेश कि जयपुर इन्डस्ट्रियल कन्सर्न को इस भाव मे बिजली दी जाय, सदन की मेज पर प्रस्तुत करने को तैयार हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--यह आप सूचना दे रहे हैं, मैं देख कर बता सकूंगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कया इस प्रकार का आदेश शाया हुआ, इसके बारे में निश्चित जानकारी माननीय मन्त्री महोदय के पास है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--मैंने कहा कि आपने सूचना दी है, तो मैं देख कर बता सकता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--मैंने कोई सूचना नहीं दी हैं। मैं पूछ रहा हूं कि ऐसा आदेश शाया हुआ, इसकी जानकारी माननीय मन्त्रीजी को हैं या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने पहले ही कह दिया कि मेरे नोटिस में नहीं है।

श्री अध्यक्ष—अब बजट पर सामान्य वाद विवाद होगा।

आय व्ययक पर सामान्य वाद-ववाद

श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्षजी, यह हमारी सरकार का चौथा बजट इस सदन में पेश किया गया है और हमारी परम्परा के मुताबिक चौथे ही फाइनेन्स मिनिस्टर ने इस बजट को पेश किया है। हर साल हमारी परम्परा रही है कि एक नया फाइनेन्स मिनिस्टर एक नई सरकार के साथ में बजट पेश करे। पिछले साल जब भी ऐसा हुआ तो हम लोगों का खयाल यह था कि आयन्दा यही सरकार और यही फाइनेंस मिनिस्टर इस विधान सभा की जिंदगी तक बजट पेश करते रहेंगे, मगर वह परम्परा के विरुद्ध होता, और प्रसन्नता की बात है कि नये फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इस साल भी वह परम्परा रखी और इस सदन के सामने बजट पेश किया। एक बजट और इसी विधान सभा के सामने

आने को है, और आशा की जाती है कि उस वक्त भी एक नये फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करेंगे। अब···

(वित्त मंत्री के सदन में प्रवेश करने पर)

श्री अध्यक्ष—Unforturatelly he was absent at that time.

कुँवर श्री जसवन्तसिंह—अब बजट पर कुछ कहा जाय उसके पहले मैं, माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा सदन से निवेदन करूंगा कि पहले हम यह देखें कि इस बजट की रूप रेखा क्या है?

हमें यह बतलाया गया है, और मैं कहूं कि संक्षेप में बजट की स्थिति इस प्रकार हमें बतलाई गई है —

ओपनिंग बेलेंस	५४,०८,००० रु०
कन्सोलिडेटेड फण्ड से	२२,३०,००,०० ०रु० की आमदनी।
सारा खर्चा	२४,६६,२६,००० रु०

यानी इस बजट में सारी आमदनी से खर्चा ज्यादा है, और यह बजट २,३६,२६,००० रु०, के घाटे का बजट है। केपिटल खर्चा १५,१५,११,००० रु० है और केपिटल व सारा खर्चा ३६,८४, ४०,००० रु० है। कर्जा लेने आदि के सीगे में कर्जे की रकम ३६,५०,६१,००० रु० है और भुगतान २८,२५,८६,००० रु० हैं। कर्जे के सिलसिले की रकम में बचत १७,२५,००,००० रु० हैं। कन्सोलिडेटेड फन्ड मे कुल घाटा २६,३८,००० रु० है। पब्लिक एकाउन्ट में नेट २०,७४,००० रु० है। इस तरह से इस साल के बाद में क्लोज़िंग बेलेन्स ४५,४४,००० रु० है। यह बिगत संक्षेप में इस बजट में बतलाई गई है।

जो हमारे इन्वेस्टमेन्ट्स हैं, यानी हमारे पास क्या पूंजी थी और क्या घरोहर थी, हमारे पास राजस्थान जिस वक्त बना उस समय, और आज हमारी क्या स्थिति है; उनको इस प्रकार दिखलाया गया है कि १,२४,३१,००० रु० के ट्रस्ट फन्ड को अलग करने के पश्चात् विभिन्न रियासतों से प्राप्त रकम १८,१२,६७,००० रु० थी। इसमें से हमारी सरकार ने पिछले ५ वर्षों में ५,३२,००,००० रु० खर्च कर दिये, और ७५,२२,००० रु० जोड़े। नेट खर्चा किया हुआ ४,५७,४६,००० रु० है। इस तरह से १८,१२,००,००० रुपये की रकम में से हमारे पास कागजों में १३,५५,४८,००० रुपये बताया गया है।

ऐसे तो यह ख्याल किया गया है कि जो इन्वेस्टमेन्ट्स हमने इनहेरिट किये, यानी भूतपूर्व रियासतों से प्राप्त हुये उनमें से सिर्फ ४,५७,००,००० रु० खर्च किये हैं, परन्तु वास्तविकता को देखा जाय तो, माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि १३,५५,४८,००० रु० कागजों में बतलाये गये हैं, और हमारा फाइनेन्स का महकमा बहुत ही चतुर महकमा है। वह कागजों में बहुत सुन्दर तस्वीर बतला सकता है, परन्तु वास्तविकता में तस्वीर का पिछला हिस्सा देखा जाय तो एक और ही चीज़ निकलेगी। १३,५५,४८,००० रु० बजट में इन्वेस्टमेंट में बतलाये गये हैं, उनमें से यह एक ताज्जुब की बात होती है कि १३,५५,४८,००० रु० की रकम के इन्वेस्टमेन्ट्स जो हमने इनहेरिट किये उसमें से

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

१२,१०,००० रु० की केश वेल्यू के इन्वेस्टमेंट्स इम्पीरियल बैंक ऑफ इन्डिया में अडाने रखे हुए हैं। इस वक्त सिवाय एक करोड़ के इन्वेस्टमेन्ट्स के १८ करोड़ के इन्वेस्टमेन्ट्स हमने किये थे, उसमें से वह हमारे पास रह गया है। यह हमारी हालत है। और पिछले सालों में जो हम कर्जा इम्पीरियल बैंक ऑफ इन्डिया से लेते रहे हैं उसमें यह बतलाया गया है कि ३१ मार्च, १९५५, तक हम पर कर्जा, ओवरड्राफ्ट इम्पीरियल बैंक आफ इन्डिया का ६,६६,८६,००० रु० का हो गया है। यह संक्षेप में हमारी माली हालत है।

चाहे वित्त मन्त्रीजी या फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट कुछ ही समझ लें, लेकिन राजस्थान की जनता उनको इस बात का श्रेय नहीं देगी कि उन्होंने पिछले साल में जिस तरह का माली हालत के साथ खिलवाड़ किया है वह सन्तोषजनक नहीं रहा।

पिछले दो बजटों में हमारे दो वित्त मन्त्रियों ने एक सन्तुलित बजट इस सदन के सामने पेश किया था; यानी सन् ५३–५४ और ५४–५५ के। मुमकिन है, उन्होंने यह खयाल किया हो कि अगर घाटे का बजट दिखावें तो यह हमारी राजस्थान रियासत के लिए, राज्य के लिए, अच्छी बात नहीं होगी, मगर यह एक खुशी की बात है कि वर्तमान वित्त मन्त्री महोदय ने वास्तविकता को अपने सामने रखा, यानी जैसी हालत थी वही हालत देखकर २,३९,००,००० रु० के घाटे का बजट दिखलाया, और घाटे का बजट दिखाने से कोई मानहानि या और किसी गलत फहमी का सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि आप अमेरिका का बजट देखें, या इग्लैन्ड का बजट देखें, लेकिन आज दुनिया का सबसे धनाढ्य राज्य अमेरिका है, वहां का बजट भी घाटे का बजट किया हुआ दिखाया जाता है; तो घाटे का बजट दिखाने में कोई हानि नहीं है। यह वास्तविकता इस सदन के सामने और इस प्रान्त के सामने रखी गई है।

अब मैं इन प्रिलिमिनरी रिमार्क्स बाद इस बजट के आकड़ों पर आना पसंद करूंगा। माननीय अध्यक्ष, हमारे वर्तमान वित्त मंत्री मेरे पुराने साथी हैं और मैं जानता हूं कि वे बड़े कुशल मंत्री हैं और कम से कम फाइनेन्सेज़ के मामले में एक एक्सपर्ट हैं इसीलिये अब तक जब कि राजस्थान का बजट सुचारू रूप से नही चलाया गया था, मेरे माननीय मित्र को एक सिरोंज जैसे मध्यभारत के हिस्से से बड़ी मुश्किल से लाकर, उनको यहां बिठाया जिसके लिये उन्हें भी बड़ी परेशानी हुई और पैसा खर्च करना पड़ा; मुमकिन है कि राजस्थान सरकार को भी पैसा खर्च करना पड़ा, मुमकिन है कांग्रेस पार्टी को भी इसमें बड़ी दिक्कत उठानी पड़ी हो और बड़ी मुश्किल से मध्य भारत से उठाकर विधान सभा के मध्य में यहां लाये। उनको उनकी कुशलता के कारण यहां लाये और हमें भी आशा थी कि जब इस साल वे इस बजट को पेश करेंगे तो कुछ महत्व की बातें इस बजट में बतायेंगे लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह बजट यदि हमारे वर्तमान कुशल फाइनेन्शियल एक्सपर्ट वित्त मंत्री न होते तो भी फाइनेन्स डिपार्टमेंन्ट के नोमेल क्लेरिकल वर्क के नीचे दो-चार साल के फीगर्स कम्पेअर करके यही बजट बनाकर सदन के सामने अच्छी तरह से रखा जा सकता था। आपके हाथ की कुशलता का नमूना देखने के लिए हम बहुत उत्सुक थे, लेकिन एक भी सीगा और एक भी आइटम इस बजट में, जिसके सैकड़ों और हजारों पेजेज़ छपा दिये गये हैं, प्रेस को भी इसमें बहुत मेहनत पड़ी है, राजस-

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

थान के फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट को भी छपाई में काफी खर्चा करना पड़ा है; सिवाय कस्टम के जो मजबूरन हमारी सरकार को उठाना पड़ा है, हमारे विरोधी पक्ष और उधर बैठने वाले कुछ मित्रों की तरफ से बार बार तीन साल से सरकार पर जोर दिया जा रहा था कि कस्टम ड्यूटी को उठाया जाय लेकिन सरकार ने इसे उठाना पसन्द नहीं किया था। खुशी की बात है कि इस साल मजबूरन केन्द्री सरकार के हुक्म से और कॉस्टीट्यूशन के प्रोविज़न्स के तांबे उन्हें कस्टम ड्यूटी को उठाना पड़ा। सिवाय इस एक आइटम के, जिसका भी श्रेय हम सरकार को नहीं दे सकते, सारे बजट में कोई बात ऐसी नहीं है, जिसको महत्व दिया जाय। सिवाय इसके कि दो-तीन साल के आंकड़े देखकर कुछ हजार और कुछ लाख रुपये इधर के उधर रख दिये और बजट का आंकड़ा सदन के सामने रख दिया।

अब मैं सर्व प्रथम आमदनी का सीगा, अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने रखूंगा और मेरे जो विचार इसके मुत्तल्लिक हैं उनको आपके सामने रखूंगा। सबसे पहला लैंड रेवेन्यू का आइटम है। इस सीगे में ५ करोड़ ७५ लाख रुपयों की आमदनी दिखलाई गई है और इस रकम में से २ करोड़ १० लाख रुपये की ऐसी रकम दिखलाई गई है जो जागीर पुनर्ग्रहण से हमारे राज्य को प्राप्त होगी। मेरा ऐसा खयाल है कि जिस किसी ने, चाहे रेवेन्यु ऑफिसर्स या डिस्ट्रिक्ट ओफिसर्स ने ये फीगर्स भेजे हैं या फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने स्वत: रखे हैं या वित्त मंत्रीजी ने रखे हैं उन्होंने वास्तविकता को सामने रखते हुए ये फीगर्स नहीं रखे हैं, यह इसलिये कि हमें पिछले साल का कटु अनुभव है कि जिन जिन जागीरों का पुनर्ग्रहण सरकार ने किया है उनका क्या नतीजा रहा है। मैं दावे के साथ अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने कहना चाहूंगा कि एक साल हो गया, बहुत सी जागीरें पुनर्ग्रहण कर ली गईं, मगर आज तक पिछले की आमदनी इन इलाकों की हमारे कर्मचारी वसूल नहीं कर सके। उनकी अज्ञानता है या उनको दिलचस्पी काम करने की नहीं है, इसके लिये कुछ कहने को मैं तैयार नहीं हूं। यह स्पष्ट है कि कुछ जागीरी इलाकों में हमने प्रत्यक्ष यह देखा है कि वहां के टिनेन्ट्स या एग्रीकल्चरिस्ट अपने हाथ में रुपये लिये हुए यह विनय करते हुए घूम रहे हैं और जगह २ जा रहे हैं कि कोई रुपये लेवे। वे जागीरदारों के पास जा रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों केपास जा रहे हैं, तहसीलदारों के पास जा रहे हैं लेकिन हमारे अधिकारी अब तक इस बात के लिये तैयार नहीं हैं। उनका क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिये बहुत सी जगह लिखित रूप में हमारे तहसीलदारों को और दूसरे कई अधिकारियों को कहा है कि आप निर्णय करें कि रुपये किसको लेने हैं। हमारी सेन्ट्रल एडवाइज़री कमेटी है, जागीर पुनर्ग्रहण के लिये, जिसकेअध्यक्ष स्वयं मुख्य मंत्रीजी हैं, उनके सामने भी इस बात को जोर रखा गया। यह आज की बात नहीं है बल्कि ३–४ महिने पहले की बात है। उनसे कहा गया कि रकम लेने का प्रबन्ध किया जाय, नहीं तो गरीबों पर ज्यादती होगी। दो तीन साल की रकम चढ़ जायगीतो उनको देना कठिन हो जायगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि अधिकांश हिस्से में रकम वसूली का कोई प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है और इस पुनर्ग्रहण एक्ट के तांबे जो पिछले साल की बकाया का सवाल है उसको तो जाने दीजिये, उसका तो कोई सवाल ही नहीं है मगर इस हालत को देखते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि २ करोड़ १० लाख रुपये जो बजट में दिखलाये गये हैं, कि जागीरों से राज्य प्राप्त कर लेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि उसमें से १ करोड़ रुपया भी प्राप्त कर लेना मुश्किल है। जिस प्रकार की हालत चल रही है उस प्रकार की हालत में तो यह एक संदेहास्पद बात है।

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

इसके अलावा इसमें यह दिखाया गया है कि १ करोड़ ३२ लाख ६८ हजार रुपये कम्पेन्सेशन रूप में जो जागीरें पुनर्ग्रहण की जायेंगी उन जागीरदारों को दिये जायेंगे। इस पर भी अमल अब तक कुछ नहीं किया जा रहा है। सरकारी अभिप्राय तो सिद्ध हो गया कि किसी तरह से जागीरें ले ली जायं। मगर दुःख इस बात का है कि जो कानून हम सदन में पास करते हैं उसकी अवहेलना की जाती है। इसकी अवहेलना करना सरकार को शोभा नहीं देता! उस कानून में साफ लिखा है कि पुनर्ग्रहण होने के ६ महिने बाद ही कम से कम इंटेरिम कम्पेन्सेशन तो फौरन ही दिया जायगा। मैं निवेदन करूंगा कि मेरे एक मित्र जो यहां मेरे पास ही बैठे हैं; राव राजा साहब उनियारा की जागीर को पुनर्ग्रहण किये हुये आज १० महिने हुए हैं लेकिन अब तक उनको मुआवजा या कपेन्सेशन देना सरकार ने उचित नहीं समझा। तो ये जो रिट्स और दूसरी ऐसी बातें इस मामले में बढ़ रही हैं उनका पूरा जस्टिफिकेशन है और मैं तो यह समझता हूं कि यह सरकार की गफलत है कि जो काम आसानी से और समझौते से तय हुआ था उसमें लापरवाही की वजह से बाधा पड़े और सरकार को नुकसान हो रहा है और जो कॉन्फीडेन्स जनता का सरकार में होना चाहिये वह विश्वास सरकार में जाता रहा है।

यह एक सबसे बड़ी बुरी बात है, इस पर वे गौर करके सोचें और इसका कुछ न कुछ उपाय करें।

अब माननीय अध्यक्षजी, जो दूसरी बातें हमारे बजट में बताई गई हैं, उनमें से बड़ी-बड़ी रकमों को ही लेता हूं, उन रकमों में २ करोड़ ७५ लाख की आमदनी बजट में एक्साइज ड्युटी की बताई गई है।

मैं मेरे मित्र और साथी वित्त मंत्रीजी से निवेदन करू कि जिस पार्टी के नेता वे है उस पार्टी की ओर से और अपनी सरकार की ओर से अपनी सरकार का लक्ष्य सामने रखते हुए उन्होंने कहा था और हमेशा कहते आयें हैं और यह तो आज कल इस कांग्रेस पार्टी का करीब-करीब स्लोगन ही बन गया है कि हमारा लक्ष्य वेलफेअर स्टेट, लोक-कल्याणकारी राज्य बनाना है। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि महात्मा गांधी, जिनके उसूलों और बताये हुए मार्ग पर चलने का वे दावा करते हैं, वे तो शराब को बिल्कुल बन्द करना चाहते थे। तो जिस चीज़ को महात्मा गाधी बिल्कुल बन्द करना चाहते थे, २ करोड़ ७६ लाख की बहुत बड़ी रकम सरकार की आमदनी का आधा हिस्सा उसी शराब पर निर्भर है, तो फिर यह समझ में नहीं आता कि यह लोक-कल्याणकारी सरकार किस प्रकार बनाई जा रही है। मैं शराब के लिये पहले पहल कहूं। जो कन्ट्री लिकर सरकार कन्टेक्टर्स से खरीदती है या बनाती है तो पहले मैं यह निवेदन करुंगा कि खाली शराब की आमदनी १७५ लाख है, उसमें शराब की कीमत सिर्फ २० लाख रुपया है। वित्त मंत्रीजी जरा इस पर खयाल करें, मैं दुबारा कहे देता हूँ कि सरकार को केवल शराब से १ करोड़ ७५ लाख की आमदनी है, उसमें शराब की कीमत सिर्फ २००००० रु० है और इस पर जो ड्यूटी की तजबीज कर रहे हैं कि २० लाख की कीमत की शराब, उस पर १२५ लाख की ड्यूटी लगाई जाय तो मैं निवेदन करुंगा कि लोक कल्याणकारी राज्य बनाने का लक्ष्य का दावा करने वाले मामूली प्रोफिटियरिंग के लिये व्यापारियों को गालियें देते हैं तो सरकार खुद २० लाख की कीमत की शराब पर १ करोड़ २५ लाख रुपये की ड्यूटी लगा दे, इतना बड़ा प्रोफिटियरिंग करे, क्या यही लोक कल्याणकारी राज्य है?

एक माननीय सदस्य—यह तो ब्लेक मार्केटिंग है।

श्री जसवन्तसिंह—यह ब्लैक मार्केटिंग ओफ फर्स्ट रेट है और black marketing of the first water है।

यह बड़े दुख की बात है। इतना ही ब्लैक मार्केटिंग और प्रोफिटियरिंग करके सरकार बैठ जाती तो मैं ज्यादा नहीं कहता, पर ३० लाख की लाइसेंस फीस और लगाती है। इस तरह अकेली शराब की आमदनी से यह वेलफेअर स्टेट १७५ लाख की आमदनी करती है। यह कैसा कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य है ? इसका नतीजा यह होता है कि घर घर भट्टियां हैं और इसको रोकने के लिये सात–आठ लाख रुपये एन्टी स्मगलिंग फोर्स पर खर्च किया जाता है। चाहे एन्टी स्मगलिंग पर सात आठ लाख रुपया खर्च करें, फिर भी घर घर शराब निकाली जाती है। वित्त मंत्रीजी ब्राह्मण होते हुए भी अगर शराब चखना चाहें तो मेरे साथ चलें मैं उनको बता सकता हूं कि......

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—I am afraid, I might be caught for abet ment.

श्री जसवन्तसिंह—राज्य की ओर से जो शराब बनती है उससे कोई १० गुना ज्यादा अच्छी शराब लोग घर घर में बनाते हैं; वह उनको चखाऊं और इससे उनको मालूम हो जायगा कि कितनी अच्छी शराब बनती है। जनता को पीने के लिये जो शराब दिया जाता है वह क्वालिटी के लिहाज से जहर है, यह जनता के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। यह ब्लैक मार्केटिंग करना हीं नहीं बल्कि कानून को तोड़ना भी है जो किसी राज्य सरकार के लिये शोभा की बात नहीं कही जा सकती। आज बिना किसी डर के बगैर किसी भय के घर घर में इल्लिसिट शराब बनाई जाती है, इससे राज्य की आमदनी भी मारी जाती है और जो लोग शराब पीने वाले हैं उनके स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचता है।

श्री चन्दनमल वैद—आप सरकारी शराब पीते हैं या इन्डीविज्युअल भट्टियों की ?

श्री जसवन्तसिंह—आज तक तो मैं कह सकता हूं कि न मैं सरकार द्वारा निकाली हुई शराब पीता हूं और न इल्लिसिट को पीता हूं। अब तक तो अंग्रेजों के प्रताप से बहुत अच्छी शराब मिलती है उसको मैं बड़े आनन्द और प्रशंसा के साथ इस्तेमाल में लाता हूं

श्री श्रीदास गोयल—आप वैद्यों की निकालीं हुई शराब तो इस्तेमाल में नहीं लाते।

श्री जसवन्तसिंह—इसी तरह ओपियम का (अमल का) हाल है। इस पर २४५० हजार रुपये की कीमत के ऊपर ६४ लाख रुपया कस्टम ड्यूटी लगाई गई है। इतनी बड़ी रकम रख कर फिर इस राज्य को जन-कल्याणकारी राज्य बनाने का दावा किया जाता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मन्त्री)—Opium is a central subject.

श्री जसवन्तसिंह—इस प्रकार शराब और अफीम की आमदनी पर चलने वाली सरकार कभी वेलफेअर स्टेट नहीं कही जा सकती।

अब मैं दूसरी इन्डस्ट्री और सप्लाई के बारे में निवेदन करूं। गंगानगर सुगर फैक्ट्री, जिसे सरकार ने लीज पर लिया है उसके बारे में एक्सपर्ट जोधपुर से आये हुए माननीय साथी श्री हरिकृष्ण व्यास हैं, वे इस पर बोलने का अधिकार रखते हैं पर थोड़ी बहुत जानकारी मैं भी रखता हूं। मेरा सरकार से झगड़ा इस बात से है कि सिर्फ कागजों पर फीगर्स रख कर और विधान सभा के जो हम सदस्य हैं, उनसे भी आप पोशीदा रखना चाहते हैं, अपने आपको सन्तोष देने के लिये या दूसरों को धोखा देने के लिए। हम जो उनके साथी हैं उनको तो कम से कम कोन्फीडेन्स में लेना चाहिये। हमारे मन्त्री महोदय जो इससे ताल्लुक रखते हैं वे इस समय यहां मौजूद नहीं हैं। पिछले दिनों श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण पर वाद-विवाद के समय इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई पर ऐसा मालूम होता है कि इस विषय के सम्बन्धित मन्त्री महोदय नये खिलाड़ी हैं जिससे पूरा सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे सके।

बजट में गंगानगर सुगर फैक्टरी के लिए ३६ लाख की आमदनी बताई गई है। इस तस्वीर के पीछे का हिस्सा देखा जाय तो ३२ लाख रुपये तो इस पर खर्च के आते हैं, ४ लाख जो बचे उन ४ लाख रुपयों के लिये मैं सम्बन्धित मन्त्री महोदय से पूछ रहा था कि हमारे सेट पोद्दारजी को कितनी रकम उसमें से दी गई है और कितनी नेट आई है। इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, या उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। ४ लाख की रकम बच गई है उसमें से रामनाथ जी पोद्दार जो कि इस लीज़ पर दी गई गंगानगर सुगर फैक्टरी के मैनेजिंग एजन्ट्स थे, उनको कितनी रकम दी गई है, यह वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे। इस सुगर फैक्टरी को चलाने के लिये हमारे राज्य के बहुत बड़े अधिकारी जो कि कभी बीकानेर के कमिश्नर रह चुके हैं उन डाइरेक्टर इन्डस्ट्रीज़ को सुगर फैक्टरी का मैनेजर भी बनाया गया है और इस सिलसिले में उनका एक महीने में कम से कम ५ या १० बार जयपुर का या गंगानगर और जयपुर के बीच का दौरा होता है। मैं फाइनेन्स मिनिस्टर से यह पूछना चाहता हूं कि वे यह बतलाने की कृपा करें कि उनका भत्ता और आने जाने का किराया कितना खर्च पड़ा और उसके बाद जो हमारा इन्वेस्टमेंट सेठ पोद्दारजी के पास है, जो लाखों रुपयों की रकम है, उसका ब्याज कितना होता है? इन सब को ध्यान में रखने के बाद बतावें कि सुगर फैक्ट्री को लेकर कितना फायदा उठाया। तब हमें सन्तोष होगा कि इसको जो महत्ता दी जा रही है वह कहां तक ठीक है?

दूसरी बात सप्लाई के मुतल्लिक है, जिस विषय से मैं भी थोड़ी जानकारी रखता हूं। बीकानेर राज्य के वक्त से एक टेक्सटाइल मर्केन्टाइल कमेटी हुआ करती थी। उस कमेटी का रुपया ३ लाख जमा था और यह तय हुआ था कि २ प्रतिशत के हिसाब से सुपर एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज़ का रुपया काटा जावेगा। काम सारा सरकार करती थी। उसका २॥ लाख या ३ लाख रुपया बीकानेर बैंक में जमा था। सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज़ का रु० १॥ लाख होता था। राजस्थान के निर्माण होने के पहले से वह झगड़े की रकम बीकानेर बैंक में पड़ी थी। लेकिन हमें बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है व हमारे सुनने में आया है कि एक दो महीना सरकार ने १॥ लाख रुपया इस टेक्सटाइल कमेटी को सौंप दिया है। क्यों सौंप दिया गया, इसकी वजह यह है कि उसके सेक्रेट्री बीकानेर कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं।

[श्री जसवन्तसिंह]

जो पिछले साल तक सरकार थी उससे बड़ी कोशिश की जाती रही कि यह १॥ लाख रुपया किसी तरह से उनके हाथ आ जावे, पर उस सरकार ने नहीं दिया। लेकिन पिछले महीने में, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस १॥ लाख रुपये की रकम की जो सरकार को आमदनी हुई थी उसे हमारी मंजूदा सरकार ने इस टेक्सटाइल मर्केन्टाइल कमेटी के सेक्रेट्री को सौंप दिया है, ऐसा सुनने में आया है। यह राजस्थान के लिये बहुत अहित की बात है। हमारा फाइनेन्स डिपार्टमेंट जिसका यह कर्त्तव्य है कि वह हमारे फाइनेन्स की रखवाली करे उसे इस तरह नहीं करना चाहिये। हमारे यहां जैसे कहावत है "बाड़ भी खेत को खाने लग जाती है तो खेत में जो उपजता है उसके उपजने की कोई आशा ही नहीं होगी"। तो हमारे फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने यह १॥ लाख रुपया किसी के दबाव में आकर या पोलिटिकल कारणों से उनको सौंप दिया है, तो मैं कह सकता हूं कि किसी तरह से इस प्रकार के कार्य के लिये सरकार को श्रेय नहीं दिया जा सकता।

माननीय अध्यक्षजी, मैं दूसरी बात बहुत महत्व के विभाग पर कहना पसन्द करूंगा। वह है माइन्स डिपार्टमेंट। इसमें कोलेरी भी आ जाती है। इसमें करोड़ों रुपयों की आमदनी की बचत की गुंजायश है और जो हमको यह डर है कि कस्टम ड्युटी जाने से हमारे बजट को घाटे का सामना करना पड़ेगा और हमें हैड टाइट करना पड़ेगा, अगर हमारी सरकार यह सोच कर चले कि किसी पोलिटिकल पार्टी का खयाल नहीं रखेगी और पब्लिक के हित के लिये कार्य करेगी तो यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि करोड़ों रुपयों की आमदनी माइन्स से हो सकती है। मैं ५–६ मिसालें दूंगा और बताऊंगा कि लाखों रुपया हमारी सरकार ने अपने आप पोलिटिकल प्रेशर की वजह से लोगों को सौंप दिया और मैं ऐसी मिसालें दूंगा जिनसे पता लगेगा कि हमारी सरकार ने स्वतन्त्र ख्यालों से काम नहीं किया है।

सबसे पहले मैं पलाना कोलेरी के लिये कहना उचित समझता हूं। बजट में पलाना कोलेरी से ४,७१,००० लाख रुपयों की आमदनी दिखाई गई है। जो बीकानेर का पॉवर हाउस है वह पलाना कोल से चलता है। वास्तव में देखा जाय तो वह कौल नहीं है, सही माने में वह लिगेनाइट है। पलाना में लिगेनाइट निकलता है। सालाना ५० हजार और ६० हजार टन का एवरेज था और राजस्थान के निर्माण होने के बाद तक सब का सब कोयला जो पॉवर हाउस बीकानेर में जलता था वह पलाना से लिया जाता था। लेकिन पिछले दो-तीन सालों से मेरी समझ में नहीं आता कि किस कारण से यह जो सोने की खान है, वैसे तो यह कोयले की खान है, लेकिन मैं इसको सोने की कहूंगा क्योंकि यह लाखों रूपये की आमदनी घर बैठे देती है, उसको उन्होंने अपनी गफलत या उसको अयोग्यता कह दीजिये, से खोदी। बीकानेर पॉवर जाउस में ५० हजार या ६० हजार टन कोयला सब का सब पलाना की कोलरी से दिया जाता था, अब २५ हजार टन कोयला दिया जाता है। जहां पिछले साल तक ७५ हजार टन कोयला निकलता था अब २५ हजार टन से ज्यादा नहीं निकलता। नतीजा यह हुआ कि २५–३० हजार टन कोयला बंगाल और बिहार की कोल माइन्स से लाकर बीकानेर में डाला जाता है। उस कोल की कीमत फी टन ३८ रुपये है, जब कि बीकानेर के कोयले की कीमत सिर्फ ११ रूपया फी टन है। इसका डिफरेन्स मैं कहता हूं कि ६ लाख ७५ हजार होता है। हम पूरा कोयला बीकानेर पॉवर हाउस को दे कर और दूसरे जो गंगानगर का पॉवर हाउस है उसको देवें तो मैं यह कहूंगा कि

[कु ० श्री जसवन्तसिंह]

पलाना कोलरी अकेली से २० लाख रूपयों की सालाना आमदनी हो सकती है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन इसके लिये कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ दिमाग को तकलीफ देनी पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष, हमारे यहां अंग्रेजी में जैसे कहावत हैं; "पेनी वाइज़ एन्ड पौंड फुलिश"; उसी प्रकार आप एक रूपये को खर्च नही करेंगे और उसकी जगह एक हजार रूपये खर्च हो जाएं, उसका आपको अफसोस नहीं है। इसी कारण से २० लाख से ४ लाख रूपया की आमदनी रह गई है, उसका कारण है "पेनी वाइज पौंड फुलिश" की पोलिसी। वहां की कोलरी का जो मैनेजर है वह उस क्वालि-फिकेशन का नहीं है, जो अभी नये रुल्स निकले उनके माफिक जिस क्वालीकेशन की जरुरत है। नये रुल्स के अनुसार वह डिग्री होल्डर होना चाहिये। अगर वह डिग्री होल्डर नहीं है तो वह उतना कोयला खान से निकाल नहीं सकता क्योंकि सेन्टर से लॉ बना हुआ है कि जब तक हाई क्वालीफिकेशन का आदमी वहां नहीं रखा तो २५ हजार से ज्यादा कोयला नहीं निकाल सकते।

यह एक बिलकुल मामूली बात है। लेकिन नये रुल्स के माफिक क्वालिफाइड आदमी को एक हजार रूपया तनख्वाह देकर ५० हजार टन कोयला निकालना मन्जूर नहीं और छोटी क्वालिफिकेशन के आदमी को रख कर, पांच सौ रुपया तनख्वाह देकर हमारी सरकार को २० लाख की आमदनी का नुकसान उठाना मंजूर है। उसको अधिक तनख्वाह क्यों मिले? इसी प्रकार एक असिस्टेन्ट इन्जीनियर था, जिसको बीकानेर गवर्नमेन्ट ने ट्रेनिंग के लिए भेजा और जब वह वापिस आया तो तनख्वाह का सवाल अड़ गया और वह आदमी वहां से छोड़ गया और आज उसको धनवाद खानों में दो हजार रुपये की तनख्वाह मिल रही है। यह बीकानेर का एक ट्रेनी था। इस प्रकार चार सौ पांच सौ रुपये के आदमी को रख कर २० लाख रुपया की आमदनी का नुकसान सहन करना फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट को मंजूर है।

माननीय अध्यक्ष, मैं जो कुछ बात कह रहा था उनको अब जल्दी जल्दी कहना पड़ेगा। हमारे इस माइन्स डिपार्टमेन्ट के लिए छः-सात बातें ऐसी हैं कि जिनसे लाखों रुपयों की आमदनी हो सकती थी और इन्क्वायरी की जाय तो अब भी हो सकती है लेकिन मैं यह मान कर चलता हूं कि न तो सरकार की हिम्मत पड़ेगी कि इसकी इन्क्वायरी करवाये क्योंकि इससे ऐसे गुल खिलेंगे कि जिससे हमारी सरकार के मन्त्री मण्डल में हलचल पड़ जायगी।

(राज श्री हिम्मतसिंह, सभापति, पदासीन)

माननीय चेयरमैन, मैं आपके सामने चार-पांच बातें रखूंगा।

एक हमारे दूदू वालों की माइका की खान उदयपुर में थी और एग्रीमेन्ट के माफिक कुछ समय निकलने के बाद में अगर उस माइका को वे न हटावें तो वह सरकार में जब्त हो जानी चाहिए थी। अगर वह सब की सब माइका, लाखों रुपयों की माइका जो सरकार के पास एग्रीमेन्ट के तावे आ गई थी वह माइका किसी कारण से उन सेठ साहब को वहां से हटाने की इजाजत दे दी गई थी। कुछ सिमिलर केसेज़ भी हैं। जैसे पुसालाल मानसिंह का, इनकी माइका उसी रूप में होने पर भी नहीं

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

हटाने दिया गया। नतीजा यह हुआ कि मैसर्स दूद वालों से एग्रीमेन्ट के माफिक जुर्माना हासिल करने के योग्य था वह रकम हमारी सरकार के हाथ से निकल गई।

माननीय चेयरमेन, एक मैसर्स मूलचन्द सुगनचन्द उदयपुर के हैं, उनको प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स एमरेल्ड के लिए एक एरिया में इजाजत दी गई थी, लेकिन उसने उस जगह प्रोस्पेक्टिंग न करके एक गनकुड़ा जगह हैं वहां प्रोस्पेक्टिंग किया और सरकार का हुक्म हुआ कि इनकी सारी चीजें कोन्फिस्केट होंगी और वह सरकार को फोरफिट होंगी, कागज़ों में ये आदेश मौजूद हैं। मैं इसके लिए खासतौर पर हमारे दोस्त जोधपुर के श्री हरिकृष्ण व्यास का आभारी हूं कि इस तरह की सीक्रेट इन्फोरमेशन और सही इन्फोरमेशन हम लोगों को उनसे मिल जाती है।

(हंसी)

यह सरकार के कागजों में है, तो मैं यह कह रहा था कि यह मेसर्स मूलचन्द सुगनचन्द की लाखों रुपयों की प्रोपर्टी गवर्नमेंट की फाइलों में ऑर्डर्स होते हुये भी कि यह जब्त कर ली जाय और यह गवर्नमेन्ट को फोरफिट हो जायगी, हमारे मन्त्री मण्डल ने यह सब प्रोपर्टी उनको प्रेजेन्ट कर दी। खर्चा लगा तो जनता का लगा, उनकी पोकेट से क्या गया ?

तीसरी बात माननीय चेयरमैन, जो मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि हमारे बीकानेर के पास दरबारी जगह है जहां कि कंकर एक्स्केवेट किये जाते हैं जो रेल की पटरियों के लिए और सड़कों के लिए काम में आते हैं। लाखों रुपयों के कंकरों का गवर्नमेंट द्वारा ठेका दिया जाता है। एक ठेकेदार साहब थे जिनका और गवर्नमेंट का इस ठेके के सिलसिले में झगड़ा हुआ। लिटिगेशन में गये। सरकार और ठेकेदार साहब दोनों गये। कोर्ट का फैसला सरकार के हक में हो गया किन्तु सरकार के हक में फैसला होने के बाद भी सरकार ने फैसले से आंख मींच कर जो हजोना कन्ट्रेक्टर से लेना चाहिए था वह उसको प्रेजेन्ट कर दिया। सरकार के फेवर में फैसला हुआ, यह एक मार्के की बात है कि उससे लाखों रुपयों की सरकार को आमदनी हो सकती थी।

माननीय चेयरमैन, मैं एक और बात लाखों रुपयों की आमदनी अपने हाथ से दूसरों को सरकार ने प्रेजेन्ट की उसको बताना चाहूंगा। अगर आप अपनी पॉकेट से पांच रुपया प्रेजेन्ट कर दें तो हमको एतराज नहीं होगा लेकिन हमको जनता के लाखों रुपयों और करोड़ों रुपयों को, जब कि जनता ने उनको अपने प्रतिनिधि के रूप में इस काम को सम्हालने के लिए भेजा है, जान बूझ कर, पॉलोटिकल प्रेशर की वजह से या स्वार्थ की वजह से प्रेजेन्ट करें तो एतराज होना वाजिब है। लाखों रुपया प्रेजेंट किया उसकी एक एक्जाम्पल है और वह यह है कि बीकानेर के पास में मढ़ करके एक जगह हैं जहां फुलर्स अर्थ निकलती है। दो पार्टीज़ ठेका लेना चाहती थीं। एक पार्टी भूतपूर्व मुख्य मंत्री से एप्रूवल करा लेती है कि १ लाख २८ हजार रुपया देगी। दूसरी पार्टी भी तैयार थी; देट मीन्स २ लाख ५६ हजार रुपयों की रायल्टी सरकार को देने के लिए तैयार थी। मंजूरी व सब काम हो गया लेकिन किसी वजह से उनकी लीज़ एक्जीक्यूट नहीं की गई और लोग मुफ्त में उस मुल्तानी मिट्टी को, (फुलर्स अर्थ) को निकालते हैं और ऐसे आदमी को दे देते हैं कि जिनसे रॉयल्टी वसूल नहीं होती

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

है। इस तरह यह २;५६ हजार रुपयों का सरकार को नुकसान हो रहा है। हो भले ही, सरकार के पास रुपया है, सरकार को केन्द्र की सरकार की मदद है, नोट्स छापे खाने में छप जाते हैं, बन्डल्स के बन्डल्स छाप कर भेज देते हैं, लेकिन अपनी मेहनत से आमदनी करके खर्च करें तो जरा जोर भी आवे। लेकिन जब मुफ्त में मिले और पुण्य में मिले तो उसमें जोर क्या आता है ? ये कॉन्क्रीट फेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट के कागजात से लाये गये हैं और जिनके आधार पर ऑथरिटी से बोल रहा हूं।

एक लालचंद खेमराज करके महोदय थे जिनको फुलर्स अर्थ निकालने की लीज़ दी गई और उनको १।।।) प्रति टन की रॉयल्टी मंजूर की गई जब कि दूसरे २७) रू० प्रति टन फुलर्स अर्थ पर रॉयल्टी देने को तैयार थे। २७) रू० प्रति टन की रॉयल्टी फुलर्स अर्थ की बहुत से व्यक्ति देने के लिए तैयार थे और लीज़ लेने को तैयार थे, उनको वह नहीं दी गई किन्तु मैसर्स लालचन्द खेमराज महाशय को १।।।) रू० प्रति टन एज अगेन्स्ट २७) रू० प्रति टन दी गई। इससे लाखों रुपयों की सरकार को आमदनी हो सकती थी किन्तु उन रुपयों को सरकार ने फैंक दिया, पानी की तरह फैंक दिया।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष, अब एक दूसरा सवाल है। वह भी दिलचस्प सवाल है। एक मैसर्स दौसा सोप स्टोन कम्पनी थी। इनके भी एक मुख्य कार्यकर्ता वे ही थे जिनका कि बीकानेर टेक्सटाइल्स मर्चेन्ट्स कमेटी का हवाला देते हुए बतलाया था। वे महाशय इस दौसा सोप स्टोन कम्पनी के मालिक (प्रोप्राइटर) थे। उन्होंने दौसा के पास सोप स्टोन की फैक्टरी चलायी और एक अर्से तक चलायी, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट को धोखा देकर एक पैसा भी रॉयल्टी का नहीं दिया।

इसी तरह से कोटा लाइम सिन्डीकेट कम्पनी है, उसकी लीज़ का रुपया आज तक सरकार ने कलेक्ट नहीं किया।

लिस्ट मेरे पास बहुत लम्बी-चौड़ी है। एक उदाहरण देकर मैं इस विषय को छोडूंगा।

इसके अलावा और भी एक महत्व का विषय है, उपाध्यक्षजी, वह यह है कि बीकानेर में सॉल्ट पीटर बहुतायत से होता है और उसके डेडरेन्ट के लिए ४० हजार रुपये का ओफर एक व्यक्ति ने गवर्नमेंट को किया। वह व्यक्ति ४० हजार रुपया उसके लिए डेडरेन्ट की बतौर देने को तैयार था कि वह सॉल्ट पिटर उसको एक साल के लिए दे दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, होता यह है कि उसके लिए, वह मैं सदन को निवेदन करूं कि वह ठेका उस व्यक्ति को जो चालीस हजार रुपया देने को तैयार था न, दिया जाकर १,३७५ रुपये में वह ठेका दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया। आज इस वक्त गवर्नमेंट के फाइनेन्स सेक्रेटरी मौजूद हैं जो एक गरीब आदमी के पांच रुपये की पेन्शन के लिए अड़ कर बैठ जाते हैं, उनकी इतनी तेज आंखों से इस प्रकार ४० हजार रुपये का ठेका १,३७५ रुपये में दे दिया गया उस पर उनको कुछ भी एतराज नहीं हुआ। मुझे यह समझ में नहीं आया कि ४० हजार रुपये की बजाय इसका ठेका १,३७५ रुपये में क्यों दिया गया और क्या समझ कर दिया गया ?

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

इसी तरह की एक नहीं अनेकों मिसालें मेरे पास हैं। ऐसे तीस उदाहरण में नोट करके लाया हूं, सरकार की फाइलों से निकालकर और उनसे ओथॉरटेटिव नोट्स लेकर तीस उदाहरण लाया हूं जो मेरे पास हैं, किन्तु समय का अभाव होने से सब को न लेकर कुछ ही उदाहरण आपके सामने रखूंगा।

श्री कानसिंह—आपके पास जो लिस्ट है उसमें क्या क्या नाम हैं, वह पढ़ कर सुना दें तो अच्छा रहेगा।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—उपाध्यक्षजी, अब मैं केवल एक-दो उदाहरण आपके समक्ष रखूंगा। बहुत सी पार्टीज़ होती हैं जो अपना रुपया फिक्स्ड डिपोज़िट में गवर्नमेंट के पास जमा करा देती है। जिसका मतलब यह होता है कि वह पैसा जो फिक्स्ड डिपोजिट में रख दिया जाता है उसको टाइम पर आप रिन्यूड फरमाते रहेंगे। लेकिन होता क्या है, ऐसे बीसियों उदाहरण मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं जिनमें रिसीट्स को रिन्यू नहीं कराया गया। अब गवर्नमेंट के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वह उसके लिए हरजाना दे और वह हरजाना गवर्नमेंट को देना पड़ेगा।

आज यह बातें कहीं जाती हैं कि जकात के जाने से हमें करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। मेरी तो यह मान्यता है कि यदि अकेले माइन्स डिपार्टमेंट को ठीक से चलाया जाय तो कस्टम के हट जाने से जो नुकसान हो रहा है उससे ज्यादा आमदनी इस डिपार्टमेन्ट से हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब जल्दी में दूसरे विषय पर आना चाहता हूँ। वह है इलेक्ट्रिसिटी। बिजलीघर के बारे में मैं जल्दी से कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं। जैसा कि बजट में दिखाया गया है, हमारे राजस्थान के बिजलीघरों की आमदनी १ करोड़ १४ लाख रुपया है और बिजली घरों के चलाने का खर्चा १ करोड़ १८ लाख रुपया है। इस तरह से ४ लाख रुपये का घाटा रहता है। इसके बारे में बड़े गर्व के साथ यहां कहा जाता है कि हम इस महकमें को कॉमर्शियल लाइन पर चलाते हैं। कॉमर्शियल लाइन पर चलाने का मतलब यही है कि ४ लाख रुपये का घाटा है, जो हमें इस महकमें का दिवालियापन बताता है। अगर हमारी सरकार की यही मन्शा है कि वह भी दिवालिया हो जाय ताकि उनसे कोई पैसा मांगाने वाला न रहेगा, तो बात दूसरी है। अगर हमारी सरकार इस डिपार्टमेन्ट को वास्तव में कॉमर्शियल लाइन पर चलाना चाहती है तो में दावे के साथ कह सकता हूं कि यह महकमा काफी फायदे में चल सकता है। अगर सरकार इसको चलाने में असमर्थ है तो उसे चाहिये कि वह किसी प्राइवेट पार्टी को देकर देखे, वह शर्तिया इसे फायदे में चलायेगी।

अभी हमें यह भी कहा गया कि भाखरा और नांगल की योजना से और चम्बल योजना से बीकानेर तक बिजली पहुंच जायगी, इधर अजमेर तक बिजली पहुंच जायगी, जयपुर इसकी रोशनी से जगमगाता नजर आयेगा, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का हर गांव बिजली से जगमगाता नजर आयगा, किसान के घर में अब केरोसिन ऑइल के रखने की जरूरत नहीं रहेगी। इस प्रकार की बातें सदन में और सदन के बाहर भी हमें सुनने को मिलती हैं। यह भी बड़े जोरों से कहा जाता है कि हम इस लोकहितकारी राज्य में सन् ५६ तक हर घर को, हर गांव को बिजली की रोशनी से जगमगाता हुआ कर देंगे। लेकिन मुझे अपने अनुभव से ऐसा मालूम पड़ता है कि एक दिन ऐसा देखने को आयेगा, खास तौर से बीकानेर

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

को जब में देखता हूं तो मुझे खयाल आता है कि इतना करोड़ों रूपया जो कि भारत सरकार से हमारी सरकार को मुफ्त में मिल रहा है उसका किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, उस रुपये का यह सरकार किस प्रकार इस्तेमाल कर सकेगी ? आज आपके पास एक भी ऐसा इन्जीनियर नहीं जो तजुर्बेकार हो, जैसा कि दूसरे प्रान्तीय राज्यों में और केन्द्रीय सरकार के पास है। एक श्री पद्मनाभन ऐसे व्यक्ति थे जो इस योग्य थे, अनुभवी थे, पर ईश्वर ने उन्हें हमारे बीच से हटा लिया है। आज अनुभवहीन और बच्चों के हाथ में यह करोड़ों रुपये की रकम हम दे रहे हैं।अगर इन्हीं के द्वारा इन रुपयों का उपयोग किया गया तो करोड़ों रुपये की जो स्कीम है वह फैल हो जायगी। जहां तक मेरा इन्टरेस्ट है, बीकानेर की तरफ, उसके लिये यह मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि जिन अनुभवहीन इन्जीनियरों द्वारा वहां काम कराया जा रहा है, इसी बेसिस पर कि अगली साल वहां बिजली आ जायगी, इस आशा और आधार पर मौजूदा पॉवर हाउस को स्क्रेप कर देंगे। तो मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर साहब को मेरी तरफ से निवेदन कर दें कि यदि ऐसा किया गया तो बीकानेर को एक दिन ऐसा देखना पड़ेगा कि हजारों आदमी बगैर पानी के मरते नजर आयेंगे। बीकानेर के जितने भी कुँए हैं, जिनसे पानी मिलता है, सब बिजली के आधार पर ही चलते हैं। अगर मौजूदा अनुभवहीन इन्जीनियरों की सिफारिश पर वहां का पावर हाउस बन्द कर दिया गया तो सारे रेगिस्तान में जहां बिजली से पानी मिलता है, जहां इतनी लम्बी लाइन डाली जा रही है, पिछले दो तीन सालों से, अगर वहां की बिजली पांच मिनिट में चली जायगी तो जनता में त्राहि त्राहि मच जायगी। अगर उस समय रेस्पोन्सिबल सरकार हुई तो उस हालत को देखकर वह जनता में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। इसलिये मुझे आप से निवेदन करना है कि अगर इस महकमे को चलाना है तो आपको अनुभवी चीफ इन्जीनियर भारत सरकार से लेना चाहिये और उसके द्वारा काम करवायेंगे तो आपको इसमें सफलता मिल सकती है। मैं इस बात को अभी तक नहीं समझ पाया कि हमारा मंत्री-मंडल इस ओर जगरूक क्यों नहीं है, क्यों नहीं इस बारे में सोचता है ?

मुझे अगले रोज के जयपुर पॉवर हाउस जाने का इत्तफाक हुआ। वहां पर मेरे एक साथी मिल गये। मैंने उनसे पूछा कि आप यहां क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं रोशनीघर का एडमिनिस्ट्रेटर हूं। लोकहितकारी और जनहितकारी राज्य बनाने का दावा करने वाले, और जो इस लोकतन्त्रवाद को चलाना चाहते हैं उन्होंने एक महाशय को पॉवर हाउस की जो टेकनिकल महकमा है उसका एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया। वे भले सज्जन हैं, हंसी मजाक करना उनको काफी आता है, वे शायर हैं, कविता सुनाने को उनको कहा जाय तो वे आपको हफ्ते तक सुनाते रहेंगे। मैं माननीय वित्त मंत्रिजी से निवेदन करूंगा कि यदि उनको कभी काम से फुरसत मिल जाय और उनका विचार आराम करने के लिये कहीं दूसरी जगह जाने का हो तो वे इन महाशय को भी साथ लेजायें। वे बड़े भले सज्जन हैं, दिलचस्प आदमी है, वे चौबीसों घंटे उनको हंसाते रहेंगे। मगर ऐसे व्यक्ति को राजस्थान के तमाम पावर हाउसेज़ का जिनमें करोड़ों रुपयों का खर्च होता है, एडमिनिस्ट्रेटर बना देना मेरी समझ में नहीं आया। कौन से मंत्री मंडल के दिमाग की यह सूझ है कि ऐसे सज्जन को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया; यह जनता के साथ एक प्रकार का मजाक हो रहा है। आज जनतन्त्रवाद को

[कुं० श्री जसवंतसिंह]
अगर चलाना है तो जो ऐसी स्थिति हमारे राजस्थान की है उसे यदि परमात्मा ही सम्भाले तभी सम्भलेगी ।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारा जो रोशनीघर है, जरा उसके हिसाब की तरफ आप ध्यान दीजिये और खास तौर से फाइनेन्स मिनिस्टर महोदय का ध्यान मैं इस ओर दिलाना चाहता हूं कि किस तरह से इस विभाग की एक बहुत बड़ी रकम, जो करीब ६८ लाख और ६६ हजार के करीब है लोगों में लेना बकाया है। यह रकम अभी तक यह विभाग रियलाइज़ नहीं कर सका है और मजा यह कि जिनसे मांगते हैं वह एक एक आसामी और एक एक कम्पनी मौजूद है और जिनमें नौ नौ लाख तककी एक साथ रकम बकाया है और यह हमारी गवर्नमेंट है कि उनका कुछ नही कर सक रही है। अगर हमें अपना राज्य इसी तरह से चालाना है तो कोई बात नहीं, वरना अगर हम यह देखना चाहते हैं कि ये विभाग कॉमर्शियल बेसिस पर चलें तो मैं यह साफ कह दूं आपसे कि कोई भी बिजनैसमेन अपना ७० लाख रुपये का बकाया सहन नहीं कर सकता। पर ताज्जुब है कि हमारी यह राजस्थान सरकार आज यह सब कुछ बर्दाश्त कर रही है; तो यह हालत हमारे इस महकमे की है।

जहां तक हमारी आमदनी का सवाल है, मुझे इसके बारे में बहुत कुछ कहना है, पर समय बहुत हो गया है। यदि माननीय उपाध्यक्षजी थोड़ा सा समय मुझे और दे देंगे और कुछ विरोधी पक्ष के मेरे माननीय सदस्य भी अपने अपने समय में से थोड़ा समय देने की कृपा करेंगे तो मैं दो शब्द इस पर और कह सकूंगा। हमारी सरकार अगर अपने कर्त्तव्य का ध्यान बराबर रखती तो इस बिजली विभाग से करोड़ों रुपये की आमदनी सरकार को हो सकती थी ।

अब खर्चे की तरफ भी में कुछ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और यह बताना चाहूंगा कि इस खर्चे में भी बहुत कमी हो सकती है।

माननीय उपाध्यक्षजी, सबसे पहले जनरल एडिमिनिस्ट्रेशन के सीगे की तरफ मैं आपका ध्यान खींचूंगा। यह बड़ा सुन्दर सीगा है जिसके सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री महोदय अगर हिम्मत करें, और उनका साथी होने के नाते मैं जानता हूं कि अगर वे चाहें तो हिम्मत कर भी सकते हैं, तो इस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से लाखों रुपयों की आसानी से बचत कर सकते हैं और इसका लाखों रुपये का फिजूल का खर्चा कम किया जा सकता है । श्रीमन् राजप्रमुख महोदय से लेकर बहुत से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनकी छानबीन की जावे तो आसानी से लाखों रुपयों की बचत हो सकती है। अब यह छानबीन करना न करना हमारे मन्त्री महोदय का काम है। अब यह राज्य जिधर भी वे चलावें उनकी मरजी की बात है पर हम जो विपक्ष में बैठे हैं, उनका तो सुझाव ही देने का हक है और जैसे वे सुझाव हैं मैं उन्हें अपने मित्रों के सामने रखता हूं ।

तो इस महकमे में बहुत कुछ कमी हो सकती है और इस विषय पर अधिक नहीं कर, कह, क्योंकि इस पर काफी बातें पहले भी कही जा चुकी हैं, केवल नम्रता से यही निवेदन करूंगा कि अभी जो एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े महारथी भी शामिल हैं, विपक्ष के भी व्यक्ति शामिल थे और हर दृष्टिकोण के व्यक्ति इसमें शामिल थे, प्रस्तुत की गई है, उसकी सिफारिशें सरकार

[कु'० श्री जसवंतसिंह]

मान लें तो जनता का बड़ा हित यह सरकार करेगी और उसका उत्तरदायित्व भी कुछ हल्का हो जावेगा, एक परम्परा भी सही कायम होगी कि इस तरह की कमेटियों की बहुत महत्ता है; ये बहुत महत्व रखती हैं और यह हमेशा के लिए भी एक ऐसी सुन्दर परम्परा पड़ जावेगी जिसके लिए आगे भविष्य में आने वाली सरकारें भी इस वर्तमान सरकार की आभारी होंगी। इससे खर्चा भी कम होगा, साथ ही सरकार की जिम्मेदारी भी कम होगी और जनता का विश्वास भी सरकार में बढ़ेगा। यह कहकर जनरल एड्मिनिस्ट्रेशन के बारे में दो-चार शब्द जो मुझे कहने हैं उन्हें दो मिनिट में ही कह कर समाप्त करता हूं।

सबसे पहले हमारे मन्त्रियों की मोटरें हैं। इस पर हमेशा वाद-विवाद हुआ करता है। अतः मैं ज़्यादा न कह कर यही कहूंगा कि यह मेरी समझ में नहीं आया कि पिछली साल यह कहने के बावजूद भी कि हम इस खर्चे को अगले साल कम कर रहे हैं, इसमें पिछले साल ७५ हजार की रकम रक्खी गई थी, दो चार मन्त्री और बढ़ गये तो क्या बात हुई, पर वह रकम ७५ हजार से बढ़ कर १,२५ हजार हो गई। यह पचास हजार रुपये इस साल क्यों बढ़ाये गये; जबकि वे एक ओर यह दावा करते हैं कि हम इस खर्चे को हर साल कम करते जावेंगे? तो मेरा इस बारे में भी यही कहना है कि इस बारे में भी अगर हमारे मन्त्री महोदय इस कमेटी की सिफारिशों को मानें तो इसका भी हमेशा के लिए झगड़ा मिट जावे। पर यह पचास हजार रुपया हर साल बढ़ाने की बात मेरी समझ में नहीं आई।

यह खुशी की बात है कि राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी का ओहदा एक राजस्थानी को दिया गया। जब फॉरिनर आते थे, फॉरिनर से मतलब मेरा हिन्दुस्तान से बाहर से नहीं, राजस्थान से बाहर से हैं, तो उनको तीन-चार हजार की तनख्वाह दी जाती थी तो जब एक राजस्थानी को, जिसको कि मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी तनख्वाह देने की मंशा हमारी सरकार की नहीं थी तो वह ३६ हजार रुपया क्यों रक्खा गया? कहीं अगर यह बात है कि "घर का जोगी जोगिया बाहर का सो सिद्ध," और इस पर हमें तो बाहर का ही लेना है तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। पर अगर हमारे खुद के ही आदमी को रखना है तो फिर ३६ हजार रुपया किसलिए रक्खा गया है। यह भी मेरी समझ में नहीं आया।

अब दूसरी बात जो बड़ी मजे की है वह यह है कि हमारे सेक्रेटेरियेट में एक टूरिस्ट ऑर्गेनाइज़र रक्खा गया है जो बाहर से आने वाले टूरिस्टों को फेसिलिटी देगा। उसके लिए ३६००) की रकम रक्खी गई है। इसने तो मात कर दिया है। वह करेगा क्या? अगर इसका यह मतलब कि हमारे सेक्रेटेरियेट में उनको एन्टर्टेन करे तब तो दूसरी बात है, नहीं तो टूरिस्टों को राजस्थान में आने के लिये आकर्षित किया जावे, इस परपज़ से अगर इसको रक्खा गया है तो मैं कहता हूं आप किस बात से टूरिस्टों को राजस्थान में और जयपुर में बुलाते हैं? आपके पास रहने को तो स्थान तक नहीं है। ऐसा कौनसा स्थान है जहां उनको आप ठहरा सकेंगे। आपके पास कौन से सर्किट हाउसेज़ ऐसे हैं। इन सर्किट हाउसों के लिए तो अलग से समय होगा तो मैं आपको बताऊंगा, पर यह जयपुर के लिये एक शर्म की बात है कि यहां भी उनके लिये कोई ठीक प्रबन्ध नहीं है। प्रीमियर सर्किट हाउस हमारे यहां खासा कोठी है और इसकी हालत यह है कि वहां आपको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, अगर

[कुं०श्री जसवन्तसिंह]
मिलेगा तो कीड़े और मच्छर तक पानी के साथ आवेंगे और खाने की बात ! खाने के लिए मैं आपसे निवेदन करूं कि एक आदमी के लिऐ खाने का एक कम्पलीट सेट नहीं मिलेगा, एक रंग का । छुरी कांटे मांग कर लावेंगे। रहने के कमरों की यदि आप बात करेंगे तो वहां कमरों का यह हाल है कि वहां किसी भले आदमी की आप ठहरा नहीं सकेंगे । इसलिए नहीं कि वहां का किराया ३५), ४०) रुपये रोज चार्ज करते हैं, पर जो लोग इतना ऊंचा किराया दे सकते हैं और जो योरोपियन अपना ऊंचे दरजे का स्टेन्डर्ड रखते हैं वे वहां की व्यवस्था की यह हालत देखकर क्यों आवेंगे ? जो आये हैं उनके रिमार्क आप विजिटर्स बुक में देखिये। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछता हूं कि कभी आपने सर्किट हाउस की रिमार्क की किताब देखी है ? अगर सम्बन्धित मिनिस्टर महोदय उसे देखें तो उनका शर्म के मारे सर नीचा हो जावेगा कि किस तरह के रिमार्क्स इन फोरिनर्स ने इस कम्प्लेन्ट बुक में लिखे हैं। यह हालत है हमारे यहां के सर्किट हाउसों की, जबकि यह एक ऐसा धन्धा है जिसमें लाखों की आमदनी हो सकती है। प्राइवेट कन्सर्न्स इसमें लाखों और करोड़ों रुपया कमाते हैं, लखपति और करोड़पति बन गये हैं। पर राजस्थान की हमारी यह सरकार है कि वह इस एक सर्किट हाउस को भी ठीक तरह से नहीं रख सकती, जबकि दूसरी ओर ओर्गेनाइज़र रखने जा रही है, इन टूरिस्टों को बुलाने के लिए। आप अपना मान नीचा करना चाहते हैं यह दिखा कर कि यह राजस्थान का कैपिटल जयपुर है जिसमें ऐसे सरकिट हाउसेज़ हैं ।

इसी तरह से एक इन्क्वायरी ऑफीसर के लिए आपने प्रोवीजन रक्खा है १४,४००रुपये का। वह करेगा क्या ? १२००) की तनखा पर। अभी इधर हमारे मन्त्री महोदय स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर दावा करते थे कि हमने सब काम कर दिया। पर एक्सप्लेनेटरी मेमोरेन्डम में लिख दिया है किकाम की बढ़ोतरी को देखकर आदमी और बढ़ाने पड़े। मैं पूछता हूं क्या काम हुआ ? जो हुआ यह तो मैंने अर्ज किया। तो इस तरह से अगर दिल लगाकर आप खर्चे को करने का इरादा रक्खें तो लाखों रुपये की बचत कर सकते हैं।

अब मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के बारे में कहूंगा। उसका मैं एक इन्स्टान्स दूंगा, और आपको ताज्जुब होगा कि इस लोकतन्त्रवाद में और १९५५ में यह बात हो सकती है, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि क्या लोकतन्त्रवाद का हम यही स्वप्न देख रहे हैं। हमें यह भी दिन देखना पड़ेगा ! एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारा खर्चा ३७, २८, ००० रु का है। यह बहुत ही पवित्र महकमा है । जहाँ एग्कियटिव द्वारा ज्यादती जनता पर की जाती है तो यही महकमा ऐसा है कि जो उसे कुछ राहत देता है, और उसमें बड़ा विश्वास है जनता का, और इसकी वजह से आपका बहुत बड़ा नाम हुआ है। इसी महकमे में एक ऐसी अद्‌भुत घटना हुई है, उसका मैं निवेदन यहां करूं। आप भी तसल्ली से सुनें। सुनने में आया है कि हमारे मंत्री मंडल और खास तौर से मेरे मित्र होम मिनिस्टर साहब और चीफ जस्टिस के बीच में टसल बीकानेर के एक जुडिशियल ऑफिसर के मुतल्लिक चल रही है।यह जनता में आम अफवाह हैं, कहां तक सही है यह मैं कहने को तैयार नहीं हूं। एक इन्स्टान्स है जो कि मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं । यह एक गवर्नमेंट का ऐसा केस है, आप (मंत्री मंडल) अच्छी तरह से जांच करवा सकते हैं। एक श्री बृजमोहन लाल भटनागर, सिविल जज या डिस्ट्रिक्ट सेशन्स जज हो सकते हैं,उनका गंगानगर। तबादला

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

हो गया तो उन्होंने गंगानगर जाने से इन्कार कर दिया। जबरदस्ती भेजने की कोशिश की चूरू भेजा यगा और गई तो उन्होंने छुट्टी ले ली। जो बीकानेर में सीविल जज थे, यह जनवरी के महिने की बात है, उनको चूरू के जो सिविल जज थे उनको डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज बनाकर गंगानगर भेजा गया। इसमें फिर वायर पुलिंग स्टार्ट हुआ। श्री बृजमोहनलाल छुट्टी में थे। सुनने में आया है कि इस मामले में मंत्री मंडल और चीफ जस्टिस में तनातनी चली। मुमकिन है कि यह बात गलत हो, लेकिन मैं यह अर्ज करूंगा कि मंत्री मंडल के कुछ लोग कृपापात्र ऐसे थे जिनको वह और जगह रखना चाहता है। यह रस्साकसी चली। उनके ऐसा करते करते ३-४ जनवरी आ गई और श्री बृजमोहनजी की छुट्टी खत्म होगई, लेकिन वह टसल खत्म नही हुई। हमारे यहां हैडक्वाटर से हुक्म जाता है कि तुम्हरी छुट्टी खत्म हो गई है और तुम्हारी छुट्टी का हक भी नहीं है, लेकिन तुम एक महिने की फ्रेन्च लीव और ले सकते हो, तब तक फैसला हो जायगा। यह लोकतन्त्रवाद है। इसमें टसल चली चीफ जस्टिस और मंत्री मंडल के बीच में। किसी गवर्नमेंट के ऑफिसर का हक नहीं है, लेकिन उसे जबरदस्ती छुट्टी एक महिने की दी जाय कि तुमको घर बैठे तनख्वाह मिलेगी और हम फैसला करते हैं; वे सिविल जज साहब २-३ जनवरी से ५-६ तारीख तक आनन्द से घर पर बैठे रहे और छुट्टी का हक नहीं होते हुए भी, और उनको जो ५००), ६००)रु० की तनख्वाह मिलती थी वह लेते रहे। अभी ५, १० या १५ दिन हुए हैं कि बड़ी महरबानी करके श्री बृजमोहन लाल जी ने तय किया कि वे गंगानगर जाने को तैयार हैं। सुनने में ऐसा आया है कि वे गंगानगर गये हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इस तरह का पोलिटिकल प्रेशर या कृपापात्रों को मदद देने का काम मंत्री मंडल करे तो ईश्वर ही हमारे राज्य को सम्हाल ले तो ठीक है, नहीं तो होगा वह हम देखेंगे।

माननीय उपाध्यक्षजी, कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन थोड़े हीं में मैं यह जानकारी के लिए पूछना चाहूंगा जो कि मेरी समझ में नहीं आया है। माननीय वित्त मंत्रीजी और होम मिनिस्टर साहब बतलायेंगे कि इस तरह से इस महकमें में वेस्ट और मिसयूज़ ऑफ पावर का होता है उसमें नहीं जाकर मैं यह इन्फॉर्मेशन चाहूंगा। चूंकि बजट को काफी डिटेल में दो दिनों में देख सका हूं, उसमें मुझे एक फीगर पुलिस का ऐसा मालूम हुआ है कि जयगढ़ फोर्ट में मिलिट्री गार्ड रखी जाती है जिसका ४८,०००रु सालाना खर्चा होता है वह मेरी समझ में नहीं आया है। मैं जह तक जानता हूं वह यह है कि जयगढ़ फोर्ट महाराजा की प्राइवेट प्रोपर्टी हैं और यहां पर उनकी काफी तादाद में गार्ड रखी जाती है, फिर यहां जयगढ़ पर गवर्नमेन्ट अपना खर्चा ४०००रु. महीने यानी सालाना ४८,०००रु० खर्च करके जयगढ़ पर गार्ड रखती है, यह मेरी समझ में नहीं आया है।

इसी तरह मेवाड़ भील कोर पर ३,१७,००० रू० खर्च होता है। आर्म्ड कान्स्टेबुलेरी की बात तो समझ में आ सकती है कि वह हमारे बोर्डर के लिए स्पेशल फोर्स है, लेकिन यह मेवाड़ भील कोर क्या स्पेशल काम करती है, इसको जानने की जरूरत है। इस तरह एक विशेष जाति की एक चीज रखना यह भी लोकतन्त्रवाद के विरूद्ध है। इसका कोई खास कारण दें तो हमें सन्तोष हो जाय। अगर मंत्री मंडल नहीं बताना चाहे तो उनको मरजी की बात है।

अब मैं, माननीय उपाध्यक्ष जी, बहुत सी चीजें छोड़ कर सिर्फ आखिरी प्वाइन्ट पर आता हूं।

Page No.51

[कु ० श्री जसवन्तसिंह]

आप भी थोड़ा परेशान हो रहे हैं। मैं महसूस करता हूं कि मैं जिस स्थान से बोल रहा हूं उसका थोड़ा खयाल करते हुए मेरी और मेरे साथियों की भी इच्छा है कि मैं बोलूं। मुझे बहुत कुछ कहना है, वह छोड़ जाता हूं और समय के अभाव की वजह से नहीं कह सकता हूं। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहूंगा कि जो मिसलेनियस डिपार्टमेंट उसको समझ रखा है वह इस राजस्थान विधान सभा के सदस्यों से सम्बन्धित है। हम यदि दूसरों में ऐब देखें तो हमें अपने हृदय को भी समझ लेना चाहिए। वह हम लोगों से सम्बन्ध रखता है इसलिए कह रहा हूं। वह एक छोटा सा विषय है, इसलिए मैं एक मिनट में सदन के सामने पेश कर दूंगा। गवर्नमेंट होस्टल पर सरकार ३२ हजार रुपये मेन्टीनेन्स के खर्च करती है, लेकिन सुनने में आया है कि हमारे बहुत से मित्र गवर्नमेंट का जो किराया है वह भी नहीं चुकाते हैं और केटर का जो रुपया है वह भी नहीं चुकाते हैं। ऐसा सुनने में आता है, गलत हो तो माफी चाहता हूं। तो वित्त मन्त्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि जब वे जवाब दें तो सदन के सामने इस बात को भी बताएं कि कितना रुपया विधान सभा के सदस्यों पर गवर्नमेंट के किराये का देना बाकी है और किन किन ने केटर को अपने खाने वगैरह का रुपया नहीं दिया है। इससे हमारी बड़ी बदनामी होती है। हम चाहते हैं कि स्वस्थ परम्परा कायम करें और खास कर विधान सभा के सदस्यों को तो चाहिये कि स्वस्थ परम्परा कायम करें। यह बात मैं जानना चाहता हूं। जहां तक मेरी इत्तिला है मेरा ऐसा खयाल है कि हजारों रुपया लोगों पर चढ़ा हुआ है। केटर को भी रुपया देना है जो कि हम देने से इन्कार कर रहे हैं, जो कि बड़े शर्म की बात है।

माननीय उपाध्यक्षजी, अब मैं सुपरएन्युएशन एलाउन्सेज और पेन्शन्स के बारे में कहना चाहूंगा जिससे कि हमारे फाइनेन्स डिपार्टमेंट का बहुत अधिक सम्बन्ध है। अभी हाल ही में मैंने अखबारों में देखा है कि हमारी गवर्नमेंट द्वारा एक ऑर्डर शाया किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि हम फौरन ही पेन्शनों के मामलों को तय करेंगे। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वित्त मन्त्री जी ! इस आश्वासन पर हमें भरोसा नहीं है। यही बात हम पांच सालों से देखते और सुनते आ रहे हैं के यह बात तभी हो सकेगी जब कि मैं एक सुझाव देता हूं वह काम में लाया जाय। जो डिपार्टमेंटल हैड्स हैं या उस महकमे के सेक्रेटरी हैं उनकी तनख्वाह आज की ही तारीख से रोक दी जाय और जब तक वे पेन्शनरों का हिसाब नहीं कर देते तब तक उनको तनख्वाह नहीं मिले तो यह एक-दो महीनों में सेटिल हो सकेगा, नहीं तो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह पिछले ५ साल निकल गये उसी तरह से पांच साल और निकल जायेगें। इन सालों में कई पेन्शनर्स तो मर चुके हैं और कई मर जायेंगे, लेकिन उन्हे पेन्शन किसी हालत में नहीं मिल सकेगी। माननीय वित्त मन्त्री जी सीरियसली इस पर ध्यान दें और फाइनेंस सेक्रेटरी और हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट की तनख्वाह को रोक दें और वह तभी दी जाय जब कि सब पेन्शनों का फैसला हो जाय। तब तो २ महीनों में वह फैसला हो जायेगा, नहीं तो नहीं हो सकेगा। इसी तरह से एलाउन्सेज़ के व पेन्शन्स के कुछ लोगों के केसेज़ मैं आपके सामने पेश करूंगा।

बीकानेर में कुछ ऐसे गरीब व्यक्ति हैं, पुरानी बेवाएं हैं और कुछ बूढे आदमी हैं जिनको धान-कपड़े के नाम से पेन्शनें मिलती हैं। ऐसे लोगों की ज्यादा तादाद है। किसी को २ रू० माहवार मिलता है तो किसी को ३ रू० और ज्यादा से ज्यादा ५ रू० महीना मिलता है। ऐसी २ बेवाएं हैं

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

जो ५०, ६० और ७० साल की हैं और जिनको साल के ६० रू० मिलते हैं, किसी को ४० रू० मिलते हैं, और किसी को ३० रू० मिलते हैं। उनमें से बहुत सी तो मर चुकी हैं और जो मर जाती हैं उनकी पेन्शनें रुक जाती हैं। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं वित्त मन्त्री जी से और फाइनेन्स महकमे से बड़े दुख के साथ निवेदन करूंगा कि ऐसी बेवाओं के लिये भी उनका हृदय नहीं पिघलता है, यह दुख की बात है। जिनको रूपये की कमी नहीं है, जो अपने आप कमा सकते हैं उनके साथ में कठोर हृदय रखें तो कोई दुख को बात नहीं है, लेकिन बेवाओं को, जिनको २ रू०,३ रू० मिलता है और २, ३ साल से वह पेन्शन नहीं मिलती है, और पेन्शन देने का गवर्नमेंट का ऑर्डर हैं, लेकिन हर साल हालत गिर रही है, तो मैं गर्नवमेंट से कहूंगा कि उन गरीब औरतों के साथ, बेवाओं के साथ ज्यादती क्यों हो रही है। हमारी गवर्नमेंट का लेटर नं० एफ० ८६४५३ डेटेड १६ अक्टूबर, १६५४, करीब ५ महीने पहले डिप्टी सेक्रेटरी टू दी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एकाउन्टेन्ट जनरल को जाता है कि यह जो पेन्शन्स हैं इन विधवाओं की, उनको आप कृपा करके फौरन दे दें। वे अपनी चिट्ठी में जो लिखते है वह पढ़ कर सुनाता हूं:

"I am directed to convey sanction to the payment of Dhan-Kapda Allowance to the male and female servants for the year 1953-54, if not already made, and 1954-55."

यह १६ अक्टूबर, सन् १६५४ का गवर्नमेन्ट ऑर्डर है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या कोई सरकार चल सकती है जिसका हुक्म मातहत अफसर न मानें और आज से ५ महीने पहले इतना जोरदार हुक्म जो २ साल से विधवाओं को, जिनको ५ रु०, ४ रु० या १ रु० पेन्शन मिलती है वह अब तक नहीं मिली है उनको पेन्शन देने का हुक्म हो और उसकी तामील न हो। यह गौर करने की बात है। परसों मैं बीकानेर से आया था तब कुछ गरीब औरतें मेरे पास आकर रोने लगीं, तो मैंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं लेकिन फिर मैंने कहा कि इस बात को सदन में उटाऊंगा। ५ महीनों पहले हुक्म दिया गया कि पेन्शनें दे दी जायें लेकिन उनको आज तक पैसा नहीं मिला है। यदि आप केहृदय में थोडी दया है और वह पिघले तो उन विधवाओं का आशीर्वाद आपको मिलेगा और मुमकिन है कि अगले साल तक आप वित्त मन्त्री कायम रहें (हंसी) नहीं तो...

माननीय उपाध्यक्ष, अभी मुझे बहुत कुछ कहना है लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि आप भी परेशान हो रहे हैं और सदन भी यह खयाल कर रहा है कि ज्यादा समय मेंने ले लिया है तो मैं बाकी हिस्से को छोड़ देता हूं। स्थितिवश मुझे फौरन ही यहां से जाना होगा और शायद कट मोशन के समय में यहां नहीं रहूंगा फिर भी मैं आपका ज्यादा समय न लेकर अपने भाषण को यहीं खत्म करता हूं। मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि मैंने जो कुछ कहा हैं सुझाव के रूप में, जो बातें मेरे पास सबूत के रूप में हैं और जिनको मैंने अच्छी तरह से जान लिया है कि वे तथ्य हैं उन्हीं को सदन के सामने मैने रखा है और जो लोक हितकारी और जनहितकारी बनने के स्लोगन्स हैं उनको छोड़ कर सच्ची बातों को कार्यान्वित करें तो मैं समझूंगा कि हमारे देश का बहुत हित होगा और आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं और उनकी सेवा करने का आपका कर्त्तव्य है। वरना हम यहां स्पीच दे देंगे

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

और चले जायेंगे, उससे न तो हमारा मुल्क तरक्की कर सकेगा और न हम अपने पर जो भार डाला गया है उसको अदा कर सकेंगे। इतना ही कह कर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री रामकिशोर व्यास—मैं जानकारी के लिये आपसे पूछना चाहता हूं कि हम जवाब देंगे उससे पहले ही क्या आप चले जायेंगे। आपने बहुत सी बातें कही हैं उनका जवाब देना जरूरी है, इसलिये मैं पूछ रहा हूं।

कुँ० श्री जसवन्त सिंह—जा सकता हूं।

(श्री जयनारायण व्यास के बोलने के लिये खड़े होने पर करतल ध्वनि)

श्री हरिकृष्ण व्यास—Have it strictly by order of the seniority, Sir.

श्री जयनारायण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सौभाग्य से बजट सेशन होली के आस-पास ही आता है इसलिये बजट सेशन में होली के रंग का थोड़ा सा असर अवश्य हुआ करता है। वास्तव में दो ही अवसर होते हैं जिन अवसरों पर हम अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं, सरकार को सूचनाएं दे सकते हैं, सरकार के सामने सुझाव पेश कर सकते हैं और यदि सरकार को कोई चेतावनी देनी हो तो हम चेतावनी दे सकते हैं और किसी बात का विरोध करना हो तो हम विरोध कर सकते हैं (हिअर हिअर)। यहां इस अवसर पर जो बजट के ऊपर वाद-विवाद शुरू हुआ है वह ठीक ढंग से हमारे विरोधी पक्ष के नेता श्री जसवन्तसिंहजी के द्वारा शुरू किया गया है और होली के अवसर का हमेशा आप उपयोग उठाते रहे हैं और आपकी बजट स्पीच का एक भाग मदिरा का जरूर रहा है। तीनों बजट अधिवेशनों के ऊपर आपके जो भाषण हुए हैं उनमें मधुर मदिरा जरूर रही है। जो मधुर मदिरा को खतरा, उनको प्रतीत होता है उसका विरोध जरूर किया गया है और दुर्भाग्य से तीनों ही वर्ष ब्राह्मण फाइनेन्स मिनिस्टर रहे हैं जो आपकी सलाह नहीं मान सकते। मैं आशा करता हूं कि मदिरा सेवन को जो प्रोत्साहन दिया जाता है वह धीरे धीरे कम होगा क्योंकि मैं भी जिस चीज का आदी हूं उस पर भी प्रतिबन्ध लगाने का सोच रहे हैं। मेरा मतलब चाय से है। तो एसी हालत में मदिरा कहां तक टिक सकती है, यह सोचने की बात है।

दूसरी बात जो माननीय कुंवर साहब ने कही है मैं थोड़ा सा पहले उसका जिक्र करदूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बात आपने फरमाई कि जागीर पुनर्ग्रहण होने के बाद रुपये ग्रहण नहीं हो सकेंगे जागीरों से। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ तो अधिकारियों की शिथिलता से और कुछ कानूनी दाव पेचों से, जो जागीरें ली गई हैं उनके रुपये वसूल नहीं हुए हैं और अब भी कुछ पेचीदगियें मौजूद हैं और अब वे पेचीदगियें मिट रही हैं और मैं आशा करता हूं कि जिस दल के आप नेता हैं वह दल भी सहयोग देगा तो वे रुपये वसूल हो जायेंगे और इसलिये भी वे सहयोग देंगे कि रुपयों की वसूली पर ही उनका मुआवजा निर्भर है।

श्री जसवन्त सिंह—यह कोई शर्त नहीं थी।

श्री जयनारायण व्यास--लेकिन जब कूए में पानी होता है तभी तो खेली में पानी भरा जाता है। यदि वह शर्त नहीं भी है तो भी मोरल शर्त तो है। जिनकी जागीरें लेली जांय उनको पैसा मुआवजे का मिलना चाहिये और उनको रहन सहन की सुविधा मिलनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत विरोधी पक्ष के नेता से अपील करूंगा और उनकी मार्फत जागीरदारों से अपील करूंगा कि वे अपना पार्ट अदा करें। अब रहा अधिकारियों का हिस्सा। उनका भी हिस्सा थोड़ा बहुत रहता है। उनके लिये मैं फाइनेन्स मिनिस्टर से और दूसरे मिनिस्टरों से अपील करूंगा और खास तौर से जागीर विभाग से सम्बन्धित मुख्य मन्त्रीजी से अपील करूंगा कि वे इसे ठीक करें।

मैं एक बात और कहना पसन्द करूंगा, माननीय जसवन्तसिंहजी के भाषण के सम्बन्ध में। उन्होंने ठीक ही कहा था कि खानें हमारी, वास्तव में धन की खानें हैं। और उन खानों से हमारा जो भी घाटा है वह पूरा किया जा सकता है। लेकिन मैं उन्हें अपनी जानकारी से सूचना दे दूँ कि खानों के सम्बन्ध में जो कुछ कठिनाइयाँ हैं उनको हल करना चाहिये और उन्हें हल करने में जहां सरकार को कुछ कहना है वहां सरकार को कुछ कहना चाहिये, केन्द्रीय सरकार से कहना है तो केन्द्रीय सरकार को कहना चाहिये और खानों को धन की खानें बनाने की कोशिश करनी चाहिये।

मैं कल-परसों एक पुस्तक देख रहा था, जो हर मेजेस्टीके स्टेशनरी ऑफिस से भारत सरकार के सम्बन्ध में प्रकाशित हुई है। उस पुस्तक में जो भारत के सम्बन्ध में है, बहुत सारा जिक्र किया गया है खानों का, कीमती खानों का और मैं गर्व के साथ उसे पढ़ रहा था कि उसमें राजस्थान का एक बहुत बड़ा भाग और बहुत बड़ा चित्र है। वुलफ्रॉम राजस्थान में है, फुलर्स अर्थ राजस्थान में है, बैंटेलाइट राजस्थान में है, एमरेल्ड राजस्थान में है, बेरियल राजस्थान में है और ऐसी बहुत सारी खानें राजस्थान में हैं जिन खानों की वजह से हम बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं और उस पैसे से शासन गरीबी को मिटा सकता है, गरीबों का उत्थान किया जा सकता है और कल्याणकारी राज्य बन सकता है। कल्याणकारी राज्य पैसे के बल पर चल सकता है, बिना पैसे के कल्याणकारी राज्य की रटंत भी लगाते रहेंगे तो वह पूरी नहीं होगी, आज पैसा नहीं है, दो करोड़ ४० लाख के करीब घाटा है, न कुंवर साहब ने दिया और न तीसरा दे सकता है। रिज़र्व फन्ड में से कुछ रुपया ले लें, इम्पीरियल बैंक से ७ करोड़ रुपया ड्रा कर लें तो हो सकता है, पर फिर आ कहां से सकता है? आप चीफ सेक्रेटरी के लिये शिकायत कर सकते हैं, जो राजस्थानी हैं उसको २५,००० रुपये ही दे सकते हैं पर बाहर से जो आता है उसके लिये ज्यादा रखा है। ज्यादा रखें पर कहां से रखें?

मैं खानों के विषय में फिर से आता हूं। खानों में दो तरह की खानें राजस्थान में हैं, एक तो वे खानें जिन्हें हम खुद कन्ट्रोल करते हैं, वे खानें ज्यादा कीमती नहीं हैं। दूसरी वे खानें हैं जिन पर कन्ट्रोल हमारा नहीं, केन्द्र का है। जो कीमती हैं, उन केन्द्र के द्वारा नियन्त्रित खानों के द्वारा रॉयल्टी बहुत कम राजस्थान सरकार को मिलती है। जिस फुलर्स अर्थ का जिक्र जसवन्तसिंहजी ने किया उसके ऊपर केन्द्रीय सरकार का कन्ट्रोल था। राजस्थान सरकार ने लड़-भिड़ कर इसे माइनर मिनरल बनाया क्योंकि बगैर माइनर मिनरल बनाये वह हमारे कन्ट्रोल में आ नहीं सकती। अब मुझे मालूम नहीं कि क्या स्थिति है। २७ रुपया नहीं, तो २०–२५ रुपया रॉयल्टी तो इससे मिलेगी। १ रु० १४ आना का जिक्र जो कुंवर साहब ने किया, यह माइनर मिनरल होने के पहले की बात है या बाद की बात

[श्री जयनारायण व्यास]
है ? अगर बाद की बात है तो सरकार के लिये फिर से सोचने की बात है कि इतनी छोटी कीमत में हमारी किमती खानों को नहीं देना चाहिये ।

और अगर पहले की बात है और हम कानूनी शर्त में फंस गये हैं तो फिर कोई चारा नहीं रहा । श्री एच० के० व्यास ने कुंवर साहब को यह इन्फोर्मेशन दी है वह इस पर ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं.........

कुं श्री जसवन्तसिंह—वह तो मैंने मिसाल के तौर पर कहा था......

श्री हरिकृष्ण व्यास—लेकिन गत बाद की है इतना तो मैं कह सकता हूं ।

श्री जयनारायण व्यास—अगर बाद की बात है तो मैं भी सरकार को उलाहना दे सकता हूं कि इतनी छोटी कीमत पर क्यों दे दी, पैसे ज्यादा ले ।

मेजर मिनरल्स के बारे में अर्ज करूं । बेरियल जिससे कि एटम तक बन सकता है वह हमारे यहां काफी तादाद में मिलता है, पर मेजर मिनरल होने के कारण ५ पिटस मन्थ में मिल सकता है या २५ मिल सकता है । पर वहां बेरियल खोदने वाले हैं उनको साढे तीनसो तक मिल जाता है ।

भारत सरकार नमूने के तौर पर बाहर भेजती है, उसका ७५० रुपया भारत सरकार को मिल जाता है । राजस्थान सरकार को भी इस बारे में ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा और ऐसी कीमती खानें हैं उनकी ज्यादा रोयल्टी हमको मिले और इन खानों से केन्द्रीय सरकार की बजाय राजस्थान सरकार ज्यादा फायदा उटाये, इस तरह की मांग केन्द्रीय सरकार से करनी चाहिये; यह कोई बुरी बात नहीं है ।

हर मेजेस्टी के स्टेशनरी ऑफिस से निकली हुई उस किताब में टंग्सटन या वुलफॉर्म का जिक्र किया है, यह वार टाइम पर निकला था । अब वह बन्द हो गया, इसलिये हो गया कि केन्द्रीय सरकार ने इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया कि अमुक धातु अमुक कम्पनी को और इस पैमाने पर देनी पड़ेगा । हमारे पास माल इकट्ठा हो गया और उसकी कीमत हमको पूरी नहीं मिलती है तो हम कैसे दे सकते हैं । यही हालत माइका के बारे में हो गई है । माइका के बारे में हमें बहुत सोचना पड़ेगा और सरकार को चाहिये कि बाहर के एक्सपर्ट्स की भी इस सम्बन्ध में राय ले कि किस खान पर ज्यादा जोर देना चाहिये ।

गोडबोले आये हैं उनसे इस बारे में मेरी बात-चीत नहीं हुई है । उन्होंने नमक खोदने का गांधी इरविन पैक्ट के आधार पर नमक का ठेका दे दिया था, पर अब केन्द्रीय सरकार ने इसे केन्द्रीय विषय मान लिया है । इससे लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा । तो इस बारे में भी गांधी इरविन पैक्ट की दुहाई दे कर हम कुछ कर सकते हैं कि अमुक सीमित क्षेत्र में हम नमक दे सकते हैं या नहीं, क्योंकि नमक और नमक से बनने वाली चीजें हम बहुत ज्यादा तादाद में यहां बना सकते हैं ।

सोडा एश बनाने के लिये भी भारत सरकार बहुत उतावली है, भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों मिल कर सोडा एश बनाने की इच्छुक है । छापरवाड़ा बास जो दूदू के पास है, वहां

[श्री जयनारायण व्यास]

से पानी लाने की तजवीज थी। वह मामला आगे नहीं बढ़ा है तो इसे आगे बढ़ाना चाहिये। छापरवाड़ा और सांभर के बीच सिर्फ ४०,४५ मील का फासला है। हेमावास से जोधपुर भी ४०,४५ मील है। हेमावास से जोधपुर पानी लाया गया इसी तरह छापरवाड़ा से सांभर के लिये पानी क्यों नहीं लाया जा सकता।

सोडा एश की फैक्टरी खोलनी चाहिये ताकि हमारी आमदनी बढ़ सके।

जैसा मैंने पहले अर्ज किया था कि बजट पर जनरल डिस्कशन में आंकड़ों से बहुत सी बातें बताना नहीं चाहूँगा लेकिन मैं कुछ ऐसे आम सुझाव सरकार को दूंगा जो बहुत जरूरी हैं और जहां गल्तियें हैं वहां भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा और जहाँ पर सरकार की अच्छी बात है उसकी ताईद करने की कोशिश करूंगा। मैं यह समझता हूं कि जनरल डिस्कशन में हमें फीगर्स में नहीं पड़ना चाहिये; वे तो उन्हीं लोगों पर छोड़ दिये जाने चाहिये कि बाद में जाकर वे यदि चाहें तो वापिस लें या नहीं लें।

अब में सबसे बड़ी बात जो हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने कही और पीछे से टेबले फटकारी गईं, उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन्होंने जिक्र किया कि हमें अपने बजट के निर्माण में एक बात का ध्यान रखना है और वह यह कि हम एक कल्याणकारी राज्य बनाने जा रहे है। कल्याणकारी राज्य का स्वरूप जो है वह समाजवादी स्वरूप होगा। में यह कहूंगा कि हमारी डमोक्रेसी बचपन में है और हमारा प्रजातन्त्रवाद बचपन में गुजर रहा है। हन कल्याणकारी राज्य बनाने जा रहे हैं और हमारा जनतन्त्र है उसके रूप को समाजवादी बनाने जा रहे हैं। इस बारे में स्पष्टीकरण नहीं है कि हमारे समाजवाद का क्या स्वरूप होगा। हाल ही में हमारे विनोवा भावेजी ने समाजवाद के लाभ बतलाए। इससे हमारे मित्रों को मदद मिलेगी लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि कल्याणकारी राज्य के लिये समाजवाद का स्वरूप भी तय हो जाना चाहिये। पंडितजी ने भी चैम्बर ऑफ कोमर्स में सुझाव दिया था कि अन्त में जाकर हमारे शासन का ढांचा समाजवाद का स्वरूप बनेगा और वही भारतवर्ष के अनुकूल होगा। मैं समझता हूं कि उन्होंने जो दुहाइयें दी हैं वे हमारे यहां लागू होंगी। और हमको भी समाजवादी अर्थ व्यवस्था कायम करनी होगी। लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिये कि नेशनल सोश्यलिज्म और डेमोक्रेटिक सोश्यलिज्म दोनों सोश्यलिज्म हैं। नाजी समाजवाद था वह भी समाजवाद ही था। वैसा समाजवाद तो नहीं होना चाहिये, प्रजातन्त्रवाद का समाजवाद होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा कुछ सुझाव दूंगा जो डेमोक्रेसी में फोलो किये जा सकते हैं। उनमें दो चार बाते हैं उनकी तरफ ध्यान न सिर्फ शासन चलाने में ही रखना होगा बल्कि बजट में भी ध्यान रखना पड़ेगा। हमें किसी जाति, वर्ग, किसी खास क्षेत्र की तरफ या किसी आदमी या किसी पार्टी की तरफ पक्षपात नहीं रखना चाहिये, बल्कि इन सबसे ऊंचे उठकर चलें और इसके लिये हमारे ऊपर यदि कोई दबाव आवे तो उसका ध्यान नहीं रखें और सही चीज़ को करें तो सही माने में प्रजातन्त्र को हम कायम करेंगे। यह प्रजातन्त्रवाद का पहला सिद्धान्त है। खास तौर से अपने बजट की रकम को खर्च करने के लिये इस बात का पूरा ध्यान रखें।

[श्री जयनारायण व्यास]

दूसरे, डेमोक्रेसी के माने यह हैं कि दूसरों के पोइन्ट ऑफ व्यू को समझना है। हम अपनी पार्टी के पोइन्ट ऑफ व्यू को समझते हैं, उससे ज्यादा दिलचस्पी के साथ दूसरे लोग क्या कहते हैं, उनके व्यू पोइन्ट को भी समझने की कोशिश करनी चाहिये। उसके वगैर डेमोक्रेसी कायम नहीं हो सकती और चल नहीं सकती।

तीसरी बात यह है कि हमारी बात कितनी भी सही हो लेकिन फिर भी हमारे में से जो नहीं है उनको भी एकोमोडेट करें और उनको भी साथ लेकर चलें; जिससे कि हमारी डेमोक्रेसी कायम रह सके और हमेशा के लिये कायम रह सके।

चौथा सिद्धान्त यह है कि हम हर एक व्यक्ति को सुनें, चाहे वह किसी भी तरफ का हो। जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखता हो उसके गुणों का अपने अन्दर प्रवेश करें और जो कुछ वे कहें उनको सुनें, सहन करें। अगर कोई गलत भी कहता है, उसको भी सहन करें। यह एक गुण है: बात को सुनना, मानना और हर बात को सुलझाने की कोशिश करना। यह बात जब तक नहीं होगी तब तक हमारा समाजवाद, प्रजातन्त्रवाद और हमारा कल्यणकारी शासन कुछ भी चलने वाला नहीं है। इस दृष्टि से मैं दो-तीन सुझाव पेश करूंगा और वे यह हैं, उनको न सिर्फ मैं सरकार के सामने रखूंगा मगर माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके द्वारा हर एक सदस्य के सामने रखूंगा जिसमें विरोधी पक्ष के सदस्य भी शरीक हैं और वह सुझाव यह है कि हमारे प्रान्त में जो राज्य की सेवाएं हैं उनको राजनीति में घुसाने की कोशिश न करें, उनको राजनीति से परे रखें। अगर हमने उनको राजनीति में कुछ मीठी बातें करके, कभी ट्रान्सफर आदि करके घसीटा तो हम प्रजातन्त्रवाद की जड़ों में कुल्हाड़ी चलावेंगे। इस तरह से कुछ लोग हमारी प्रशंसा भी करेंगे लेकिन आगे चल कर न जाने क्या बन जावेंगे ? प्रजातन्त्रवाद जैसा कि मैंने कहा अभी बचपन में है इसलिये इसमें इस तरह की बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

दूसरी बात मैं सेवाओं के बारे में कहूंगा। सेवाओं की बात यह होगी कि सरकार को उन्हें इस बात के लिये प्रोत्साहन देना चाहिये। उनके अपने दूसरे पोइन्ट ऑफ व्यू होते हैं। सरकार के और मंत्रियों के जो पोइन्ट ऑफ व्यूज़ होते है, यह जरूरी नहीं कि उनके भी वही व्यू पोइन्ट हों। हम उनके व्यूज़ को समझ सकें और दूसरे पहलू को भी समझ सकें, अगर इस तरह की प्रकृत्ति नहीं होगी तो हम शासन को सुशासन के रूप में परिणत नहीं कर सकेंगे।

यह तो हुई सेवाओं के सम्बन्ध में। अब मैं एक और बात के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। वह यह है कि हमारे प्रजातन्त्र के जो सिद्धान्त हैं उनका हमें हमेशा आदर करना चाहिये। इन सिद्धान्तों में एक मौलिक सवाल है कि हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको जो ऊंचा स्थान मिलना चाहिये वह मिलना चाहिये, इसमें कोई गड़बड़ हो तो वह हानिकारक होगी। वह इस पार्टी के लिये और सदन के लिये और शासन के लिये हानिकारक होगी। इसके साथ २ प्रजातन्त्र का प्रोसेस यह भी है कि साफ साफ बात कहें। अगर कोई साफ बात चुभने वाली भी हो तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिये। प्रजातंत्र की यह एक खास बात है। इसका ज़िक्र मैंने इसलिये किया है कि मैं

[श्री जयनारायण व्यास]

बजट पर टीका-टिप्पणी करना चाहूंगा और कुछ खर्चों पर, जिनको करने में मैं ऐसा खयाल करता हू कि प्रजातन्त्रवाद को धक्का सा लग रहा है उनका में जिक्र करना चाहता हूं। वह है पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत आया हुआ वाटर बोर्ड का मसला। उसका जिक्र में इसलिये करना चाहता हूं कि उसका जिक्र बहुत चल रहा है, उसकी चर्चाएं इस सदन में हुई हैं। उसके लिये सिद्धान्त के व्यक्ति होने चाहिये उनके लिने जाने की कुछ पद्धति होनी चाहिये और उसके अलावा ऐसे व्यक्ति मुकर्रर होने चाहिये, जो व्यक्ति कुछ हैसियत रखते हों, प्रजा के प्रतिनिधि होने की। मैं खास तौर से सरकारी प्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि वे इसे विरोध की भावना से न लें। जहां में कमी पाता हूं, कुछ कहूंगा। और वह इसलिये कि उन्हें नीचा दिखा सकता है। इस रूप में आप उस पर विचार करें।

पहली बात यह है कि जो पानी देने की व्यवस्था की जा रही है और उसमें, शायद अभी जिक्र किया था एक जगह २३ लाख का और एक जगह ७० लाख का, उसमें और भी दूसरे स्थान हैं, जहां कुल १ करोड़ रुपया खर्च किया जायगा। इस रकम को खर्च करने के लिये एक कमेटी बनायी गई है। कमेटी बने, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन कुछ उसूल हैं वे बराबर देखने पड़ेंगे।

पहला उसूल यह है कि उसका चेकिंग का जो काम-काज होगा वह एक्सपर्ट-चेकिंग होना चाहिये। यह नहीं होना चाहिए कि जयनारायण है, इतना खर्चा होता है वह देख ले; जब कि पत्थर कैसे रखा जाता है यह भी वह नहीं जनता। बृजसुन्दर जी को कहा जाय कि कुआ बनेगा, कितना खर्चा होगा? तो इनसे यह नही होगा। हम लोग जो व्यवस्थापक हैं, सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं, वे अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लें और ये चीजें, कौन अच्छी तरह से कर सकते हैं और अन्दाज लगा सकते हैं, इन बातों पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि यह चीजें विशेषज्ञों की हैं और उन्हीं पर छोड़ना पड़ेगा। तो यह पहला उसूल है और उसका पालन न करने से कहीं, मुझे भय है कि हम झंझट में न पड़ जांय।

दूसरा उसूल जो है, वह यह है कि रुपया कैसे खर्च होता है? वह तो गवर्नमेन्ट एजेन्सी के मार्फत ही खर्च होना चाहिए। यह नहीं कि रुपया किसी कमेटी के पास रहे; चाहे वह डिस्ट्रिक्ट कमेटी हो, प्रदेश कमेटी हो या सेन्ट्रल कमेटी हो। क्योंकि ऐसा करने से अगर बाद में कमेटीज़ डिस्पर्स हो जांय और बिखरने के बाद में हिसाब नहीं आवे, तो यह पता नहीं चल सकता कि वह रुपया खराब हो गया या उन रुपयों का गबन कर दिया, बाद में रिपोर्ट आती रहे। तो इसका नतीजा बुरा होता है। मैं शासन में रह चुका हूं, काफी अर्से तक रह चुका हूं, जोधपुर में रह चुका हूं और यहां भी रह चुका हूं और मेरा अनुभव है और बहुत ही कटु अनुभव है कि यदि रुपया उन एजेन्सीज़ के हाथ में चला जाता है तो वह वापिस नहीं आता है और रोज कुंवर जसवन्तसिहजी शिकायत करते रहते हैं। मैं यह भी बता दूँ कि हमारी पूंजीपति कंपनीज़ हैं उनको रुपया उधार की तौर पर दिया, लोन्स की तौर पर दिया, शेयर्स की तौर पर दिया किन्तु वह रुपया वापिस नहीं मिला। डाइरेक्टर फलां कम्पनी में हैं और वह डाइरेक्टर बम्बई में हों तो उनको आने-जाने का खर्चा देना पड़ता है। तो इस तरह से पराये हाथ में पैसा जाने के बाद में हिसाब का ठीक सिलसिला होता नहीं है। यह एक चीज़ मैं अर्ज करना चाहता हूं। हमने दूसरी कठिनाइयां भी देखी हैं। जैसे शरणार्थियों के लिए एक सोसाइटी उदयपुर

[श्री जयनारायण व्यास]

में थी। उनको लाखों रुपया दे दिया, किन्तु वसूली नहीं हो रही है। मैंने भी देखा कि उस रकम की वसूली होना बड़ा मुश्किल है। जो कुछ भी रुपया मिले, भारत सरकार से मकान ले लें। किन्तु मकान भी काम नहीं आवेगा। तो यह ऑफिशियल एजेन्सी से खर्चा हो। मैं यह नहीं कहता कि जो व्यक्ति मुकर्रर हुए हैं वे भले आदमी नहीं हैं। उनमें से बहुत सारे मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं। किन्तु यह सब होते हुए भी अगर हम ऑफिशियल एजेन्सी के मार्फत यह खर्चा नहीं करते हैं तो हम बाद में झन्झट में पड़ जावेंगे।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि डेमोक्रेसी के उसूल में इस पॉइन्ट ऑफ व्यू को देखना चाहिए कि कोई भी कमेटी बने, चाहे सिलेक्ट कमेटी बनती है या अकाउन्ट्स कमेटी बनती है तो इस बात को ध्यान में रखें कि ऑपोजिशन को लें, दूसरा पक्ष है उसको लें। टीका-टिप्पणी करें, चाहे जानबूझ कर करें किन्तु उचित व्यवस्था के लिये ऐसा करें। इंग्लैंड के अन्दर लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उसकी पोजिशन लीडर ऑफ दी हाउस के बराबर है। उसको जो रुपया दिया जाता है वह लीडर ऑफ दी हाउस से कुछ कम दिया जाता है। क्रिटिसाइज़ करने के लिए दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वह क्रिटिसाइज़ करते हैं इसलिए उनको रुपया मत दो। इसको गलत नहीं समझना चाहिए। ऐसी कमेटीज़ में उन लोगों को लेना चाहिए जो हमसे सहमत नहीं हैं और एक विचार नहीं रखते हैं। ऐसी कमेटीज़ में उन वर्ग के लोगों को भी लेना चाहिए जो गरीब वर्ग के हैं और जिनके यहां पानी की आवश्यकता है यानि उन क्षेत्रों से प्रतिनिधियों को लेना चाहिए, जहां पानी की आवश्यकता है। यह ठीक है कि पैसा मिल जाय थोड़ासा, खर्चा करने के लिए कार्यकर्ताओं को, बाकी सब सरकारी एजेन्सी के द्वारा खर्च हो। कार्यकर्ताओं को ६·१० लाख के भरोसे १ करोड़ रुपया उनके हाथों में सौंपना, जिनको कि पता नहीं है कि जैसलमेर में क्या हैं, गंगानगर में क्या है और लूणकरणसर में क्या है, उनको पैसा एडहॉक बेसिस पर दे दिया जाय कि आगे जाकर एडजस्ट कर देंगे तो मुझे गुंजाइश मालूम होती है, उसके दुरुपयोग की और साथ ही साथ यह भी हो सकता है कि इस पार्टी ने कर दिया, उस पार्टीने बेबाक नहीं किया।

मैं दो-चार चीजें जो इस बारे में नियम हैं, उनको माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से सुनाना चाहूंगा। वह यह है कि कहने को तो कलेक्टर का अन्तिम चेकिंग है। लेकिन अन्तिम चेकिंग है नहीं। वह कैसे नहीं।

"The Chief Panchayat Officer will act as the drawing, disbursing and centrolling officer."

बड़े अच्छे शब्द हैं। वही रुपया लेगा, रुपया देगा और कंट्रोल करेगा।

"One-third of the estimated cost of the work will be done by hin in advance and paid to the Board."

एक तिहाई लेगा और फिर बोर्ड को दे देगा और फिर बोर्ड आगे जाकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को देगा और फिर जिला बोर्ड को दे देगा या और कोई है तो उसको दे देगा। पंचायत ऑफिसर का कंट्रोल कैसे रहेगा उसमें मुझे कठिनाई मालूम पड़ती हैं।

[श्री जयनारायण व्यास]

"On receipt of the certificate from the Panchayat Inspector countersigned by Chairman or Secretary of the Board that 50% of the Works have been completed another advance of 25% will be made and the balance of 9% paid in final settlement of the accounts on receipt of Collector's certificate of completion of works."

उसके बाद में फिर इन्स्पेक्टर ऑफ पंचायत के कहने पर या सर्टिफिकेट देने पर कि पचास प्रतिशत काम हो गया है, २५ प्रतिशत और दे देगें और फिर ९ परसेन्ट कलेक्टर का सर्टिफिकेट आने पर दे देगें। तो इस प्रकार कोई एक्सपर्ट चेकिंग नहीं रखा हैं। जैसे मैंने टी. ए. बिल भेजा और उस पर साइन कर दिये और मुकदमा चला; तो ऐसी बात होने वाली है। सिविल सप्लाईज में बहुत से व्यापारियों को अनाज के लिए पैसा दिया, जोधपुर में दिया, लेकिन आज तक उनसे पैसा वसूल नहीं हुआ। आज तक मुकदमे चल रहे हैं, रुपया बाकी है, हमको देते नहीं और हमारे ऊपर मुकदमें कर रखे हैं और वकीलों को हमें पैसा देना पड़ता है। अब यह फन्ड कहां से ड्रॉ होगा ? यह कोई महत्व की बात नहीं हैं।

The Inspector of Panchayat will give the interim certificate for obtaining second instalment after satisfying himself that not less than half the work has been completed.

इससे सेटिस्फेकशन हो जायगा। लेकिन इन्स्पेक्टर पंचायत है वह कोई एक्सपर्ट आदमी तो है नहीं। मैं समझता हूं कि इसके लिए स्पेशल इन्जीनियर्स मुकर्रर कर दिये जांय तो कोई आपत्ति नहीं होगी, चाहे पांच पैसा ज्यादा खर्च कर दिये जांय हमको कोई एतराज नहीं होगा। इन्सपेक्टर इस चीज़ को कैसे देखेगा, उसमें वह माहिर तो है नहीं, उस हालत में वह फिर झूठे सर्टिफिकेट देगा। कलेक्टर के लिए तो यह असंभव सा है कि वह चेकिंग करके सर्टिफिकेट दे। पहले ही लम्बे, चौड़े एरियाज़ हैं और मैं समझता हूं कि उसके लिए यह असंभव होगा कि वह चैक करे कि मुझे तसल्ली है। इसलिए जो

"At the final stage of giving the certificate the Collector will satisfy himself that the work is completed in accordance with the estimates." यह सेटिस्फेक्शन होना बड़ी मुश्किल बात है।

अब इसके माने यह होते हैं कि आपने बोर्ड बना दिया और उस बोर्ड के हाथ में कोई जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि आपने चीफ पंचायत ऑफिसर के ऊपर यह जिम्मेदारी डाल दी है, कि वह ड्राइंग डिस्बर्सिंग और कंट्रोलिंग ऑथोरिटी होगा। तसदीक करने की जिम्मेदारी डाल दी है आपने इन्स्पेक्टर पंचायत पर। वह कहां से तसल्ली करेगा जो काम का इन्चार्ज होगा, चाहे वह पेड (Paid) होगा या अनपेड (un paid) होगा, वह कह देगा उस माफिक तस्दीक कर देगा। मेट होगा वह कह देगा और तस्दीक हो जायगी। तो यह बिलकुल नोन ऑफिशियल एजेन्सी है। कायम करना है तो अपने आदमी को करना चाहिए। मेट भी इन्जीनियरिंग का जानने वाला होना चाहिए ताकि वह समझ सके कि यह काम ठीक हुआ है और यह काम ठीक नही हुआ है।

[श्री जयनारायण व्यास]

इन चीजों को देखते हुए मैं आपको एक सजेशन यह दूंगा कि आपने जो लाखों रुपये की रकम वाटर बोर्ड के लिये रखी है वह बहुत अच्छा किया, लेकिन इसमें जो अधिकार दिया गया है जिन व्यक्तियों को उससे आपने अपने अधिकारियों को अधिकारहीन कर दिया है। जिनके पास ये अधिकार होने चाहिये उनको आपने अधिकारहीन कर दिया है, यह तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मेरा सजेशन यह है कि जो आपके अधिकारी हैं उनको responsibility फिर से दें। अगर नहीं दें तो मैं आपसे यही कहूंगा कि यह जो एक करोड़ रुपया है उन्हीं को दे दें; वे इसका अच्छा उपयोग करें या बुरा करें, आप उनको एक ग्रान्ट की तौर पर दे दें; अगर पॉवर without responsibility उनके हाथ में रहेंगे तो यह होगा कि वे चाहे जिसको अलोट करेंगे, कौन वेरीफायर होगा। वेरीफायर को कितनी तनखा होगी, इसमें भी नये प्रकार का फेवरेटिजम चलेगा। मुझे इस बोर्ड में, जिन दो तीन व्यक्तियों को रखा है, उनके बारे में शंका है उनके लिये मैं यहां किसी प्रकार की आलोचना करना उपयुक्त नहीं समझता क्योंकि वे यहां उपस्थित नहीं हैं। इस संबन्ध में कलकत्ते से भी मेरे पास कई चिट्ठियां आई हैं उनकी नियुक्ति के बारे में वहां के लोगों को भी असन्तोष है। उन चिट्ठियों में से एक चिट्ठी अब भी मेरे पास है। मैं इस बारे में सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं और वह चेतावनी देने का अवसर इस बजट की बहस के समय ही मिल सकता है। वे इस बारे में फिर से विचार करें, इस संस्था के बारे में विचार करें। इसके साथ साथ इस बात पर भी विचार किया जाना आवश्यक है कि इससे हम एक ऐसी चीज पैदा करने जा रहे हैं जिससे यहां अलग अलग पार्टीज बन जायगी अलग अलग जातियां इसमें काम करने लगेंगी इससे क्षेत्रीय भावना गंभीर रुपधारण कर लेगी। अगर सरकार इन सारे खतरों से बचना चाहती हैं तो इन सारी बातों पर विचार करे। इस तरह से लाखों रुपये की रकम को बरबाद नहीं करना चाहिये। हो सकता है मेरे इतना कहने से किसी को बुरा मालुम हुआ हो तो वे क्षमा करे। मैंने सच्चाई के साथ इन बातों को आपके सामने रखा है और जिस Spirit में मैंने अपनी भावना को रखा आपको भी उसी स्पिरिट में इसे ग्रहण करना चाहिये। मुझे खास तौर से इस बोर्ड के खिलाफ थोड़ी सी शिकायत है और वह यह है कि इसमें एक भी इलेक्टड मेम्बर ऑफ दी लेजिस्लेचर नहीं है। यह पानी का मामला है, यह डेवलपमेंट बोर्ड के सामने आता था और शायद अब भी आता होगा। डेवलपमेन्ट बोर्ड द्वारा एक कमेटी भी बनाई हुई है उसी का यह एक हिस्सा है। हरेक डेवलपमेन्ट बोर्ड में जहां जहां जिले में डेवलपमेन्ट बोर्ड हैं, वहां का एम० एल० ए० उसका मेम्बर हैं। इस वाटर बोर्ड में स्थानीय पंचायतों को स्थान देना वाजिब है ताकि वे इसका हिसाब रखें और सिफारिश करें। आज पंचायतों के चुनाव शुरू किये हैं कई जगह ऐसा होता है कि एम०एल०ए० भी इसके लिये उम्मीदवार होते हैं किन्तु वे भी चुनाव में रह जाते हैं और जो भी एम०एल०ए० पंचायतों के चुनाव में आने से रह जाते हैं उनका भी महत्व है। उनका भी इसमें होना बड़ा महत्व का है। दूसरे ऐसे भी मेम्बरर्स है जिनका इसमें होना आवश्यक है उनका भी नाम हमने नहीं देखा। ऐसा अभी एक स्टेटमेंन्ट मुख्य मंत्री द्वारा दिया ऐसा आज के हिन्दुस्तान टाइम्स को देखने से पता चला है कि वे कुछ नाम और इसमें डाल देगें। इससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं, मैं भी अपने आपको छोटा मेम्बर नहीं मानता। इस पानी के मामले कोपुराने मंत्री मंडल में रामकरण जी संभालते थे जो इस सदन में नहीं है। इस में अच्छे कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं उनका भी नाम इनमें नहीं, अपोजिशन में जो लोग हैं उनमें से भी किसी का नाम नहीं और जिनको पानी की जरूरत है उनको भी इसमें

[श्री जयनारायण व्यास]

शामिल नहीं किया गया। आज जो जरूरतमन्द वर्ग है वह आपसे छिपा नहीं है। मेरी समझ में तो यह आता है कि प्रिविलेज ऑफ दी मेम्बर्स है, उसका भी इससे हनन हुआ है, यह गवर्नमेन्ट की तरफ से कुछ नासमझी की वजह से हुआ है। यह मेम्बर्स के अधिकारों पर एक प्रकार का कुठाराघात है। जो कदम सरकार ने इस ओर उठाया है मेरा विश्वास है, उसे वह कदम वापिस लेना पड़ेगा और जब तक यह कदम वापिस नहीं लिया जाता हम चुप बैठे रहने वाले नहीं है। मैं अपनी तरफ से कह सकता हूं कि इस चीज को हमें उसूलों पर तय करना होगा। जब तक आप तय नहीं करेंगे मैं इसके खिलाफ आवाज बुलन्द करूंगा। कांग्रेस के नेताओं में करूंगा, कलकत्ते में करूंगा और जरूरत हुई तो देहली में भी जाकर इस चीज को ठीक कराने की कोशिश करूंगा। जो गलत चीज हो रही है उसे मैं होने नहीं दूंगा। (हिअर हिअर) और इसलिये नहीं होने दूंगा कि मुझे सरकार का हित करना है। सरकार को गलत रास्ते पर नहीं जाने देना है, मुझे सरकार को गड्ढे में गिरने से बचाना है। यह जो बातें हो रही हैं वे सरकार को गड्ढे में गिरा देने वाली बातें हैं। इनको हमें ठीक करना होगा।

दूसरी बात जो ध्यान में लाना चाहता हूं वह है हमारी सार्वजनिक संस्थाओं के चुनावों से जो बातें पैदा हो रही हैं उनके बारे में। इन चुनावों के बारे में रोज हमें सुनने को मिलता है। यह बात सही है कि हम अभी तक चुनावों के आदी नहीं हुए हैं और यह भी बात सही है कि कभी कभी चुने हुए जो लोग हैं वे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। लेकिन जब हम डेमोक्रेसी कायम करने जा रहे हैं तो वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड म्युनिसिपेलिटीज़ और पंचायतों के मार्फत ही कायम करना है और सावधानी के साथ कायम करना है। कहीं यह न हो कि इस डेमोक्रेसी के चलाते चलाते हम डेमोक्रेसी की ही हत्या कर दें। कहीं धर्म के नाम पर अधर्म और अधर्म के नाम पर धर्म तो नहीं कर रहे हैं। कहीं प्रजातन्त्र वाद के नाम पर प्रजातन्त्र की हत्या हो जाय इसको मैं पसन्द नहीं करता। मैं भी एक सार्वजनिक कार्य-कर्त्ता की हैसियत से थोड़ी सी दिलचस्पी इसमें रखता हूं। इस सम्बन्ध में मेरे पास काफी चिट्ठियां आती हैं और लोग भी आकर मिलते हैं, टेलीफोन भी आते हैं। पंचायतों के सम्बन्ध में, म्युनिसिपेलिटियों के सम्बन्ध में और डिस्ट्रीक्ट बोर्डों के सम्बन्ध में हमें हर चीज में एक सा बरताव करना चाहिये। एक जगह के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन को कुछ अलाउन्स मिलता है। दूसरी जगह के लिये अलाउन्स मन्जूर हो जाता है किन्तु दिया नहीं जाता है। यह भेदभाव सार्वजनिक संस्थाओं के लिये बरता जाना मैं उचित नहीं मानता। म्युनिसिपैलिटीज डिविज़नल हैड क्वाटर्स में तीन जगह हैं खुश किस्मती से दो जगह ठीक से चल रही है। हमें इस ओर कुछ ध्यान देना होगा। खासतौर से मैं जयपुर की म्युनिसिपैलिटी की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा यह मैं मान कर चलता हूं कि शहर में रहने वालों को चाहिये कि वे जितने भी टेक्सेज़ म्युनिसिपैलिटी द्वारा लागू हों उनको देना चाहिये। अगर इसमें पोपूलर या अनपॉपूलर होने की बात है तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिये। सेल्स टेक्स और ऑक्ट्रॉय ड्यूटी है जो भी लागू हो उसे देना चाहिये। जबकि कस्टम एक अप्रेल से खत्म होने जा रहा है तो ऑक्ट्रॉय और सेल्स टेक्स लिया जाना चाहिये। इस बारे में हमें थोड़ी हिम्मत से काम लेना चाहिये ऑक्ट्रॉय ड्युटी के सिलसिले में एक कमेटी बनी थी। कमेटी चीप पॉपूलेरिटी गेन करने के लिए अपनी रिपोर्ट पेश नहीं करती। कोई कारण नहीं कि हम कहें और वह अपनी रिपोर्ट नहीं दे। आपको इस बारे में जो कुछ करना है उसे लोगों की राजी और नाराजी की परवाह नहीं करनी चाहिये। हमें सही रास्ते पर जाना है। अगर ऑक्ट्रॉय के बारे में जो कमेटी

[श्री जयनारायण व्यास]
बनी थी उसने रिपोर्ट पेश करदी हो तो उसको डिक्लेअर कर देना चाहिये। अगर नहीं की हो तो सरकारी तौर पर कुछ न कुछ तय करना चाहिये। जयपुर म्युनिसिपैलिटी को ऑक्ट्रॉय देने का तय करना चाहिये अगर वह ऑक्ट्रोय नहीं लेना चाहती तो वैसी घोषणा करनी चाहिये, यह बड़ी खुशी की बात होगी। इससे क्या होगा, आज ढाई करोड़ का घाटा है और अगर ऑक्ट्रॉय नहीं लेगी तो गवर्नमेन्ट को पांच करोड़ का घाटा हो जायगा। यह तय कर देना चाहिये, उसूल एक होना चाहिये।

जयपुर में यदि ऑक्ट्रॉय लिया जायगा तो जोधपुर में भी लिया जायगा और उदयपुर, बीकानेर, और कोटा में भी लिया जायगा, उसी तरह डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स की म्युनिसिपैलिटियां भी ले सकेंगी। अगर यहां नहीं लेते हैं तो कोई कारण नहीं कि जोधपुर से ली जाय। ऐसा मैंने एक अखबार में पढ़ा है कि वहां की म्युनिसिपैलिटी ने ऑक्ट्रॉय ड्यूटी की मन्जूरी दे दी। मैंने भी जोधपुर म्युनिसिपैलिटी के मेम्बर्स से कहा था कि सार्वजनिक कोष को बढ़ाने के लिये आपको कोई नहीं रोक सकता लेकिन एक मिसाल कायम करनी पड़ेगी और उस पर फिर आप म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव करवा दें। जयपुर का करवा दें, जोधपुर का करवा दें, कोटा का करवा दें। आज एक कोटा के अखबार में लिखा है कि हमारे यहां अभी चुनाव नहीं हुआ। तो आप चुनाव करा दें। यह लम्बा जीवन उन्हें देने की जरूरत नहीं। पर एक मिसाल तय कर दें कि यह ऐसे करना है, फिर उसे करना है और हिम्मत से करना है और इसमें मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि मैं आपके साथ रहूंगा और मेरे साथ आत्म बल है तो साथ रहूंगा और मैं लोगों को कहूंगा कि वे इसमें आपका साथ दें और अगर किसी मिसाल को नहीं मानना है तो उसको भी साफ कह देना है कि हम इस उसूल को नहीं मानते।

सेल्स टैक्स के बारे में भी यही बात है। कस्टम और सेल्स टैक्स दोनों को कनफ्यूज़ करने की अब बात नहीं है। पहली अप्रेल से कस्टम बन्द हो जाने वाला है, और सेल्ट टैक्स लग जाता है। अब यह अलग बात है कि कहीं ज्यादा कहीं कम लगता है, इसमें गलती हो सकती है, हम उसको सोच सकते हैं, इस सिलसिले में एक प्रश्न उठता है और वह है वेजिटेबल आइल का। कान्स्टीट्यूशन ऐसा है जिसके लिए हमारे ये कानूनदां कहते हैं कि यह संविधान की धाराएं इजाजत नहीं देती वेजिटेबल घी को रोकने की। जब कस्टम नहीं रहेगा तो यह वेजिटेबल घी आना कैसे रोका जा सकता है; दुनियां भर में आता जाता है फिर तुम कैसे रोकोगे। तो मेरी तो यह राय है कि इससे भी कड़ी रोक लग जावे तो मेरे लिए आपत्ति की बात नहीं होगी और साथ ही साथ हमारी सरकार को और सदनको भी केन्द्रीय सरकार को कहना चाहिये कि वह जो चीज है, वेजिटेबल घीं का आयात, उसको रोकने की कोशिश करें, उसको रंगने की कोशिश करें क्योंकि इससे हम पर बुरा असर पड़ता है और खास कर हमारे पशुओं पर अधिक असर पड़ता है। राजस्थान में जितने आदमी हैं उससे ज्यादा पशु हैं। हमारी आमदनी भी पशुओं से ज्यादा है हमारे यहां का घी भीं मशहूर है और इसके लिए हमारी इज़्ज़त भी है। पर अगर वेजिटेबल घी को आने की इजाजत दे दी गई तो हमारे घी का स्टेन्डर्ड खराब हो जावेगा और इसके बारे में जो हमारी इज्जत बनी हुई है वह हमारी इज्जत खराब हो जावेगी। तो इसलिये इसके बारे में भी हमें तवज्जोह देनी पड़ेगी।

एक खतरा और आ रहा है और वह खतरा यह है कि अमेरिका ने यह तय किया है कि वह बहुत बड़ी मिकदार में शुद्ध घी भेजे, अमेरीका से, और आज भी सूखा दूध तो उसका आता ही है।

[श्री जयनारायण व्यास]

मैंने तो पहले भी कहा था और स्टेट मिनिस्ट्री से भी उस वक्त अर्ज किया था कि इसकी प्रोसेसिंग की फैक्ट्री हमारे यहां भी होनी चाहिये जिससे हम अपने यहां के दूध का भी चूर्ण बना सकें और फिर गरम पानी में उसे डालें तो गरम हो सके। ऐसा बना सकें क्योंकि हमारे यहां कई इलाके ऐसे हैं कि जहां न रेलें हैं और न सड़कें हैं, वहां फैक्टरीयां कायम करके हमें सूखा दूध बनाना पड़ेगा और साथ ही हमें कोशिश यह भी करनी पड़ेगी कि हमारे यहां घी के ग्रेडिंग स्टेशन भी खुलें जिससे असली घी हमारा बच सके। इन स्टेशनों पर घी की परीक्षा करके उन पर सील लगाकर मार्केट में फिर भेजा जावे। इस तरह से हम अपने यहां के शुद्ध घी को बरबाद होने से बचावें। सौराष्ट्र ने इस अमेरीकन घी के आयात का विरोध किया है इसकी हमें खुशी है। हमें भी इसका विरोध करना चाहिये। पर साथ ही साथ यह भी देखना है कि यह वेजिटेबल घी हमारे घी की कीमत न घटा दे। या तो वेजिटेबल घी भी इसी स्तर पर आ जावे ताकि फिर स्मगल होकर भी नहीं अवेगा, नहीं तो फिर इसे कलर करने के लिए केन्द्रीय सरकार के ऊपर जोर लगावें, पब्लिक भी जोर लगावे और सरकार भी लगावे।

इसके बाद मैं उन संस्थाओं के बारे में भी कुछ कह दूँ; जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्युनीसिपैलिटीज़ और पंचायतें हैं। पंचायतों के बारे में बहुत सी बातें ऐसी आ रही हैं जिनके बारे में, मेरा ऐसा खयाल है कि सदस्यों की तरफ से तो इस बात की आवश्यकता है कि वे जगह जगह जो सूचनाएं हैं, वे चाहे फिर गलत हों, सही हों या सुनी हुई हों उनका संग्रह करें और फिर उनको सरकार के सामने और सदन के सामने रक्खें। बल्कि सबको मिलाकर एक मेमोरेन्डम के तौर पर सरकार को भेजें तो भी कोई बुराई की बात नहीं होगी और सरकार को यह चाहिये कि वह इन पर पूरा पूरा प्रकाश डाले। रेवेन्यू का ऑर्डर देखें तो मालूम होता है कि हफ्ते भर का नोटिस दिये बगैर चुनाव नहीं होगा। इनके लिए कुछ इन्सपेक्टर नियुक्त किये गये हैं वे ऐसे हैं जो काफी पक्षपात करते नजर आते हैं। अब सही हालत क्या है, वह तो कागजों की डिटेल में जब कभी में जऊंगा तो बता सकूंगा। इस भाषण के दौरान में इस डिटेल में जाना ठीक नहीं होगा। शायद मिनिस्ट्री के सामने कभी जाना पड़े तो पता चलेगा कि यह मशीनरी किस तरह से काम कर रही है। पर इतना जरूर है कि जो तिथि चुनाव की मुकर्रर की गई है उसमें कहीं हफ्ता भर का नोटिस नहीं दिया गया, तो कहीं तारीखें आगे हटा दीं, तो कहीं स्थान एक जगह से हटाकर दूसरी जगह रख दिया गया और कहीं डेढ़-दो मील दूर हो गया जिसकी कोई समय पर सूचना नहीं दी गई।

एक सदस्य—ऐसी कहां की बात है?

श्री जयनारायण व्यास—इस तरह की संख्या दूँगा तो बड़ी मुश्किल होगी। ये जयपुर के आसपास की भी बातें हैं और और जगह भी बहुत हो सकती हैं। तो इस तरह से डेट भी बदल जाती हैं और साथ ही टाइम और जगह भी बदल जाती हैं। अगर ये काम हमारे ये इन्सपेक्टर्स करते हैं तो इसके योग्य नहीं हैं कि उनको इस तरह का कोई जिम्मेदारी का पद सौंपा जाय।

(विरोधी पक्ष : हियर हियर)

सर्टिफिकेट दे दिया, अपनी कन्सेन्ट दे दी लोकल कमेटी के कहने पर, उस के आधार पर बिना सोचे समझे सिफारिश कर दी। जो उन्होंने कह दिया, काम हो गया। यह सारा नहीं होना चाहिये। इस चीज में खास तौर से डिटेल में जाने की जरूरत है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां सरपंच अंगूठा

[श्री जयनारायण व्यास]

लगाते हैं जब कि पंचायत कानून में ऐसा है कि कम से कम सरपंच के लिए हिन्दी पढ़ना-लिखना जरूरी होना चाहिये । तो सरपन्च ही जब खुद अंगूठा लगाता है तो फिर तो वह सबको अंगूठा ही दिखावेगा ।

(हंसी)

तो इन चीजों की डिटेल में हमें जाना पड़ेगा । प्रजातन्त्र हमें अगर कायम करना है तो हमें प्रजातन्त्र के नियमों का पालन करना होगा उसके सिद्धान्तों के आधार पर चलना होगा और बिना पक्षपात के सबको एक सा देखना होगा । अगर इस आधार पर चलने पर कॉम्यूनिस्ट, समाजवादी या और कोई पंचायतें बनाते हैं तो भले ही बना लें, इससे मुझे दुःख नहीं होगा पर दुख उस वक्त होगा कि जब मैं बेईमानी के साथ सरपंच बन जाऊं या मेरा साथी किसी के पक्षपात के कारण या सिफारिश से चुनकर चला जावे । मैं समझता हूं कि कांग्रेस के जो सिद्धान्त हैं उनसे हटने पर कांग्रेस मरती है, कांग्रेस का आदमी हारता है तो नहीं मरती है । अपना व्यक्तित्व या अपना व्यक्तिगत स्वार्थ ज्यादा प्रिय नहीं होना चाहिये, हमें हमारे सिद्धान्त प्रिय होने चाहिये ।

(हियर हियर)

अब मैं निवेदन करूंगा कि एजुकेशन के लिए रकम ज्यादा रखली है, उसके लिए खास तौर से वित्त मन्त्री महोदय को और शिक्षा मन्त्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं । लेकिन एक बात जिस पर काफी रोशनी डालने की जरूरत है, उसको मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, क्योंकि वह बात बार बार हमारे कानों में आती है कि यह जोबनेर जो है, जहां से शायद श्री अवनीकुमारजी हैं, वहां एक एग्रीकल्चर कॉलेज है; वह अच्छा है, या बुरा है इसको आप इस समय छोड़ दीजिये । पर बहुत वर्षों से वह चलता है और बहुत वर्षों से उसकी इमारतें भी बनी हुई हैं और उसका एक स्टाफ भी है । अगर वे अच्छी तरह से नहीं चलते हैं तो जिस तरह से शोलापुर की मिल भारत सरकार ने अपने हाथों में ले ली और इसके लिए आगे जाकर संविधान में भी परिवर्तन करना पड़ा तो उसकी भी तैयारी बता दी, गंगानगर की फैक्ट्रीं भी आपने हाल ही में ली है तो उसी तरह से इस जोबनेर कॉलेज को भी ले लेना चाहिये अगर यह आपके समझ में आ जावे तो ।

श्री वेदपाल त्यागी—वे तो स्वयं देने को तैयार हैं, कोई ले तो ।

श्री जयनारायण व्यास—और अगर यह मालूम पड़े कि वह लेने के लायक नहीं है तो हमें फिर यह कहने की भी हिम्मत होनी चाहिये । दबे-दबे यह नहीं कहना चाहिये कि बन्द कर रहे हैं, ठीक नहीं चल रहा है, हम तो ८० परसेन्ट देते हैं । बन्द करने के लायक अगर है तो यह भी कहदें, हिम्मत से । आप उसे लेलें, अगर कॉलेज़ के लायक नहीं है तो इन्टर कॉलेज बना दें । लेकिन अब जोबनेर के जो जागीरदार हैं उनके भरोसे रहना ठीक नहीं । वैसे मैं उनकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा पैसा खर्च किया है । माफ करेंगे जागीरदार भाई मेरे अगर मैं यह कहूं कि उन्होंने शिक्षा पर बहुत खर्च नहीं किया है जितना कि जोबनेर के ठाकुर साहब करते रहे हैं । उनके जीवन को मैंने देखा है । उनका एक मकान यहां है उसका किराया भी वे उधर दे देते हैं, और स्वयं एक छोटीसी कोठड़ी में जो कि एक बहुत ही गरीब आदमी की कोठडी हो सकती है उसमें वे रहते हैं ।

[श्री जयनारायण व्यास]

जोबनेर में उनका किला बहुत बड़ा है। उस गढ़ में वे जरूर वहां रहते हैं। उसकी मरम्मत होने की जरूरत ही नहीं और यदि वे कराना चाहें तो करा नहीं सकते। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उन्होंने काम अच्छा किया है। अगर नहीं लेना है तो हम कह दें कि नहीं लेंगे। अगर नहीं चलाना है तो कह दें नहीं चलायेंगे। ८० परसेन्ट हम देते रहें और २० परसेन्ट वे देते रहें और वह चलता रहे तो वह चलने वाला नहीं है।

एक दूसरी संस्था भी मेरे ध्यान में है और वह संस्था है चौपासनी स्कूल। उसके बारे में सकेंगे, महाराजा जोधपुर और मेरे बीच काफी मतभेद था। मैंने उनसे कहा था कि आप नहीं चला सकेंगे, लेकिन वे कहते थे कि हम राजपूत लोग इस स्कूलको चलायेंगे। मैंने उनसे कहा था कि जातिवाद के रूप में यह स्कूल चलने वाला नहीं है। यह भी कहा था कि आपसे यह चलेगा नहीं। आप कितने दिन तक इसको चलायेंगे? जागीरदारों की जागीरें भी बहुत दिनों तक नहीं रहने वाली है, उनकी आमदनी में कमी होने वाली है, उन्हें अपने घर की फिक्र करनी पड़ेगी। वे स्कूल की फिक्र नहीं करेंगे और वही हुआ। उसका चलना मुश्किल हो गया। उन्होंने हमसे मदद मांगी। हमने मदद की। देर ब देर उसको भी लेना पड़ेगा। उसी तरह इस स्कूल को वे कब तक चला सकेंगे? जागीर रिज़म्पशन होने के बाद वह चलने वाला नहीं है। वह स्कूल ले लेना चाहिये और स्कूल को सरकार को चलाना चाहिये चाहे सप्लिमेन्टरी बजट लाने की नौबत आजाय, इसी महीने में, तो भी कोई बुराई की बात नहीं है। अगर किसी को कत्ल करना है तो झटके के साथ कत्ल करना चाहिये उसको जिबह नहीं करना चहिए, मैं यह अर्ज करूंगा।

अभी आज ही कुछ प्रश्नोत्तर काल में बातें थीं, वे चित्तौड़ के बारे में थीं। वे चित्तौड़ के बारे में साल भर से चल रही हैं, ६ महीने से चल रही हैं। मैं समझता हूं कि कुछ जो खर्चा करना पड़ा है और खर्चा किया भी है, तो अच्छे काम के लिए किया है। वह भी खर्चा करना चाहिए, और इसका बजट ठीक है, लेकिन जब तक हम बिल्कुल साफ नहीं कर देते हैं अरावली को, जब तक हम बिल्कुल साफ नहीं कर देते हैं रेगिस्तान को, पाकिस्तान के किनारे पाकिनारे रेगिस्तान है, जब तक हम साफ नहीं कर देते हैं चम्बल के खदारों को, तब तक हमें सावधान रहना पड़ेगा, और ५,२५ हजार क्या २,४ लाख रुपया ज्यादा खर्चा होता है तो परवाह नहीं करनी चाहिए और कम कर देते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि ज्यादा भी करना पड़े तो सदन उनके साथ रहेगा।

इसी सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं, यद्यपि उसका बजट स्पीच में जिक्र नहीं है; मैंने होममिनिस्टर महोदय से भी कहा था, वह यह है कि हमारे प्रकाशन विभाग को कुछ ककफियत नहीं है, और न जाने क्या क्या बातें कह देता है, गलत सलत बातें कह देता है। उससे हमारे शासन के नाम पर फर्क आता है। अभी सांकड़ा का जिक्र किया। इसमें शक नहीं कि सांकड़ा के साथ में सरकार का सहयोग है, जब मैं चीफ मिनिस्टर था उस वक्त भी और आज रामकिशोरजी व्यास होम मिनिस्टर हैं इस वक्त भी। वहां जो काम काज होता है वह वहां की नॉन ऑफिशियल एजेन्सी के द्वारा होता है। वही वहां का खर्चा चलाती है। उसमें हमने ५ हजार या १ हजार रुपया दे दिया तो कोई बात नहीं। वह हमने सहायता के रूप में दे दिया है। वह अपना काम चलाते हैं। हमारे प्रकाशन विभाग से

[श्री जयनारायण व्यास]

ऐसा प्रकाशित होता है कि सरकार ही चला रही है उस केन्द्र को। यह गलत बात है। उसको वहां के कार्यकर्ता चलाते हैं। उनको हमें थोड़ी मदद देनी चाहिए, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। जिस तरह कि सार्वजनिक संपर्क आवश्यक है तो ठीक उसी प्रकार प्रकाशन भी आवश्यक है। नॉन ऑफशियल जो संस्थाएं हैं उनको पैसा भी देना पड़ेगा तो यह भी आवश्यक है। उनके महत्व को देखते हुए उसके लिए बजट के अन्दर गुन्जाइश रखें तो यह भी आवश्यक है। मैं होममिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि अगर कोई इस तरह का गलत स्टेटमेंट दें तो उसको फौरन कन्ट्राडिक्ट करना चाहिए। यह कहना चाहिए कि वहां लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हम उनको प्रोत्साहन देते हैं, सहयोग देते हैं, वहां काफी अच्छा काम होता है।

थोड़ा सा मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहूं। वैसे में अपने क्षेत्र के बारे में नहीं बोला करता हूं, लेकिन कुछ बातें क्षेत्रों के बारे में हो ही जाया करती हैं। थोडी सी बातें में यह कहना चाहूँगा कि मलवा और पटवार सेस कहीं तो लागू हैं और कहीं नहीं लागू हैं। यह गलत है। यह अगर रेवेन्यू, आमदनी, है तो मैं वित्त मन्त्री जी से कहूंगा कि वह इस आमदनी को खारिज कर दें। कल ही हाई कोर्ट का एक फैसला हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि 'मलवा' और 'पटवार' सेस गैर कानूनी हैं। जो चीज गैर कानूनी है वह हम बीसवीं शताब्दी में लेते रहें, वह गलत बात है। किशनगढ़ में जहां कि चांदमलजी रहते हैं वहां एक जगह यह चीज है तो दूसरी जगह नहीं है। किशनगढ़ में ले लिया तो सरवाड़ में माफ कर दिया गया, क्योंकि वहां पर सेटलमेंट हो गया। यह चीज गलत है। इससे एक तहसील और दूसरी तहसील में आपस में झगड़ा होता है।

अराई तहसील को तोड़ा गया। जहां गांव कम हैं और आमदनी कम है वहां अगर तहसील को तोड़ें तो हम सहयोग देंगे, लेकिन वह चीज केवल एक जगह लागू नहीं होनी चाहिए। उसी तरह की आमदनी दूसरी जगह दूसरी तहसीलों में होती है, अगर उसी तरह का क्षेत्र लम्बा-चौड़ा दूसरी जगह तहसीलों में मोजूद है तो फिर अराई की तहसील नहीं तोड़ना चाहिए। तोडना है तो सबके साथ तोड़ना चाहिए। चूंकि वह मेरी कॉन्स्टीटुएन्सी में आती है इसलिए मैं यह मांग करता हूँ, यह बात नहीं है। सारी जगह एकसा बर्ताव करें। कुछ लोगों को शक-शुबाह होता है कि यह क्यों किया जा रहा है, कहीं गडबड तो नहीं की जा रही है इसलिए यह ठीक होना जरूरी है।

अभी मालूम हुआ है कि अभी हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट जो वहां की है उसके बारे में अपग्रेड करने की सिफारिश की है, लेकिन सरकार उस पर कुछ नहीं कर रही है। वहां पर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर का हैडक्वार्टर था। अब वहां उसको छोटे से दायरे में रख दिया गया है। क्षेत्रों के अन्दर जहां कई चीजें हैं तो जब तक कि कोई ठोस कारण नहीं हो उन चीजों को नहीं हटाना चाहिए।

मैं लम्बा भाषण तो नहीं करना चाहूंगा। मैंने बहुत सारे नोट्स तैयार कर लिये थे, लेकिन सिर्फ एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। मैं बधाई देता हूँ वित्तमन्त्रीजी को कि उन्होंने अपने बजट भाषण में समाजवादी और कल्याणकारी राज्य, जो हमारा लक्ष्य है, उसकी तरफ इशारा किया है। मैं न सिर्फ वित्त मन्त्री जी से बल्कि अन्य मन्त्रियों से निवेदन करूंगा कि इस बजट को चलाने और सरकार को चलाने में उस तरह की नीति को काम में लायें कि जो डेमोक्रेसी के अनुकूल हो, जो

[श्री जयनारायण व्यास]

समाजवाद की नींव है, जो कल्याणकारी राज्य को कायम करने में सहायता कर सकेगी । मुझे यही शब्द कहना है ।

(करतल ध्वनि)

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्षजी, हमारे वित्त मन्त्रीजी ने जो बजट पेश किया है और उस बजट में २, ३६, २६, ००० रू० का जो घाटा बताया है, इतना ही घाटा मानकर नहीं चलें, क्यों कि बीच बीच में सप्लिमेंटरी डिमान्ड्स सरकार की तरफ से और आती हैं, जो इस हिसाब से करीब करीब ४ करोड़ का घाटा समझना चाहिए । यह तो एक जनता के सामने और इस हाउस के सामने यह घाटा बताया हैं । जब दूसरा सेशन होगा तब और और सप्लिमेंट्री डिमान्ड्स सरकार की ओर से इस हाउस के सामने दिखाई देंगी । सरकार आज इतना घाटा बताने के बजाय राजस्थान की आमदनी के जरिये बताती तो ज्यादा खुशी की बात होती ।

लेकिन आमदनी के जरिये तो हमेशा बन्द करते जा रहे हैं और दिन पर दिन घाटा इस राजस्थान में बढ़ता ही जा रहा है तो उसकी पूर्ति कैसे कर पावेंगे ? वह पूंजीपति जो आज ६ करोड़ रुपये लेकर इन्डस्ट्रीज़ पर बैठे हैं उनको गावों की कोई दशा ही नहीं दिखाई देती है । उन पूंजीपतियों का फिर एक कॉर्पोरेशन बनाया है । इस कॉर्पोरेशन में सरकार करीब ३० या ३५ लाख रुपये और देगी और वह पैसा भी उनके हाथ में ही रहेगा और वे चाहेंगे जिसमें खर्च करेंगे । आज सरकार में मिनिस्टर कौन हैं और कल कौन होंगे व परसों कौन होंगे और कौन ऑफिसर कब होंगे, इस तरह का ढांचा आज हो रहा है । हिसाब का पता भी नहीं चलता है कि कल क्या था और आज क्या है । इस तरह वे पूंजीपति सरकार पर प्रभाव जमा कर इस तरह का ढांचा बनाकर राजस्थान पर अपना प्रभाव जमाना चाहते है । आज राजस्थान की क्या हालत है उसको वे देखना नहीं चाहते ।

दूसरी बात यह है कि जो माइन्स का डिपार्टमेंट है उसके मिनिस्टर को, फाइनेन्स मिनिस्टर को और सेक्रेटरी को लिख कर दिया था, आज से कोई डेढ़ साल पहले कि इस माइनिंग डिपार्टमेंट से ३ करोड़ की इन्कम हो सकती है लेकिन उस ३ करोड़ की इन्कम को किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने सुना ही नहीं । उनको लिखकर दिया था कि ३ करोड़ की इन्कम हो सकती है......

श्री बृजसुन्दर शर्मा—१० करोड़ की इन्कम हो सकती है ।

एक सदस्य—उस समय पालीवालजी मिनिस्टर थे ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—उस समय पालीवालजी हों या और कोई हों, पर मैंने तो लिखकर दिया था ।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—तुम क्यों घबराते हो ?

श्री मुक्तिलाल मोदी (भाषण जारी रखते हुए)—लेकिन आज तरीका यह है कि मिनिस्टर्स और एम० एल० एज़० अपने स्वार्थ पर तुले हुये हैं । अफसर किसी फाइल पर क्या नोट लिखते और मिनिस्टर उस पर क्या नोट लिखते हैं; आज यह हो रहा है, मैं यदि कोई बात गलत कहूं तो

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

आप मुझे कह सकते हैं। इस तरह की हालत होते हुये भी आप कहते हैं यह कल्याणकारी राज्य है। इसे कल्याणकारी राज्य नहीं कहना चाहिये यह राक्षस राज्य है (हंसी)। जो लोग कहते हैं कि गांधीवाद चालू होगा वे झूंठे हैं। गांधीवाद का सिद्धान्त यह था कि इस राजस्थान की गरीब और भूखी जनता को राहत पहुँचेगी लेकिन आज ऐसी कोई चीज नहीं है। आज जिस तरह का खर्चा हो रहा है और वे खुद पर्सनल खर्चा करते हैं तो दूसरों का क्या भला करेंगे आज मिनिस्टर्स और एम० एल० एज़० यह सोचते हैं कि हम लोग पहले मामूली तरह से रहते थे परन्तु पहले जिस ऊंचे केडर पर राजा लोग रहते थे उसी तरह से हमें भी रहना चाहिये क्यों कि हम भी १ लाख जनता के प्रतिनिधि हो गये हैं। इस तरह से वे राजा बनने के अधिकारी बनना चाहते हैं। लेकिन उनको नहीं भूलना चाहिये कि वे कुछ दिन के लिये ही हैं और वे ज्यादा दिन नहीं रह सकते। यह मैं बतादूँ कि आज सेवा की भावना, जिस के नाम से वोट मांगे थे, हममें वह सब भावना खत्म हो गई है और बिल्कुल खत्म हो गई है और आज या तो रिश्तेदारों को नौकरी पर लगाने या खुद पैसा कमाने या अपने आदमियों की सिफारिश करने का पेशा बना लिया है। इस मिनिस्ट्री के कायम होने के बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कितनी ट्रान्सफर्स हुई हैं यह देखने की बात है और मामूली बात पर ट्रान्सफर्स हो रही हैं! कोई कहता है कि साहब पी० सी० सी० के इलेक्शन में तहसीलदार ने हमको सहयोग नहीं दिया इसलिए उसकी ट्रांसफर कर देनी चाहिए। इसी बात पर बैराठ तहसीलदार की ट्रांसफर कर दी गई। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से कहा कि मेरी ओर से, प्रजा की ओर से या और किसी की तरफ से उसकी शिकायत हो तो आप ट्रांसफर करें। उसके खिलाफ जागीरदार की, राजपूतों की, जनता की या और किसी की, एक्स वाई. जेड. की किसी की शिकायत नहीं है। कोई यदि यह कहे कि यह रिश्वतखोरा है, या चोर है तो जरूर उसकी ट्रांसफर करें लेकिन पी. सी. सी. के इलेक्शन में मदद नहीं दी इसलिए आप उसकी ट्रांसफर करते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है।

मैंने व्यासजी को चेलेन्ज किया था कि आप शाहपुरा से सब डिविजन उठाते हैं तो अच्छा नहीं करते हैं। वही चेलेन्ज आज फिर है कि इस तरह के कार्य करेंगे तो यह सरकार नहीं चलेगी। आज जिस तरह से चुनाव लड़े जाते हैं वह तरीका भी अच्छा नहीं है। सरकारी मोटरें काम में ली जाती हैं, पंचयतों के चुनाव में। उनमें मिनिस्टर जा जा कर, लुक छिप कर रात को और दिन को इस तरह से कांस्टीट्युएन्सी में जाते हैं और लोगों को दबाते हैं। दूसरी बात यह करते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो पुलिस को दबाते हैं कि मुकदमा नहीं चलावें; पुलिस पर और अफसरों पर दबाव डालते हैं। लेकिन इस तरह का जो तरीका है उससे कोई कल्याणकारी राज्य माने तो भले ही माने, हम तो नहीं मानेंगे। हमने तो राजाओं और जागीरदारों के जमाने में भी जूते खाये थे, ३ वर्ष तक इनके जमाने में भी जूते खायेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। यह भी बीत जायगा, यही मान लेंगे। लेकिन इस तरह का कल्याणकारी राज्य जनता पर नहीं चलेगा। जो ज्यादा ज्यादती करता है उससे उतनी ही ज्यादा सरकार की बुराई होती है। उनकी ही ज्यादा बुराई होगी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—कांस्टीट्युएन्सी तो बिगड़ जायगी।

श्री मुक्तिलाल मोदी—आज कल पैसों का इलेक्शन है। हम भी १० हजार खर्च करते हैं वहां २० हजार खर्च कर लेंगे।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)—आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी—(भाषण जारी रखते हुए) ऐसी हालत में सरकार ने इस बजट में बताया है कि हम टेक्स के बारे में और सोचेंगे। भाई पहले ही टेक्स के बारे में सोचते। खुद उनको चाहिये कि वे देखें कि खुद कितना त्याग करते हैं, खुद किस तरह का ढांचा बनाकर सरकार चला रहे हैं तब दूसरे आदमी, ऑफिसर्स और जनता यह सोचेगी कि ठीक ढंग से चलना चाहिये। आज सरकार को चाहिये कि वह सच्ची सहानुभूति पैदा करे। जब तक खुद कोई आदमी त्याग नहीं कर सकता तो वह दूसरों से कैसे आशा कर सकता है। आज कोई मिनिस्टर और एम० एल० एज० अनुचित बात करें तो वह बाहर जरूर आती है, खुल जाती है। दीवारों के भी कान होते हैं। हम जब जेल में थे तब हमारे साथ जो बर्ताव होता था वह दो चार घंटों के बाद दूसरों को मालूम हो जाता था। दीवारों के भी कान होते हैं। वह यदि यह सोचें कि हम चाहे जैसी ट्रान्सफर्स करें, चाहे जैसी दस्तन्दाजी करें, चाहे जिस तरह से सरकार को चलावें तो यह ठीक नहीं है। आप अपनी मर्जी के अनुसार चलाते हैं लेकिन वह सरकार कितने दिन चलेगी ? आप इससे काफी बदनाम हैं। जिस सरकार को आप चला रहे है गांधीजी के नाम पर उसको क्यों बदनाम कर रहे हैं। कम से कम इस चीज को देखें कि आप वाटर बोर्ड के बारे में क्या कर रहे हैं। मैं इस डिस्ट्रिक्ट कमेटी का एक मेम्बर हूं। वाटर बोर्ड डिस्ट्रिक्ट कमेटी का एक मेम्बर हूं। इसमें क्या हो रहा है, यह आप को देखना चाहिये। हम लोगों से कलेक्टर साहब ने यह कहा कि तुम तो दस्तखत कर दो और तुमको कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ दस्तखत कर दो। सब मेम्बरों से यही बताया गया।

हमें कुछ स्वार्थ था। मैंने कहा ठीक है साहब, जो जनता को कुछ भी पैसा मिले रुपये में से दो आने या ४ आने मिलें, उससे कुए सुधरें, खा-पीकर भी कुछ जनता को थोड़ी बहुत इमदाद मिले तो दस्तखत कर देंगे, कर भी देंगे कल। पर अब जो वह पैसा जिस तरह डिवाइड हुआ है, जयपुर डिविजन में, डिस्ट्रिक्ट में दो लाख रुपया, तहसीलें १६ हैं, कोई आबादी का खयाल नहीं, जिन इलाकों में काम चालू नहीं हैं, आबादी ११ हजार है, उस तहसील को १३०००० दिये गये हैं। प्रोजेक्ट बनते थे तो मिनिस्टर लोग अपने अपने इलाकों में दे देते थे। यह तारीका क्या है, भगवान के घर आज न्याय नहीं है पर कल तो वह न्याय करेगा, भाई कुछ तो सोचना चाहिये। कहीं पर ६ लाख रुपया, कहीं पर १० लाख रुपया कहीं पर ५ लाख रुपया और कहीं ३ लाख रुपया किया है परन्तु जयपुर डिविजन में...

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—जयपुर डिविजन नहीं, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में।

श्री मुक्तिलाल मोदी—जयपुर डिस्ट्रिक्ट में २ लाख रुपये दिये गये हैं। तो यह तरीका समझ में नहीं आता और हम लोगों को इस कमेटी में रख कर क्या करते थे, काश्तकारों को रखते, हरिजनों को रखते, हम लोग तो असेम्बली के मेम्बर हैं उन लोगों को भी बढ़ाना चाहिये था।

फोरेस्ट को लीजिये, हवाई जहाज से, कहीं दुनियां में सुना भी नहीं था कि हवाई जहाज से बीज बरसाते हैं, कितना रुपया खर्च होता है इसमें ?...

श्री बृजसुन्दर शर्मा—वह पैसा हमारा नहीं है।

श्री श्रीदास गोयल—माले मुफ्त दिले बेरहम ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—हम भी तो हिन्दुस्तानी हैं, वह पैसा भी हमारा ही है, अंग्रेज तो चले गये बेचारे ।

तो एक तरफ तो जागीरदार को खत्म करते हैं और दूसरी ओर मिनिस्टरों को एम. एल. एज. को और दूसरे लोगों को जमीनें दे दे कर, फॉरेस्ट काट-काट कर जमीनें दे दे कर जागीरदार बनाया जा रहा है यह क्या तरीका है कुछ समझ में नहीं आता । एक गलती करें तो ठीक है, दूसरी करें तो ठीक है, तीसरी गलती करें ठीक है पर गलती पर गलती किये जाते हैं, इसके भी नीचे किये जाते हैं तो इससे कोई भलाई का नतीजा नहीं है, आखिर में इससे बुराई का ही नतीजा होगा । चन्द्रा डेरी थी, उसकी लाखों रुपयों की जमीन थी । उसको लोगों ने बांट लिया, सूरज डेरी अब दे रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, बात छुपी तो रहती नहीं है । जागीरी खत्म कर रहे हैं, यह तो ठीक है पर इस तरह पेड़ काट कर, फॉरेस्ट हैं उनको काट कर, सरकार से सस्ते दामों पर जमीनें खरीद कर मिनिस्टरों को, और अपने लोगों में बांट दें और नये जागीरदार बनायें यह कुछ तरीका समझ में नहीं आता है । फॉरेस्ट के बारे में जो तरीका अख्त्यार किया है वह ठीक नहीं । एक तरफ तो कहा जाता है 'पेड़ लगाओ' और दूसरी तरफ पेड़ों को काटें तो यह तरीका है । सड़कों पर पेड़ काफी लगाने चाहिये पर पेड़ कुछ लगते हैं, कुछ लगते ही नहीं हैं । फॉरेस्ट जो हैं उनको काट कर तो जमीनें लोगों को मत दो बाबा ।

मैंने सुना है कि एस्टीमेट कमेटी ने रिपोर्ट दी है......

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—सदन में पेश भी करदी है । आपने पढ़ी नहीं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—अंग्रेजी में है । इसलिये पढ़ी नहीं है, देखी ही है । इसलिये कहा कि सुना है । इसमें सरकार से ३० लाख रुपयों की सिफारिश की बताते हैं; उस सिफारिश को हम लोगों के भाषण हो चुकने के बाद जब फाइनेन्स मिनिस्टर साहब भाषण देंगे तो यह तो जरूर मन्जूर कर लेंगे कि इस सिफारिश को मान लेंगे इतना तो मैं विश्वास करता हूं, परन्तु नहीं मानें तो उनकी मर्जी ।

कुछ तो सरकार ने सामान खरीदने के बारे में सुधार किये हैं, ऐसा सुना है । बिजली घर का सामान...पी. डब्ल्यू. डी. तो पहले से ही इन्डियन नेशनल स्टोर, न्यू देहली, भारत सरकार का है, वहां से खरीदती है ।परन्तु दूसरे जो डिपार्टमेंट हैं, इन्डियन नेशनल स्टोर, न्यू देहली जो भारत सरकार का है उससे नहीं मंगाते, क्योंकि इसमें अफसरों को और दूसरे जरिये के हमारितये लोग हैं, बनिये लोग हैं, उनको खाने को पैसा नहीं मिलता क्योंकि वह तो गवर्नमेंट की चीज़ है ।

इसलिये पहले मैंने गवर्नमेन्ट से काफी प्रार्थना की कि आप इस तरह का ऑर्डर पास कर दें कि कोई डिपार्टमेंट सामान टैन्डर के जरिये या ऐसे ऑफीसर के ऑर्डर के जरिये मामूली सामान की जरूरत हो तो मंगा सकते हैं, परन्तु लाखों रूपयों का सामान नहीं मंगा सकते और इस तरीके से सामान मंगाने में सरकार को एक लाख या २ लाख रूपये का ही फायदा नहीं बल्कि लाखों रूपयों का फायदा हो सकता है । और इससे आज जिस तरह के तरीके अख्त्यार किये जाते हैं वे तरीके

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

अख्त्यार नहीं किये जा सकेंगे। अगर सरकार इस तरफ ध्यान देगी तो जिस तरह आज बिजलीघर विभाग, एग्रीकल्चर विभाग और दूसरे डिपार्टमेन्ट हैं; उनके बारे में सरकार बदनाम होती है, वह नहीं होगी। तीसरी बात है......

श्री सभापति—समय होने में २ मिनट और रहे हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—मैं दो मिनट ही लूंगा।

हां, तो मैं तीसरी बात यह बताना चाहता हूं कि मिनिस्टर लोग कहीं बाहर दौरे में जाते हैं तो पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट, एस. पी., डी. एस. पी., थानेदार, नाजिम, तहसीलदार और गिरदावर-फिरदावर इन सबको ले जाते हैं, और उन गांवों में इन लोगों की कौड़ी भर भी इज्जत नहीं है। नाजिम वगैरह जाते हैं तो लोगों को बुलाते हैं कि मिनिस्टर साहब पधारते हैं उनका स्वागत करो। तो इस तरह २०, ३० तो ये अफसर लोग इकट्ठे हो जाते हैं और गांव वालों को पकड़ लाते हैं। गांवों में ब्राह्मण, बनिये होते है, रोजाना इन अफसर लोगों से उनका काम पड़ता है इसलिये उनका कहना मान कर इनका स्वागत करते हैं, दिली इच्छा से नहीं करते। सब के सब मिनिस्टरों की यही हालत है। उधर जनता कचहरी में जाती है तो चार दिन तक कचहरी में लोगों को बैठे रहना पड़ता है और फिर लाचार होकर वापिस घर आते हैं।

ऐसी सूरत में मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जो मिनिस्टर साहबान दौरे में पधारें वे नाजिम, कलेक्टर, एस. पी. वगैरह को साथ में नहीं ले जायं। पहले जमाने में तो मारने-पीटने का डर था, अब तो वह नहीं है।

फिर सरकार के लाखों रूपये इस तरह से साथ ले जाकर क्यों खर्च किये जाते हैं। अब तो पुलिस की कोई उनके साथ जरूरत नहीं है। इससे सरकार के लाखों रूपयों की बचत होगी और राजस्थान की गरीब जनता को लाभ होगा। तभी राजस्थान की सरकार कल्याणकारी राज्य का दावा कर सकती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, माननीय वित्त मन्त्रीजी ने हमारे सामने अपने ख्यालात जाहिर किये हैं उस सिलसिले में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

श्री सभापति—समय हो चुका है। अब सदन की कार्यवाही को कल साढ़े आठ बजे तक के लिये स्थगित करता हूं।

(सदन की कार्यवाही ८ बज कर ४ मिनट रात्रि को, दिनांक १७ मार्च, १९५५ तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-१६ मार्च, १९५५, ।

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ६५ का उत्तर देखिये)

नक्शा ए.

सालाना नक्शा उन सरकारी नोकरों का जो राजस्थान बनने के पश्चात् डाकुओं के मुकाबले में मारे गये। पैन्शन और ग्रेच्युटी का रुपया जो उनके परिवार के व्यक्तियों को मन्जूर किया गया वह हर एक के सामने दिखाया गया है।

न.शु.	नाम व पद कर्मचारी जो मारे गये और उनकी मृत्यु की तारीख.	वारिश औरत, बच्चे	पैन्शान	ग्रेक्युटी	रिमार्क
१.	२	३	४	५	६
			१९४९		
१.	कानि०श्री अम्बसिंह १६.५.५४	मां	.	.	ता. ५-७-५४ को सरकार ने सैंगशन दे दी है।
२.	,, श्री गोकुलसिंह १७.१२.४९.	विधवा.	१०. २. आ. प्र. माह १९५०.		
३.	,, श्रीएस.आई.यासीन.,, अली २४.१ .५०.	बच्चा १	वि.१५.१०. प्र. माह. ब.४.६.आ. प्र. माह.	३५२.रु. २०. रुपया.	
			१९५१.		
४.	का. श्री जोगसिंह ४.१.५१	विधवा. बहिन	.	.	विचाराधीन।
५.	का. अहमद खां ४.३.५१	विधवा.	१०.प्र.मा.	१२०.रु.	
६.	सब.ई.श्रीजसवन्त लाल १६.७.५१.	विधवा बच्चे ५	वि.३३प्र.मा. ब.१५प्र.मा. ४८. रु.	३९६ रु.	

७.	का. अमेरीसिंह १०.६.५१.	भामी,	.	.	विचाराधीन।
८.	का. भगवतसिंह १६.७.५१.	विधवा बच्चे ४.	वि.११रु.५. प्र.मा. ब.१२.रु.प्र.मा. २३.रु.५. आ. १६५२	१३६ रु.	
६.	का. बचराज़ १६.१.५२	विधवा.	१०.प्र.मा.	१२०. रु.	
१०.	एस. आ. अब्दुल वाहम.१६.१.५२	विधवा बच्चे ५.	वि.२८.११.प्र.मा.३४४रु. ब.२१.रु.५.प्र.म. ५०.रुपये		
११.	का.सवाईसिंह २०.१.५२.	विधवा बच्चा १	वि.१०.प्र.मा. ब.३. रु., , १३. रुपये	१२०.रु.	
१२.	का. जगतसिंह २०.१.५२.	विधवा	१२.११.प्र.मा.	१५२.रु.	
१३.	का. देवाराम २३-४-५२	विधवा बच्चा १	वि. ११ रू. ब. ३ रु=१४	१३२ रू.	
१४.	का. मालीराम ७. २. ५२.	मां	५. रु.		
१५.	सी. आ. अहमदबक्स १५. ५. ५२.	विधवा बच्चे ४	६० रुपया	७२०. रु.	
१६.	एस. आ. जी. एन. सिंगल १५. ५. ५२	विधवा बच्चे ३	वि. १८. ३.	४०० रु.	बच्चों का अलाउन्स विचारा धीन है।
१७.	ड्राईवर अमरसिंह १८. ५. ५२	विधवा	६. रु. ५. रु.	११२ रु.	
१८.	का. वहिद खां १६. ५. ५२	विधवा बच्चे ३	१४ रु.	११२ रु.	

१६.	का. भैरूसिंह	वि..मा.	४. रु. ११ आ.	५६ रु.	मामला गवर्नरमेंट में
२०.	का. हमीद खां २४. ६. ५२	विधवा	६. ५.	११२	विचारा धीन है
२१.	का. नूरमोहम्द २४. ५. ५२	पिता		"	
२२.	ए. आ. भूरे खां २७. ६. ५२	विधवा बच्चा	बच्चा ३ रु. वि. १४. ३.	१७० रु०.	
२३.	एफ. सी. शकुरखां १५. ५. ५२	विधवा बच्चा १			ऐ. जी. आफिस में जैर कार्यवाही
२४.	का. ईशरदान २४. ८. ५२	भाई	५. ६.	६४ रु.	
२५.	का. मंगलसिंह ४. १०. ५२	विधवा	६ रु.	१६८ रु.	
२६.	मेहबूब खां ३. १२. ५२	विधवा बच्चे ३ १६५३	वि. १०. ब. ६.	२२० रु. १६ रु.	
२७.	एस. आ. जवाहरसिंह ३. १. ५३	विधवा बच्चे २	३५ रु. १०. ८. आ	४२० रु.	
२८.	एच. सी. विजयसिंह ६. १. ५३	विधवा	१२. रु. ६.	१४८. रु. १२. आ.	
२९.	का. जोरसिंह २०. ४. ५३	पिता.	"	"	मृतक के परिवार वालों के फैसले का इन्तजार है। जिससे दो आदमियों में पेंशन बांटा जा सके।
३०	इ. मोहम्मदइस्माईल २५. ६. ५३	विधवा बच्चे ५	वि. ५०. रु. ब. ४०. रु.=६० रु.	६४०.	
३१.	एच. सी. हजारीराम २६. १०. ५३	विधवा बच्चे ३			मामला तस्दीक में
३२.	का. कुशालसिंह	विधवा			मामला ऐ. जी. की तस्दीक में

३३. जमा. अलखाराम एम. बी. विधवा सी. २३. ११. ५३ बच्चे ५ ,, ,, १६५४ — गवर्नमेन्ट की मंजूरी के लिये।

३४. एस. आ. जग्गूलाल विधवा १७. ६. ५४ — तस्दीक में

३५. श्री मालसिंह बीजै. विधवा १०. ८. ५४ — ए. जी. की तस्दीक में।

३६. एफ. सी. आशफ विधवा - वि. ११. ११. आ. अली खां बच्चे २ व. ६. ७. रु. ११ आ. १४०.

नक्शा [बी]

नं०	मृतक व्यक्ति के नाम	वारिश	ता० मृतक	कैफियत
१.	का. अम्बसिंह	मां	१६-५-४६	ता० ५-७-५४ को सरकार से मन्जूरी हो गई है।
२.	कां. जोरसिंह	विधवा बहिन	४-१-५१	इसकी भी मन्जूरी ता० ६-२-५५ को हो गई है।
३.	का. अजमेरी सिंह	भाभी	१०-६-५१	विचाराधीन है।
४.	एस.आ.जी.एन. सिंगल	विधवा, बच्चें ३		बच्चों की अलाउन्स मन्जूर
५.	का. नूरूदीन	पिता	२४-५-५२	यह मामला सरकार के समक्ष ता. ३-२-५५को लाया गया है तथा विचाराधीन है।
६.	हैड का. शकूर खां	विधवा, बच्चा १	५-१५-५२	ए. जी. की तस्दीक के लिये।
७.	,, हजारीराम	विधवा बच्चे ३	२६-१०-५३	तस्दीक के लिये
८.	का. कुशालसिंह	विधवा	११-११-५३	,, ,,
९.	जमा अलखराम एम.बी.सी.	विधवा बच्चा	२३-११-५३	,, ,,
१०.	एस. आई. जग्गूलाल	विधवा	१७-६-५३	,, ,,
११.	बी. जे. मालूसिंह	विधवा	१०-८-५४	,, ,,

परिशिष्ट २

कृपया प्रश्न संख्या ७७ का उत्तर देखिये ।

अ

१९५४–५५

क्रम संख्या	नाम ग्राम मय केस नं० तारीख व थाना	माल लूटा गया	संक्षिप्त विवरण	घटना
१.	संगरिया ता० ८-१-५४ केस नं० ३ धारा १४८४, ५२, ३९५ ता० हि० थाना निकुम ता० ४-१-५४	रु० २१०	कुछ नहीं	निल
२.	अन्तर्गत थाना कनेरा केस नं० ३ धारा ३९५ थाना कनेरा ता० ११-२-५४	कपड़े कीमतन ७ रु०	कुछ नहीं	
३.	ग्राम छोटी सादड़ी केस नं० ६ धारा ३९५,३९६ ता० हि० ता० ४-२-५४ थाना छोटी सादड़ी	३१ बकरे कीमत ३१० रु०	„	
४.	अदाना केस नं० ६ ता० १४-२-५४ धारा ३९५ ता० हि० थाना रेशमी	रु० ८००	गलत पाई गई	
५.	गडवाना केस नं० ५ ता० ८-३-५४ धारा ३९५ ता० हि० थाना विजयपुरा	रु० २१	कुछ नहीं	
६.	देवपुरा केस नं० ८ ता० ७-६-५४ धारा ३९५, ३९६ ता०हि० थाना कुआखेड़ा	रु० १२६८ आ० १२	एक लाठी द्वारा घायल हुआ और एक दूसरा गोली से	
७.	जंगल गनगोली खाट ता० २१-७-५४ केस नं २० ता० २२-७-५४ धारा ३९५, ३९७ ता० हि० थाना मोहाना	४५ बकरियां	तमाम प्राप्त हो गई ।	
८.	दमाना २-१०-५४ केस नं० ७५ ता० २-१०-५४ धारा ३९५, ३९७ ता० हि० थाना कपासिन	रु० २७८५६ आ० ८	कुछ नहीं, दावा रनजीता गन्ना	
९.	डाबरा २६-११-५४ केस नं० ८४ ता० २६-११-५४ धारा ३९५, ३९७ ता० हि० थाना प्रतापगढ़	रु० ११०००	३ व्यक्ति जख्मी हुए, एक लाठी द्वारा और दो गोली द्वारा	

१०.	नगरी २६-१२-५४ केस नं० १०६ ता० २६-१२-५४ धारा ३६५, ३६७ ता० हि० थाना चित्तौड़	रु० १४६३४	गेन्गा मेघला और रनजीता सन्देह युक्त
११.	अरनी ५-१-५५ केस नं० १ ता० १ ५-१-५५ धारा ३६६, ३६७ ता० हि० थाना रेशमी	सिर्फ डकैती करने का प्रयास किया	एक सेठ मगनीराम गोली से मारा गया
१२.	अचरोल से आने वाले रास्ते में ता० ७-१-५५ केस नं० ४ ता० ६-१-५५ धारा ३६५, ३६७ ता० हि० थाना कपासिन	रु० ६ आ० ८	कुछ नहीं

३१ जनवरी सन् १९५५ तक

सन् १९५४ में १०६८० रु० ११ आने का माल बरामद हुआ

सन १९५५ में ६६ रु० ८ आने का माल बरामद हुआ